लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[चौथा सत्र
Fourth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 16.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 13 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XIII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/Contents

अंक 16–मंगलवार, 5 मार्च, 1968/ 15 फाल्गुन, 1889 (शक)

No. 16, Tuesday, March 5, 1968/ Phalguna 15, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
421.	बन्द पड़े बागानों का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of closed Plantations	717-721
422.	विदेशों में भेजे गये भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल	Indian Trade Delegations sent Abroad	721-724
424.	रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों का कार्य-संचालन	Working of Steel Plants at Rourkela, Bhilai and Durgapur	724-725
425.	बर्लिन में राज्य व्यापार निगम का कार्यालय	State Trading Corporation's Office in Berlin.	725-727
426.	मैसर्स ओवाल इंडस्ट्रीज के साथ गन्धक का सौदा	Sulphur Deal with M/s Oval Industries	727-728
427.	आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम आ सकने वाली वस्तुएं	Import Substitution	728-731

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

423.	भारत-श्रीलंका सहयोग	Indo-Ceylon Collaboration	731
428.	औद्योगिक नीति संकल्प	Industrial Policy Resolution	731-732

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या

S.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
429.	भारतीय माल का गुण-प्रकार	Quality of Indian Goods	732
430.	तैयार किये गए खाद्य पदार्थों का निर्यात	Export of Processed Food stuffs	732
431.	कपड़ा मिलों के पास सूत का स्टाक	Stock of Yarn with Textile Mills	733
432.	यूरोपीय साझा बाजार	European Common Market.	733
433.	रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था	Educational Facilities for Children of Railway Employees	733-734
434.	निर्बाध व्यापार क्षेत्र	Free Trade Zone	734
435.	बोकारो स्टील लिमिटेड	Bokaro Steel Ltd.	734
436.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Durgapur Steel Plant	735
437.	काली मिर्च का निर्यात	Export of Pepper	735
438.	रूरकेला इस्पात संयंत्र	Rourkela Steel Plant	736
439.	मलाड स्टेशन (पश्चिमी रेलवे) पर उपद्रव	Riot at Malad Station (Western Railway.)	736-737
440.	भारतीय रेलों पर क्रय संगठन के लिए राजपत्रित पदालि	Gazetted Cadre for Purchase Organisation on Indian Railways	737
441.	कपड़ा उद्योग	Textile Industry	737-738
442.	लातीनी अमरीकी देशों के साथ व्यापार सम्बन्ध	Trade Relations with Latin American Countries	738
443.	इंजीनियरी माल का निर्यात	Export of Engineering Goods	738-739
444.	भारतीय वस्तुओं की किस्म	Quality of Indian Goods	739
445.	टैम्पिग मशीनों का निर्माण	Manufacture of Tamping Machines	739-740
446.	रेलवे पर भोजन-व्यवस्था सेवा	Catering Service on Railways	740
447.	मुगलसराय रेलवे यार्ड में माल डिब्बों से माल की चोरी	Pilfering of Goods from Wagons at Moghulsarai Railway Yard	740-741
448.	भारी विद्युत् संयंत्र	Heavy Electrical plants	741
449.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में रबड़ की खेती	Cultivation of Rubber in Andaman and Nicobar Islands	741-742

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.		
2805. व्यापारिक कामों के लिये राष्ट्रीय नेताओं के नामों का प्रयोग	Use of Names of National Leaders for Business Purposes	742
2806. रंग और रोगन बनाने के कारखाने	Paints and Varnish Manufacturing Factories	742
2807. रंग और रोगन बनाने वाले कारखाने	Paints and Varnish Manufacturing Factories	743
2808. दियासलाई बनाने के कारखाने	Match Factories	743-744
2809. दियासलाई बनाने के कारखाने	Match Factories	745
2810. सीमेंट पर से नियंत्रण हटाना	Decontrol of Cement	745-746
2811. वस्तुओं का निर्यात	Export of Commodities	746
2812. निजामाबाद रेलवे स्टेशन के निकट नीचे के पुल को चौड़ा किया जाना	Widening of under bridge near Nizamabad Railway Station	746-747
2813. निजामाबाद रेलवे स्टेशन	Nizamabad Railway Station	747
2814. निजामाबाद (हैदराबाद) में फाटक पर ऊपरी पुल	Over bridge on level crossing in Nizamabad (Hyderabad)	748
2815. दक्षिण-मध्य रेलवे का इंजिनियरिंग विभाग	Engineering-Department of South-Central Railway	748-749
2816. धौलपुर-जयपुर रेलवे लाइन	Dholpur-Jaipur Rail Link	749
2817. दिल्ली सवाई माधोपुर-कोटा बड़ौदा-बम्बई रेलवे लाइन पर अतिरिक्त रेलगाड़ी चलाना	Additional train on Delhi-Sawai-Madhopur Kota-Baroda Bombay Line	749
2818. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Ltd.	749
2819. राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशी कारों की बिक्री	Sale of Foreign cars by STC	749-750
2820. मिश्रित इस्पात परियोजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange for Alloy Steel Projects	750
2821. मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड	M/s. Bennett Coleman and Co. Ltd.	750-752

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2822.	मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड	M/s. Bennett Coleman and Co. Ltd.	752
2823.	उप मुख्य लेखा अधिकारी (यातायात लेखाएँ) उत्तर रेलवे, दिल्ली के कार्यालय के श्रेणी–एक के सेवा निवृत्त क्लर्कों को पेंशन और उपदान	Pension and Gratuity to retired Clerks Grade I in the Office of Deputy Chief Accounts Officer (Traffic Accounts) Northern Railway, Delhi	753
2824.	रेशम और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् का बिक्री एवं अध्ययन दल	Sales -cum-study Team of Silk and Rayon Textiles Export Promotion Council	753
2825.	पश्चिम रेलवे के गार्ड और टिकट परीक्षक	Guards and T.T. Es. of Western Railways	753-754
2826.	भारत से निर्यात	Indian Exports	754
2828.	रूस को रेल माल डिब्बों का निर्यात	Export of Rail Wagons to USSR	755
2829.	1967–68 में ड्रिलिंग रिगों का आयात	Import of Drilling Rigs in 1967-68	755
2830.	भरतपुर में बाढ़ में चीनी का बह जाना	Sweeping away of sugar by floods in Bharatpur	755
2831.	प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली	Managing Agency System	756
2832.	रेलवे में विद्युत् चालित संगणक	Electronic Computers on Railways	756
2833.	कूपर एलन कम्पनी लिमिटेड कानपुर	Coopper Allen Company Ltd., Kanpur	756
2834.	जापान को मैंगनीज अयस्क का निर्यात	Export of Managnese Ore to Japan	757
2835.	स्कूटरों का निर्माण	Manufacture of Scooters	757
2836.	आयात लाइसेंस	Import Licences	757-758
2837.	इटली को भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल	Indian Trade Delegation to Italy	758
2838.	गैर-सरकारी रेलों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Private Railways	758-759

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2840.	स्टेशन मास्टरों द्वारा नियमानुकूल काम करने का नोटिस दिया जाना	Work to Rule by Station Masters	759
2841.	नाहन ढलाई-घर	Nahan Foundry	759
2842.	रेल के माल डिब्बे	Railway Wagons	759-760
2843.	हस्तशिल्प और हथकरघा माल का निर्यात	Export of Handicrafts and Handlooms	760
2844.	पूर्व रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के कार्यालय के लोअर ग्रेड क्लर्क	Lower Grade Clerks in Office to Chief Commercial Superintendent Eastern Railways	761
2845.	पोकरन-जैसलमेर रेलवे लाइन	Pokaran-Jaisalmer-Railway Line	761
2846.	नौगाचिया स्टेशन पर आसाम मेलगाड़ी के रुकने की व्यवस्था	Stoppage of Assam Mail at Naugachia Station	761
2847.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादों की श्रीलंका में बिक्री	Sale of HMT Products in Ceylon	761-762
2848.	ढोलों का निर्माण	Manufacture of Barrels	762-763
2849.	रेलवे गार्ड और कंडक्टर	Railway Guards and Conductors	763
2850.	थोड़ी दूर का माल यातायात	Short distance Goods Traffic	763
2851.	बल्गारिया और रूमानिया से इंजीनियरी माल का आयात	Import of Engineering Goods from Bulgaria and Rumania.	763-764
2852.	मोटर गाड़ी उद्योग को संरक्षण	Protection to Automobile Industry	764
2853.	भारत-फिलीपीन सहयोग	Indo-Philippines Collaboration	764-765
2854.	औद्योगिक लाइसेंसों का जारी किया जाना	Issue of Industrial Licences	765
2855.	चाय का निर्यात	Export of Tea	765-766
2856.	बाड़नगर स्टेशन के समीप रेल की पटरी से फिश प्लेटों की चोरी	Missing of Fish Plates from Railway Track near Barnagar Station	766

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2857.	पूर्व रेलवे के दानापुर डिवीजन में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travel in Danapur Division of Eastern Railway	766
2858.	लखनऊ-दिल्ली एक्सप्रेस में यात्रा कर रही एक छात्रा का काकोरी रेलवे स्टेशन के निकट अपहरण	Abduction of Girl Student Travelling in Lucknow-Delhi Express near Kakori Railway Station	767
2859.	भागलपुर स्टेशन पर रेल-गाड़ी पर फेंके गए बम	Bombs Thrown on Train at Bhagalpur Station	767
2860.	रेलवे में सुधार लाने के लिये विदेशों से तकनीकी मार्ग दर्शन	Foreign Technical Guidance for improvement on Railways	767-768
2861.	बाँदा जिले में सीमेंट का कारखाना	Cement Plant in Banda District	768
2862.	बाँदा स्टेशन पर उपरि पुल	Overbridge at Banda Station	768
2863.	पुरी-आसनसोल गाड़ी के साथ डिब्बे का जोड़ना	Attaching of Bogie to Puri-Asansol Train	768-769
2865.	लोहे और इस्पात के उत्पादों का निर्यात	Export of Iron and Steel Products	769
2866.	इस्पात का उत्पादन	Production of Steel	770
2867.	जनसंघ के अध्यक्ष की मृत्यु	Death of Jan Sangh President	770
2869.	दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर रेलगाड़ियों विलम्ब से पहुँचना तथा जाना	Late Arrival and Departure of Trains at Delhi and New Delhi Stations	770-771
2870.	पाकिस्तान द्वारा भारतीय सम्पत्ति की विमुक्ति	Release of Indian Property by Pakistan	771
2871.	टेल्लिचेरी-मैसूर रेलवे लाइन	Tellicherry-Mysore Railway line	771
2872.	रेशम के करघों को ऊन के करघों में बदलना	Conversion of silk looms in to woollen looms	771-772
2873.	अमरीका के साथ व्यापार	Trade with USA	773
2874.	सरकारी क्षेत्र के तथा स्वायत्तशासी निगम	Public Sector and Automation Corporation	773-774

अता० प्र० संख्या
U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2875.	औद्योगिक कारखानों का बन्द होना	Closure of Industrial Units	773
2876.	केरल में नए उद्योग	New Industries in Kerala	773
2877.	रेलवे गैंगमैन की मृत्यु	Death of Railway Gangmen	774
2878.	दुर्गापुर इस्पात कारखाना	Duraagapur Steel Plant	774
2879.	भारत और ईरान के संयुक्त उद्यम	Indo Iranian Joint Ventures	774-775
2880.	रूरकेला इस्पात कारखाना	Rourkela Steel Plant	775
2881.	इस्पात उत्पादन	Steel Production	775-776
2882.	संयुक्त संयंत्र समिति	Joint Plant Committee	776-777
2883.	उत्तर रेलवे पर अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिये छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की संख्या	Leave Reserve Strength of Ministerial staff on Northern Railway	777
2884.	पूर्व रेलवे क्लर्कों को युद्ध के दौरान की गई सेवा का लाभ	War Service benefit to clerks on Eastern Railway	777
2885.	रूरकेला इस्पात कारखाना	Rourkela Steel Plant	777-778
2886.	संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन	UNCTAD	778
2887.	बादली औद्योगिक बस्ती में किराये की वसूली	Collection of Rent in Badli Industrial Estate	778-779
2888.	डीजल तथा बिजली के इंजन	Diesel and Electric Engines	779
2889.	ईस्टर्न रेलवे एम्पलायीज कंज्यूमर्स विशुद्ध कोआपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड, जमालपुर	Eastern Railway Employees Cosumers Vishudh Co-operative Society Ltd., Jamalpur	779-780
2890.	रूस को इस्पात का निर्यात	Export of Steel to USSR	780
2891.	दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाना	Durgapur Alloy Steel Plant	781
2892.	रूरकेला इस्पात कारखाना	Rourkela Steel Plant	781
2893.	मद्रास में नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines in Madras	781-782
2894.	निर्मित तथा अर्द्ध निर्मित वस्तुओं का निर्यात	Export of Manufactured and Semi manufactured Goods	782

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2895.	'काउ बुआए' किस्म के जूतों का निर्यात	Export of 'cow-boy' shoes	782
2897.	रेलगाड़ियों की गति में वृद्धि	Increase in speed of trains	782-783
2898.	हारसूल स्टेशन	Harsul Station	783
2899.	टिमरनी रेलवे स्टेशन	Timarni Railway Station	783
2900.	मध्य प्रदेश में रेलवे लाइनें	Railway lines in Madhya Pradesh	783-784
2901.	बुरहानपुर स्टेशन पर प्रथम और द्वितीय श्रेणी के महिला प्रतीक्षालय	Ist and IInd class ladies waiting rooms at Burhanpur	784
2902.	चाँदगढ़ क्षेत्र में इस्पात कारखाना	Steel Plant in Chandgarh Area	784
2903.	रूरकेला इस्पात कारखाना	Roukerla Steel Plant	784-785
2904.	आँध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइन	New Railway Lines in Andhra Pradesh	785
2905.	स्टूडियो के उपकरणों तथा कच्ची फिल्मों का आयात	Import of Studio Equipment and Raw Films	785
2906.	उत्तर रेलवे पर रेलवे प्रयोक्ता सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति	Appointment of non-official members to Railway Users' Consultative Committees on Northern Railway	785-786
2907.	इलाहाबाद डिवीजन में रेलवे दुर्घटनायें	Accidents in Allahabad Division	786
2908.	राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम	National Industrial Development Corporation	786-787
2909.	उत्तर प्रदेश में लगाये गये कारखाने	Factories set up in U.P.	787
2910.	देहाती क्षेत्रों के स्टेशनों पर तैनात रेलवे कर्मचारियों के लिये मकान	Accommodation for Railway Employees posted in Stations in Rural Areas	787
2911.	एसोशियेट बैटरी मेकर्स (ईस्टर्न) लिमिटेड	Associate Battery Makers (Eastern) Ltd.	787
2912.	कालीकट में लौह अयस्क के निक्षेप	Iron Ore Deposits in Calicut	788

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2913.	रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को मुआवजा	Compensation to Victims of Railway Accidents	788
2914.	उत्तर प्रदेश में लघु उद्योगों का विकास	Development of Small Scale Industries in U.P.	788
2915.	रेलवे सुरक्षा विशेष दल में भर्ती के लिये पदों का विज्ञापन	Advertisement of Posts for recruitment to Railway Security Special Force	789
2916.	रेलवे सुरक्षा विशेष दल	Railway Security Special Force	789
2917.	रुई के मूल्यों में गिरावट	Fall in prices of cotton	789-790
2918.	डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में सोने का स्थान	Sleeping Accommodation in Mail and Express Trains	790
2919.	बंगाल स्वदेशी कपास का निर्यात	Export of Bengal Indigenous Cotton	790-791
2920.	अलीपुरद्वार जंक्शन में विश्राम आवास मैस	Relieving Mess at Alipurduar Junction	791
2921.	रेलवे कर्मचारियों के लिये स्थानों का आरक्षण	Reservations of Seats of Railway Staff	791
2922.	बड़ी लाइन का कालका से आगे तक बढ़ाया जाना	Extension of B. G. Line Beyond Kalka	792
2923.	नारियल जटा से बनी वस्तुएं	Coir Products	792-793
2924.	अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्मेलन	International Development Conference	793-794
2925.	कपास के मूल्य	Prices of Raw Cotton	794
2926.	मंगोलिया के साथ व्यापार करार	Trade Agreement with Mangolia	794-795
2927.	विद्युत् चुम्बक सिग्नल उपकरण	Electro Magnetic Signalling Device	795
2928.	बीकानेर तथा जोधपुर डिवीजन पर एसिस्टेंट पर्सनल इंसपेक्टर्स के पद	Posts of Assistant Personnel Inspectors of Bikaner and Jodhpur Divisions	795-796
2929.	रेलवे में कार्मिक संघ	Trade Unions on the Railways	796
2930.	उत्तर प्रदेश के बाँदा मानिकपुर क्षेत्र में सीमेंट के कारखाने	Cement Factories in Banda-Manikpur area in U. P.	796

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2931.	कारों की बिक्री	Sale of Cars	796-797
2932.	उत्तर रेलवे के मुरादनगर स्टेशन के निकट गाड़ी में डाका डालने वाले और पुलिस के बीच मुठभेड़	Clash between Train Looters and Police near Moradnagar Station (N. Railway)	797
2933.	बिकाराबाद-पार्ली लाइन पर स्थित रेलवे स्टेशनों पर रोशनी का प्रबन्ध	Lighting Arrangements at Stations on Vikarabad-Parli Line	797
2934.	फूलबनी जिला (उड़ीसा) में खनिज सम्पत्ति	Mineral Wealth in Phulbani District (Orissa)	798
2935.	उड़ीसा के फूलबनी जिले में उद्योग	Industries in Phulbani District of Orissa	798
2936.	परलि स्टेशन के निकट उपरि पुल	Over bridge near Parli Station	798
2937.	रेलवे में कुत्ता दस्ता	Dogs Squad on Railways	798-799
2638.	अमरीका से कपास की खरीद	Purchase of cotton from USA	799
2939.	भारत रूसी संयुक्त उपक्रम	Indo USSR Joint Ventures	799-800
2940:	रबड़ का आयात	Import of Rubber	800
2941.	रबड़ के मूल्य	Prices of Rubber	800
2942.	राज्य व्यापार निगम द्वारा पटसन की खरीद	Purchases of Jute by STC	800-801
2943.	अलाभप्रद लाइनों पर गाड़ियों का बन्द किया जाना	Cancellation of Trains on Uneconomic Lines	801
2944.	काँगड़ा घाटी (छोटी लाइन) रेलवे को पुन: बिछाना	Re-alignment of Kangara Valley (N. G.) Railway	801
2945.	इसरायल को निर्यात	Exports to Israel	801-802
2946.	उड़ीसा में बड़ी औद्योगिक परियोजनायें	Major Industrial Projects in Orissa	802
2048.	ईरान के सहयोग से उद्योगों का विकास	Development of Industries with Iranian Collaboration	802-803
2949.	राज्यों में उद्योगों का विकास	Development of Industries in States.	803

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

		SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
2951.	कपड़ा मिलें	Textile Mills	803
2952.	रूसी विशेषज्ञ दलों की भारत यात्रा	Visit by Soviet Experts Teams	804
2953.	आगरा में जूता उद्योग	Shoe Industry in Agra	804
2954.	रेलवे में उच्च संवर्ग के कर्मचारी	Employees of Superior Cadre on Railways	804-805
2955.	रेलवे में रियायती दरों पर यात्रा सुविधाएँ	Concessional Railway Travel Facilities	805
2956.	मैसूर में उद्योगों का बन्द होना	Closure of Industries in Mysore	805-806
2957.	सूत और बालों से बनने वाले पट्टों और होज पाइपों का निर्माण	Manufacture of Cotton, Hair Belts and Hose Pipes	806
2958.	फिल्मों का निर्यात	Export of Films	806
2960.	पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन में चोरी	Pilferage in Asansol Division of Eastern Railway	806-807
2961.	गिरीडीह में चौकीदार	Gateman at Giridih	807-808
2962.	अलवाई स्टेशन के लाइसेंस-शुदा कुलियों का ज्ञापन	Memorandum from Licenced Porters of Alwaye Station	808
2963.	काली मिर्च का निर्यात	Export of Pepper	808-809
2964.	केरल में पुन्नुरून्नि में ऊपरी पुल	Overbridge at Punnuranni, Kerala	809
2965.	रेलवे विद्युतीकरण विभाग, इलाहाबाद से कर्मचारियों का तबादला	Transfer of Employees from Railway Electrification Department, Allahabad	809
2966.	बेरोजगार इंजीनियर	Unemployed Engineers	809
2667.	उदयपुर के पास जिंक पिघलाने का संयत्र	Zinc Smelter Plant near Udaipur	810
2968.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	Hindustan Zinc Ltd.	810
2969.	दोहरी रेलवे लाइनों का बिछाया जाना	Doubling of Railway Track	811
2970.	जहाज पर लदान से पूर्व निरीक्षण	Pre-Shipment Inspection	812

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2971.	तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी और शिल्पी वर्गों के रिक्त स्थानों का भरा जाना	Filling up of Vacancies of Class III and IV and Artisan Categories	812-813
2972.	भारतीय रेलवे का सतर्कता संगठन	Vigilance Organisation of Indian Railways	813
2973.	सतर्कता निरीक्षक	Vigilance Inspectors	813-814
2074.	भारतीय रेलों की स्टाफ कैन्टीनों को राजसहायता	Subsidy to Staff Canteens on Indian Rail-ways	814
2975.	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में चौथी श्रेणी के पद	Class IV Posts in Delhi Division of Northern Railway	814
2976.	कोयले की कीमत	Price of Coal	814-815
2977.	कोयला खानों को दी जाने वाली अर्थ सहायता	Subsidies payable to Collieries	815
2978.	कोयले की आवश्यकता	Requirements of Coal	815-816
2979.	पूर्व रेलवे में दानापुर के ट्रेन क्लर्कों की छँटनी	Retrenchment of Train Clerks on Danapur Dn., Eastern Railway	816
2680.	प्रबन्ध अभिकरण	Managing Agencies	817
2981.	प्रशीतकों (रेफ्रीजरेटरों) और वातानुकूलकों (एयर-कंडीशनरों) का आयात	Import of Refrigerators and Air condititioners	817-818
2982.	चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में सांकेतिक हड़ताल	Token Strike at Chittaranjan Locomotive Works	818
2083.	मनीपुर रोड स्टेशन पर आसाम मेल को रोकना	Stoppage of Assam Mail at Manipur Road Station	818-819
2684.	कागज के मिलें	Paper Mills	819
2985.	मनीपुर में सीमेंट के कारखाने की स्थापना	Setting up of Cement Factory in Manipur	819
2986	राजस्थान में खनिज उद्योग	Mineral Industry in Rajasthan	820
2987.	राजस्थान में अभ्रक का व्यापार	Mica Trade in Rajasthan	820
2988.	राजस्थान में रेलवे फाटक	Level Crossings in Rajasthan	821
2989.	अहमदाबाद से दिल्ली तक रेलवे लाइन	Railway line from Ahmedabad to Delhi.	821

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
2990.	हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड	Hindustan Zinc Ltd.	821
2991.	पटेल नगर रेलवे फाटक पर रिवाड़ी जाने वाली रेलगाड़ी को रोका जाना	Detention of Rewari bound train at Patel Nagar Level Crossing	821-822
2992.	कलकत्ता में भूमिगत रेलवे लाइन	Underground Railway line in Calcutta	822
2993.	दावा निरीक्षकों का चयन	Selction of Claims Inspectors	822-823
2994.	रेलवे कर्मचारियों को सीमा भत्ता	Border allowance to Railway Staff	823
2995.	सरसा और रिवाड़ी के रेलवे स्टेशन के बंगलों के साथ के नौकरों के मकान	Out houses attached to Railway Bungalows at Sirsa and Rewari Stations	823
2996.	ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास	Industrial Development in Rural Areas	823-824
2997.	कोटा डिवीजन के स्टेशनों पर शैड	Sheds on stations of Kota Division	824
2998.	उत्तर रेलवे अस्पताल, दिल्ली	Northern Railway Hospital, Delhi	824
2999.	उड़ीसा में खनन पट्टा लाइसेंसों का नवीकरण	Renewal of Mining of Lease Licences in Orissa	824
3000.	कानपुर स्टेशन पर टिकट कलेक्टर	Ticket Collectors at Kanpur Station	824-825
3001.	कानपुर स्टेशन के पूछताछ तथा आरक्षण विभाग के क्लर्क	Enquiry and Reservation clerks at Kanpur Station	825
3002.	हिजली तथा मचेदां स्टेशनों पर गाड़ियों में टक्कर	Collisions at Hiji and Macheda Stations	825
3003.	कपास के मूल्य में गिरावट	Fall in Price of cotton	825-826
3004.	बरौनी-कटिहार-बारसोई रेलवे लाइन	Barauni-Katihar-Barsoi Railway Line	826
3005.	कटिहार स्टेशन	Katihar Station	826
3006.	एल्युमीनियम उद्योग	Aluminium Industry	826-827

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3007.	कपास के मूल्यों में के बारे में विदर्भ सेतकारी सभा द्वारा पारित संकल्प	Resolution passed by Vidarbha Setakari Sabha re. cotton prices	827
3008.	कानपुर के समीप आसाम मेल का पटरी से उतर जाना	Derailment of Assam Mail near Kanpur	827-828
3009.	सोयाबीन से दूध और मांस के समान तत्वों वाला भोजन तैयार करना	Production of milk and meat substitutes out of Soyabeans	828
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	828-830
	अण्डमान की ऐतिहासिक सैलूलर जेल के गिराये जाने के समाचार	Reported Demolition of Andaman Cellular Jail	
	श्री समर गुह	Shri Samar Guha	
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	
	नीति सम्बन्धी वक्तव्य देने के बारे में	Re. Making of Policy Statements	830-832
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	832-833
	अधीनस्थ विधान समिति	Committee on Subordinate Legislation	833
	(1) कार्यवाही सारांश	(i) Minutes	
	(2) पहला प्रतिवेदन	(ii) First Report	
	सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	833
	सातवाँ प्रतिवेदन	Seventh Report	
	रेलवे आय—व्ययक—सामान्य चर्चा	Railway Budget—General Discussion	834-851
	श्री रामचन्द्र ज० अमीन	Shri Ramchandra J. Amin	
	श्रीमती उमा राय	Shrimati Uma Roy	
	श्री स० कुंडू	Shri S. Kundu	
	श्री रो० ला० चतुर्वेदी	Shri R. L. Chatuvedi	
	श्री रा० स्व० विद्यार्थी	Shri R. S. Vidyarthi	
	श्री पें० वेंकटासुब्बया	Shri P. Venekatasubbaiah	

विषय	SUBJECT
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri
श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी	Shri Gulam Mohamad Bakshi
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra
श्री सामिनाथन	Shri Saminathan
श्री मुहम्मद इस्माईल	Shri Mohammad Ismail
श्री काँबले	Shri Kamble
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash Vir Shastri
श्री तु० मू० शेठ	Shri T. M. Sheth
श्री चे० मु० पुनाचा	Shri C. M. Pooncha

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 5 मार्च, 1968/ 15 फाल्गुन, 1889 (शक)

Tuesday, March 5, 1968/ Phalguna 15, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बन्द पड़े बागानों का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

*421. †**श्रीमती सुशीला गोपालन** : **श्री एस्थोस** :
श्री उमानाथ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बन्द पड़े बागानों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेने के उद्देश्य से बागानों को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के क्षेत्राधिकार में लाने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी):

(क) तथा (ख) ऐसा समझा जाता है कि बन्द पड़े बागानों के प्रबन्ध को हाथ में लेने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 को लागू नहीं किया जा सकता।

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या सरकार उन बन्द पड़े चाय के बागानों को अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है जहाँ पर हजारों मजदूरों का रोजगार छिन रहा है। क्या सरकार कपड़ा निगम अधिनियम से मिलता-जुलता कोई विधेयक लाना चाहती है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : स्थिति यह है कि केवल दो बागानों को बन्द किया गया था और कोई मजदूर बेरोजगार नहीं हुए क्योंकि उन्हीं मजदूरों को मालिक द्वारा नये बागानों में काम

दे दिया गया था। अतः सरकार स्थिति को ध्यानपूर्वक देख रही है। और हम कह रहे हैं कि इन कुप्रबन्धित बागानों को अपने हाथ में लेने के लिए राज्यों को अधिक शक्तियाँ दी जानी चाहिए।

श्री सु० कु० तापड़िया : केरल के उन चाय बागानों में आतंक और तनाव का वातावरण फैल रहा है जहाँ पर कि मार्क्सवादी श्रम आन्दोलन चालू कर रहे हैं। इन चाय बागानों के बन्द होने के लिए आतंकवादी कार्यवाहियाँ कहाँ तक जिम्मेदार हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह): जैसा कि मेरे साथी ने बताया पिछले वर्ष केवल दो बागान बन्द हुए थे। बेरोजगार हुए श्रमिकों को अन्य बागानों में रोजगार दे दिया गया था। ऐसा स्पष्टतः श्रमिक गड़बड़ियों के कारण नहीं था।

श्री श्रीधरन : चुनावों के मौके पर सरकार हमेशा ही समाजवाद के बारे में बढ़-चढ़ कर बातें करती है। एक बड़ी संख्या में केरल के चाय बागान हितबद्ध लोगों के हाथों में हैं, वास्तव में पश्चिमी तथा यूरोपीय लोगों के हाथों में। जब वे श्रमिकों के अधिकारों को कुचलना चाहते हैं, वे बहाने करते हैं और बागानों को बन्द कर देते हैं। इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है और क्या सरकार उनका राष्ट्रीकरण करना चाहती है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : जहाँ तक रबड़ के बागानों का सम्बन्ध है, कुछ क्षेत्र लगभग 4,07,000 एकड़ है। इसका मुश्किल से 6.7 प्रतिशत स्टर्लिंग कम्पनियों के हाथ में है। श्रमिकों को हड़ताल केवल उन्हीं कम्पनियों के बागानों में नहीं अपितु सभी बागानों में थी। जहाँ तक रबड़ बागानों का सम्बन्ध है ऐसी कोई कठिनाइयाँ नहीं हैं।

श्री श्रीधरन : मैंने रबड़ बागानों का नहीं अपितु विशेष रूप से चाय बागानों का जिक्र किया है।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : केरल बागानों से हमें कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

Shri M. A. Khan : May I know the number of tea plantations owned by Sterling Companies and whether Government propose to take retaliatory measures to offset the hardships caused to the uprooted Kenyan Indians by rehabilitating them on those tea plantations ?

Shri Mohammad Shafi Qureshi: Out of the total planted area, an area of 3,60,000 acres is in the hands of sterling companies and 4,82,402 acres in the hands of Indians.

The steps suggested by the hon.Members are not feasible, nor they arise out of the main question.

श्री रंगा : क्या इन बागानों में श्रमिकों की सेवा की शर्तें वे ही हैं जो कि केरल में सरकारी बागानों में हैं। क्या ये बागान उद्योग अधिनियम (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : यह देखना राज्य सरकारों का काम है कि उनके राज्यों में न्यूनतम मजूरी अधिनियम को क्रियान्वित किया जाता है या नहीं। बागानों की कार्यवाही पर केन्द्र भी निगरानी रखता है।

श्री रंगा : यदि उनके पास जानकारी नहीं है तो वह ऐसा कहें। मैंने यह पूछा है कि क्या वहाँ सेवा की शर्तें सरकारी बागानों में सेवा की शर्तों से भिन्न नहीं हैं ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : भिन्न-भिन्न बागान में भिन्न हालतें होती हैं। हाल ही में मैंने केरल में देखा कि नारियल जटा श्रमिक को 9 घंटे काम के लिए केवल 60 पैसे दिये जाते हैं।

किन्तु केन्द्र इसके लिए किस प्रकार जिम्मेदार है ? न्यूनतम मजूरी अधिनियम को पालन करना राज्य सरकारों का काम है।

श्री अब्राहम : क्या सरकार श्रमिक सहकारी समितियों को इन बागानों का प्रबन्ध सौंपने को तैयार है ? दूसरे, क्या सरकार को कन्नड़ देवन चाय बागान मुन्नार के प्रबन्ध का पता है जिसे कि ब्रिटिश हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार उस कम्पनी के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेना चाहती है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : जैसा कि मैंने पहले बताया इस समय सरकार का इरादा इन बागानों को अपने हाथ में लेने का नहीं है। यदि आवश्यक समझा गया तो चाय अधिनियम में संशोधन करना होगा।

श्री वेदव्रत बरुआ : क्या सरकार को पता है कि आसाम में जो चाय बागान यूरोपीय मालिकों के हाथ में है, उनके मालिक उनकी ओर बड़ी लापरवाही बर्त रहे हैं, यदि हाँ, तो सरकार इसको रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है ताकि हमारे चाय उद्योग को नष्ट होने से बचाया जा सके क्योंकि अन्य देशों में चाय के बाग लगाना चाहते हैं ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : चाय बोर्ड इन बागानों की कार्यवाही पर निरन्तर निगरानी रख रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि चाय का उत्पादन कम नहीं हुआ है। इस वर्ष 3800 लाख किलोग्राम का रिकार्ड उत्पादन हुआ है।

श्री लोबो प्रभु : क्या राष्ट्रीकरण सरकार की विदेशी पूंजी को आमंत्रित करने की नीति के विरुद्ध नहीं है ? दूसरे क्या सरकार को पता है कि सूरतगढ़ में रूसियों द्वारा दिये गये फार्म और हमारे फार्म घाटे में चल रहे हैं ? क्या सरकार समझती है कि ये फार्म लाभ अर्जित कर सकते हैं जब कि ये घाटे में चल रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रश्नकाल जानकारी प्राप्त करने के लिये होता है न कि नीति सम्बन्धी मामलों पर चर्चा करने के लिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि सरकारी बागान हैं तो वह उनके बारे में पूछ रहे हैं, न कि नीति सम्बन्धी मामलों के बारे में।

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य जो कुछ पूछ रहे हैं मैं, तो उसकी परवाह भी न करता, परन्तु मुझे खेद है....

श्री लोबो प्रभु : मैं निश्चय ही इसका विरोध करूँगा। प्रश्न पूछने का मेरा अधिकार है तथा मंत्री को इसका उत्तर देना ही होता है। मैं उनके विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रस्ताव रखूंगा। असम्मानपूर्ण शब्द कहने का उनका कोई मतलब नहीं।

श्री दिनेश सिंह : मैं समझता हूँ कि इस प्रकार क्रोधित होना असभ्यता की सीमा है।

श्री लोबो प्रभु : आप भी अच्छे आचरण का प्रदर्शन कर सकते हैं।

श्री दिनेश सिंह : जो कुछ मैं कह रहा था वह....

श्री हेम बरुआ : प्रश्न-काल के समय जानकारी प्राप्त करने का किसी भी सदस्य को अधि-

कार है परन्तु मंत्री को यह अधिकार नहीं कि, यह कहकर कि सदस्य क्रोधित हो रहे हैं, वह सदस्य की कटु-आलोचना कर सकें।

अध्यक्ष महोदय : मैं तो यही कह सकता हूँ कि किसी को भी क्रोधित नहीं होना चाहिए।

श्री बलराज मधोक : उन्हें प्रश्न को टालना नहीं चाहिए।

श्री लोबो प्रभु : आपको एक सदस्य को इससे बचाना है।

श्री हेम बरुआ : मंत्री महोदय को सदस्य की कटु-आलोचना अथवा उन पर व्यक्तिगत आक्षेप करके, मामले को टालना नहीं चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूँ और इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी को भी क्रुद्ध नहीं होना चाहिए।

श्री दिनेश सिंह : मैंने जो कुछ कहा उसका यह अर्थ था कि अध्यक्ष महोदय के कुछ निर्देश हैं तथा मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या मुझे नीति सम्बन्धी बातों में जाना पड़ेगा। मैं आपके निर्देशों का पालन करूँगा। किसी भी सदस्य के प्रति असम्मान दिखाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : वह प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर दें।

श्री सु० कु० तापड़िया : नियम यह नहीं कहते कि उन्हें असम्मानजनक शब्द बोलने चाहिए।

श्री दिनेश सिंह : जहाँ तक प्रश्न का सम्बन्ध है मेरे साथी ने विस्तार से विचार किया है तथा स्पष्ट किया है कि चायरोपण को अपने अधीनस्थ करने का हमें अधिकार नहीं है और हम चायरोपण को अधीनस्थ करने के लिए कोई विधि बनाने का भी विचार नहीं कर रहे हैं। यह बात कहाँ जाकर रुकती है? यही मेरा सारा प्रश्न था। सूरतगढ़ फार्म एक क्षेत्र है तथा इसके सम्बन्ध में दूसरा मंत्रालय कार्य कर रहा है। इस प्रश्न से उस मामले को जोड़ने का क्या अभिप्राय था? हम स्पष्ट कर चुके हैं कि चायरोपण को अधीनस्थ करने के लिए हमारे पास इस समय कोई नियम नहीं हैं। कोई नियम बनाने का भी हमारा कोई विचार नहीं है।

Shri Deven Sen : Will the Hon. Minister be pleased to state whether or not the tea-export, tea-production and the number of labourers working in the tea-gardens has reduced ?

श्री दिनेश सिंह : मेरे साथी ने अभी-अभी सभा को बताया है कि इस वर्ष चाय का उत्पादन बढ़ गया है।

Shri Deven Sen : I have asked whether, or not the tea-production has decreased and whether or not the number of the labourers working in the tea-gardens has reduced.

Shri Mohammad Shafi Qureshi : As regards the labourers of tea-gardens, their number has not decreased and so far as tea-production is concerned, it is an all-time record this year and the production of tea is 380 million Kilograms.

श्री ज्योतिर्मय बसु : कुछ समय पूर्व सरकार ने लाखों रुपये खर्च किये तथा एक चायरोपण जाँच-आयोग की स्थापना की और उस आयोग ने एक मूल्यवान प्रतिवेदन दिया। विशेष रूप से एक सज्जन स्वर्गीय श्री शिवास्वामी ने रोगी तथा अलाभप्रद चायरोपण के बारे में विशिष्ट सिफारिशें की थीं। क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूँ कि क्या सरकार ने उन सिफारिशों पर विचार किया तथा उनको कार्यान्वित रूप देने के लिए क्या कदम उठाये ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : वे सिफारिशें सरकार के सामने हैं तथा वह उन पर विचार कर रही है। मेरे माननीय मित्र इन चीजों को जानते हैं क्योंकि यदि वह चाय-रोपक नहीं तो लंदन में वह स्वयं एक अच्छे चाय-स्वादक तो रह चुके हैं। चाय-सम्पदा में सुधार लाने के लिए हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन केवल पूर्वीय क्षेत्र में ही नहीं प्रत्युत दक्षिण-भारत में भी।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सत्य नहीं है कि कुल्लु और काँगड़ा घाटी के कुछ क्षेत्रों में उत्पन्न चाय निम्नकोटि की है तथा क्या यह भी सत्य नहीं है कि चायरोपण-अधिनियम में कुछ छूट दिये जाने के कारण हजारों मन चाय वहाँ ऐसे ही पड़ी है। क्या सरकार उन क्षेत्रों में चाय-रोपण के काम को बन्द होने से बचायेगी ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मुझे कुछ समय चाहिए।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सत्य नहीं है कि चाय-रोपण सम्बन्धी समस्याओं की जाँच करने तथा विदेशों में चाय के निर्यात को बढ़ावा देने के उपायों का सुझाव देने के लिए, कुछ समय पूर्व श्री पी० सी० बरुआ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई थी, यदि हाँ, तो चाय उद्योग में वे कौन-सी समस्यायें हैं जिनका उल्लेख इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में किया था ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : चाय-रोपण उद्योग के समक्ष बहुत सारी समस्यायें हैं जैसे, पुराने चायरोपण के स्थान पर नये चायरोपण का प्रश्न, खादों का संभरण, कीटनाशी व फफूंदनाशी, पदार्थ छिड़काव, सिंचाई, दूसरे देशों के मुकाबले में नई निर्यात मंडियों का विकास आदि। प्रतिवेदन अभी नहीं आया है। जब यह आयेगा तो इस पर विचार किया जायेगा।

विदेशों में भेजे गये भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डल

*422. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967–68 में कितने व्यापार प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजे गये ;

(ख) उपरोक्त अवधि में कितने व्यापार प्रतिनिधिमंडल विदेशों से भारत में आये ;

(ग) कितने व्यापार सम्बन्धी करारों की अवधि बढ़ाई गयी तथा कितने नये करार किये गये ;

(घ) इन प्रतिनिधिमंडलों के दौरे के परिणामस्वरूप कितना व्यापार बढ़ा ; और

(ङ) व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के विदेश जाने पर उपरोक्त अवधि में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) 1967–68 वर्ष में भारत से 16 व्यापार प्रतिनिधिमंडल विदेशों में भेजे गये।

(ख) उपर्युक्त अवधि में 18 व्यापार प्रतिनिधिमंडल भारत में आये।

(ग) 10 व्यापार करारों / प्रबन्धों का पुनः नवीकरण किया गया अथवा उनकी अवधि बढ़ाई गई तथा 3 नये करार / प्रबन्ध किये गये।

(घ) व्यापार में वृद्धि अथवा ह्रास के अनेक कारण होते हैं। प्रतिनिधिमंडल के दौरों तथा व्यापार करारों के प्रभाव को अलग-अलग आँकना सम्भव नहीं है।

(ङ) 1967-68 वर्ष में इन व्यापार प्रतिनिधिमंडलों के विदेश जाने पर लगभग 78,000 रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय हुई ।

Shri Prem Chand Verma : I want to know as to what do our Trade High Commissioners abroad do in regard to enhancing our trade ; from which country has the Government received complaints against our Trade High Commissioners that they do not carry out their duties properly ; and whether the Government is satisfied with the duties performed by all the Trade High Commissioners, if not, then what effective steps does the Government porpose to take in this regard which may be conducive to the expansion of our trade ?

Shri Mohammad Shafi Qureshi : Our High Commissions or Embassies have attaches or counsellors who supervise trade and business etc. As per information avialble to us so far, all the trade missions or delegations of traders who go abroad are given all possible co-operation. We have no complaints in this regard.

Shri Prem Chand Verma : I want to know from the Hon. Minister as to what had been the total export during 1966-67 and, as compared with it, what has been the increase as a result of the efforts of their trade missions, as also the total export during 1967-68; and what steps is the Government taking to increase export and how many trade- missions are proposed to be sent abroad this year ?

Shri Mohammad Shafi Qureshi : If I reply to the first question, almost whole of the question-hour will be consumed. If the Hon.Member wants....... (**Interruptions.**)

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मेरे पास आँकड़े हैं। मैं प्रति देश के हिसाब से लेता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आप इसे सभा-पटल पर रख सकते हैं। आपने कहा है कि यदि आपको विस्तृत ब्यौरा देना है तो आप सारा ही प्रश्न-काल ले लेंगे।

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मुझे प्रत्येक देश का ब्यौरा देना पड़ेगा।

Shri Prem Chand Verma : I have asked for the total amount. From that we will know whether it has increased or decreased.

Shri Mohammad Shafi Qureshi : I cannot give the figures of all the countries but I have for a few. If you take up the figures for Bulgaria, export there was of Rs.33 million in 1963 and it has now gone up to Rs.165 millions. Similarly , export for Czechoslovakia was Rs.138 millions in 1968 and now it has reached up to Rs.392 millions. Likewise, I have the figures all for G.D.R., Hungary, Poland, Romania, Yugoslavia, U. A. R., Algeria, Aden and Iraq. I will place them on the Table.

Shri Prem Chand Verma : Please answer the rest of the question. It has not been replied to.

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): In so far as the first question of the Hon. Member is concerned my colleague has, told that he would place the figures on the Table of the House ; but I may state that as compared with the figures of the last year, there has been an increase of 7 percent in our export this year. As regards the number of trade missions to be sent this year, we cannot say as to how many trade missions will be necessary to be sent. The House will understand that some of our trade-missions are sent to discuss about our trade-ageeements and some are to be sent at specific occasions to sell specific goods. During the Arab and Israel conflicts last year, we had sent a few trade missions so as to facilitate the purchases by Arab countries. We send them as and when required, for selling our goods.

Shri Rabi Ray : Will the Hon. Minister be pleased to state whether an informal delegation consiting of 4 Congress Members and headed by Shri Maheeda, went to East Africa but when

they reached there, they had no foreign exachange to pay the bills ; if so, who were in that delegation and who issued P-Form to them as also who gave money to them to pay the bills ?

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, I will have to examine it. If you so desire, I shall give the information to the House after examination.

Shri Madhu Limaye: Don't you know it ? They had gone to increase good will and trade ....(**interruption**)

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। वे मुझसे भी मिले थे। मैं इसका उत्तर देना जरूरी नहीं समझता।

श्री नन्दकुमार सोमानी : विभिन्न व्यापार प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों का चुनाव योग्यता को छोड़ अन्य विचारों के आधार पर होता है जिसके परिणामस्वरूप जब वे लौटते हैं तो अत्यन्त मध्यम कोटि का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, तथा इससे भी बुरा तो यह होता है कि उन प्रतिवेदनों का भी भारत सरकार द्वारा प्रतिसंभरण तथा प्रतिगमन नहीं किया जाता। इस दृष्टि से क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार ने ऐसे किसी संगठन की स्थापना की है जो इन व्यापार दलों के लौटने पर विभिन्न विषयों की प्रगति का अवलोकन करे ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य जानते हैं कि इनमें से कुछ व्यापार प्रतिनिधि-मंडल सरकारी स्तर पर भेजे जाते हैं। वे उन देशों से हमारे व्यापारिक सम्बन्धों की जाँच करने जाते हैं। वे अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं तथा इन पर विस्तार से विचार किया जाता है। मैं खुश हूँ कि माननीय सदस्य की इस बात मैं सहमत नहीं कि ये प्रतिवेदन मूल्यहीन होते हैं। इन व्यापार प्रतिनिधि-मंडलों के बारे में, जिनमें व्यापारी भी भाग लेते हैं, हम निर्यात संवर्द्धन परिषद् से परामर्श लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम स्वेच्छा से कुछ लोगों को चुन लेते हैं। यह व्यापार-संवर्द्धन परिषदों द्वारा किया जाता है तथा जैसा कि माननीय सदस्य भली प्रकार जानते हैं, जब वे अपने प्रतिवेदन में किसी बात की सिफारिश करते हैं तो उस पर विचार किया जाता है तथा जहाँ तक सम्भव होता है उसे कार्यान्वित किया जाता है।

श्री प० गोपालन : विदेशों के हमारे व्यापार को संवर्द्धित करने के लिये विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों में हमारे व्यापार-प्रतिनिधि तथा अटेशियाँ हैं जिन पर भारी खर्च होता है। फिर भी हमारी सरकार समय-समय पर व्यापार प्रतिनिधि-मंडलों को विदेशों में भेजती रहती है। क्या इसका यही अभिप्राय है कि हमारे व्यापार-प्रतिनिधि तथा दूसरे व्यापार अधिकारी जो कि हमारे दूतावासों से सम्बन्धित हैं, अपना कर्त्तव्य पूरा करने में असफल रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या यह समय नहीं है कि वह इन सिबन्दियों को बन्द कर दें ?

श्री दिनेश सिंह : ये दोनों सर्वथा भिन्न कार्य हैं। हमारे राजनयिक प्रतिनिधि मंडलों में जाने वाले व्यापार प्रतिनिधियों का कार्य यहाँ से जाने वाले व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों के कार्य से भिन्न होता है। हमारे व्यापारिक प्रतिनिधि अधिकारी होते हैं जो हमारे हितों की ओर ध्यान देते हैं और जानकारी भेजते रहते हैं और जहाँ आवश्यक है हमारी ओर से हस्तक्षेप करते हैं। व्यापार प्रतिनिधि मंडल व्यापारिक करारों के सम्बन्ध में बातचीत करने के लिये जाते हैं। यह कार्य स्थानीय प्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जा सकता।

श्री क० नारायण राव : क्या प्रतिनिधि मण्डलों के आने-जाने से नई वस्तुओं के लिये मण्डियों का पता लग पाया है ?

श्री दिनेश सिंह : जी, हाँ।

श्री बलराज मधोक : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि व्यापार में जिस वृद्धि का उल्लेख माननीय मंत्री ने किया है, वह मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप के देशों और रूस के मामले में ही बढ़ा है और वह भी इसलिये कि उन्होंने रुपये में भुगतान स्वीकार कर लिया है। यही कारण है कि वे सस्ती दरों में पर हमारा माल बड़ी मात्रा में खरीद रहे हैं और फिर उन वस्तुओं को अन्य देशों को निर्यात किया जाता है, जिसका उन देशों के साथ हमारे व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है। क्या इस प्रकार की बात को रोका जायेगा? राजनीतिक हितों को वाणिज्यिक तथा आर्थिक हितों के ऊपर रखा जायेगा ? दूसरी बात है कि क्या यह सच है कि हमारे राजदूतावासों में से अधिकतर ऐसे वाणिज्य-दूत हैं जो व्यापार के बारे में कुछ नहीं जानते ? अतः क्या वाणिज्य और व्यापार का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिये कोई कदम उठाये गये हैं ?

Shri Dinesh Singh : I do not agree to the opinion that we are incurring losses on account of our agreement with the East European countries. On the other hand it has boosted our exports to a marked extent. Of course, we have received some complaints about the switch trade. But on account of this there is no bar on our exporting goods to other countries. As regards the second question our trade attaches are our officials and this is in conformity with the practice followed in other countries. In the Report brought out by the British Foreign Service it has been stated that all the services in the foreign missions should be manned by foreign service personnel. Therefore, what I want to stress is that it is not necessary that we should have businessmen there. Our representatives there can also help to increase our trade.

Shri Shiv Chandra Jha: Was any Indian Trade Mission sent to Japan recently for the purchase of fertiliser, if so, what are the details of the agreement concluded ?

Shri Dinesh Singh : I do not know whether any trade mission on fertilisers had gone abroad. I shall have to gether from the Ministries of Food and Petroleum, if they have sent any.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या पश्चिम यूरोप के देशों को अपरम्परागत वस्तुओं का निर्यात करने के लिये कोई प्रयत्न किए गए हैं ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : परम्परागत वस्तुओं के स्थान पर गैर-परम्परागत वस्तुओं का निर्यात करने के लिये हमने प्रयत्न किए हैं और हमें इसमें पर्याप्त सफलता मिली है।

Shri Shrichand Goyal : The failure of our trade missions abroad is an established fact. May I know whether taking advantage of the U.N.C.T.A.D. Conference going on here in Delhi, any trade agreements with,foreign countries have been concluded and what is the number of trade agreements concluded in the interest of our country ?

Shri Dinesh Singh : The Conference is still going on. The hon. Member should wait till it is over. We have, ofcourse, concluded some trade aggrements with the representatives of certain countries.

रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों का कार्य-संचालन

*424. **श्री सीताराम केसरी** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई के इस्पात कारखाने को वर्ष 1966–67 में भारी हानि हुई थी और यदि हाँ, तो कितनी राशि की ;

(ख) क्या रूरकेला और दुर्गापुर के इस्पात कारखानों को भी उपरोक्त अवधि में हानि हुई;

(ग) क्या इन कारखानों के कार्य-संचालन का ऋणों में भुगतान पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(घ) क्या हानि के कारणों का पता लगाया गया है और यदि हाँ; तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक):

(क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 341/68]

Shri Sita Ram Kesri : Colossal losses have been sustained in Bhilai, Rourkela and Durgapur steel plants. May I know whether Government had foreseen these losses, if not, the names of the persons held responsible for this or whether any measures have been devised to trace the lacunae ?

The Minister of Steel , Mines and Metals (**Dr. Channa Reddy**) : The main reason for the loss is that the built-in-capacity is not being utilised to the fullest extent. There are, of course, other contributory factors such as lack of proper maintenance, labour trouble etc. I will lay a detailed statement in this regard on theTable of the House.

Shri Sita Ram Kesri : May I know whether in regard to Durgapur any offer had been made to any military officer to keep the labour in discipline and whether that officer was declined?

Dr. Channa Reddy: As regards labour siutation our Labour Minister and myself are having a dialogue with the labour leaders of the All India organisations. I also welcome the Bill introduced by an hon. Member. As regards the appointment of a Military Officer, we take only experienced persons as in other departments. This has nothing to do with labour.

अध्यक्ष महोदय: मा० मंत्री ने स्वयं अधिक ब्यौरे देने की बात कही है अत: हम अगले प्रश्न को लेंगे।

बर्लिन में राज्य व्यापार निगम का कार्यालय

*425. †**श्री रामावतार शास्त्री :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री चक्रपाणि : **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मन लोकतंत्र गणराज्य के विदेशी अर्थ व्यवस्था के उप-मंत्री हेज्ज ई० कट्नेर ने भारत और जर्मन लोकतंत्र गणराज्य के बीच बढ़ रहे व्यापार को सम्भालने में पूर्वी बर्लिन स्थित राज्य व्यापार निगम के कार्यालय की क्षमता के बारे में असंतोष व्यक्त किया है ;

(ख) क्या उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापार को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिये पूर्वी बर्लिन में भारत के स्थायी व्यापार प्रतिनिधित्व को स्थापित करने का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

Shri Ramavtar Shastri : What are the difficulties experienced in the appointment of permanent representatives in socialistic countries and what is the quantum loss suffered in the absence of permanent representation in those countries ?

Shri Dinesh Singh: A little while earlier we were feeling how we have increased our trade with the East European Socialist Countries. Our trade with the German Demorcatic Republic has considerably increased. The hon. Member's assertion that we do not have our permanent office there is not correct. Our Indian Trade organisation is working there.

Shri Ramavtar Shastri : The office of the S. T. C. is of course, there. But there is no permanent arrangement there.

Shri Dinesh Singh : S. T. C's. office is also permanent. I am not able to follow what the hon. Member means by 'permanent'.

श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकती हूँ कि वहाँ स्थायी व्यापार-प्रतिनिधि क्यों नहीं है तथा सरकार वहाँ एक स्थायी व्यापार-प्रतिनिधि नियुक्त करने में क्यों हिचकती है जबकि दोनों देशों के मध्य व्यापार वर्ष-प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है ? क्या वह पश्चिम जर्मनी के दबाव के कारण हिचक रही है ?

श्री दिनेश सिंह : मैं समझता हूँ कि प्रश्न यह है कि हमारा वहाँ कोई सरकारी तौर से स्थायी व्यापार-प्रतिनिधि क्यों नहीं है। इसका उत्तर यह है कि अब तक उस देश से हमारे राजनयिक सम्बन्ध नहीं हैं।

कुछ माननीय सदस्य : ऐसा क्यों है ?

अध्यक्ष महोदय : यह अन्य बात है।

श्री चक्रपाणि : इस सत्य की दृष्टि से कि भारत और जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के मध्य व्यापार बढ़ रहा है तो क्या मंत्री महोदय अपनी अर्थ-व्यवस्था व देश के हितों को ध्यान में रखकर उस देश को मान्यता देने पर विचार करेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि यह एक बहुत बड़ा राजनैतिक प्रश्न है और जिस मंत्रालय की ओर से मैं उत्तर दे रहा हूँ केवल उस तक सीमित नहीं है।

श्री हो० ना० मुकर्जी : मुझे आशा है कि मंत्री महोदय अनुभव करते हैं कि वह उस मंत्रीमण्डल के सदस्य हैं जो संयुक्त निर्णयों को लागू करता है। ऐसी उनसे अपेक्षा है। खैर, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि इन वाणिज्य मंत्री के लिये यह क्यों असम्भव है कि वह हमारे द्वारा जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को एक द्वितीय श्रेणी का देश कहे जाने का दोष मिटा सकें, जबकि मंत्री महोदय, की स्वयं की गणना के अनुसार, इस देश ने हमारे निर्यात को बढ़ाने में अत्यधिक सहायता दी है और यह महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वह देश औद्योगिक क्षेत्र में स्वयं बहुत आगे है। हम उस देश से पूर्ण राजनयिक सम्बन्ध क्यों नहीं स्थापित करते; क्योंकि इससे

दोनों को पारस्परिक व्यापार की वृद्धि में प्रभाव पड़ेगा? इस विचार से क्या मैं जान सकता हूँ कि वाणिज्य मंत्रालय क्यों उतना उत्तान है कि इस कार्यवाही को ठीक करने के लिये कोई कदम नहीं उठाता?

श्री दिनेश सिंह : मैं माननीय सदस्य के इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारे व्यापार में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथा जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य द्वारा हमारे निर्यात-वर्द्धन में हमें इस सीमा तक सहायता दी जा रही है। मैं उस बात को भी अनुभव करता हूँ जिसे उन्होंने मुझे अनुभव करने को कहा है। परन्तु आप द्वारा प्रदत्त इस अल्प समय में मैं यह बता देने में असमर्थ हूँ कि हमने जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को राजनयिक मान्यता क्यों नहीं दी। इसका अपना इतिहास है। माननीय सदस्य इतिहास के जिज्ञासु विद्यार्थी हैं तथा सब बातों को जानते हैं। इस सदन में इस विषय पर अनेक बार विचार-विमर्श व वाद-विवाद हुए हैं।

Shri Maharaj Singh Bharati : We have no objection in carrying on our trade with West Germany peacefully . We have been having long term agreement with East Germany also. They will give us many basic things, and we too will in our turn; so it is a very strange situation when we have deemed trade and long-term agreements with a country but simultaneously we refuse to recognise it as a country. I want to know that in view of our country's interest at least, can't you on establish a permanent trade-tent so as to secure our trade ? What is the difficulty in that ?

Shri Dinesh Singh : There is no difficulty. A strong tent has been established there.

Shri Maharaj Singh Bharati : Please construct a building. You have fixed only a tent there.

श्री विश्वनाथ मेनन : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या मद्रास में जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के प्रतिनिधि को अपनी कार पर अपना ध्वज रखने की अनुमति नहीं है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री दिनेश सिंह : मैं नहीं जानता, श्रीमान।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : क्या मंत्री महोदय सभा को बतायेंगे कि क्या पूर्व जर्मनी से व्यापार-सम्बन्ध बढ़ाने से पश्चिम जर्मनी भारत को दी जाने वाली सहायता घटा देगा तथा क्या इस प्रकार की शिकायत पश्चिम जर्मनी से प्राप्त हुई है?

श्री दिनेश सिंह : नहीं महोदय।

Sulphur Deal with M/S. Oval Industries

*426. **Shri Madhu Limaye** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the sulphur deal with M/S. Oval Industries was signed at the instance of or with the good offices of Shri M. R. Dutt and Major Vipin K. Khanna and that a new firm named M/S. Amarjyothi was formed for the purpose of earning Rs.11 lakhs as Commission by making Shrimati Dutt a partner in that firm; and

(b) if so, the action proposed to be taken against Shri Dutt, Major Khanna and the concerned Officers in his Ministry and the State Trading Corporation ?

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh) :

(a) The Committee on Public Undertakings had enquired into the deal made by S.T.C. with Oval Industries for the supply of sulphur. Their report is already before the House.

(b) The observations and recommendations of the Committee are being examined by Government and Government's observations will be sent to them shortly.

Shri Madhu Limaye : Is the Hon. Minister aware that on my repeated requests, he had referred the matter, connected with the Sulphur Agreement by the State Trading Corporation, to the Public Undertaking Committee, as on special case, and the report of the Committee is not an ordinary one; so I want to know whether the Government will take action, within fifteen days with a view to implement the specific recommedations made by the committee and that the Public Undertaking Committee will be informed accordingly ?

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, this House is well aware of the regulations laid down by you in this regard. This report has reached us in December, and as I have said, Government, is looking into what they have said and recommanded. Government has been given a time also for it.

Shri Madhu Limaye : How much time has been given ?

Shri Dinesh Singh : Up to March probably. We shall submit our views to this Committee within this period.

Shri Madhu Limaye : This Commitee in its report—quite a lengthy report, I shall read only one sentence—has said

"समिति को ज्ञात होता है कि प्रस्ताव की उपयुक्तता के सम्बन्ध में. राजकीय व्यापार निगम तथा मंत्रालयों के अधिकारियों द्वारा बहुत ही कम जाँच की गई है।"

that is, it means sulphur.

"सचिवों का निर्णय, 55 डालर प्रति टन की दर से प्रस्ताव स्वीकार करने से सम्बन्धित है जो कि पहले क्रय की गई दरों से ऊँची है।"

In additon to it, I will say that the background of a foreign company should be ascertained, before going into an agreement with. The committee has stressed upon this also. I am now asking an ordinary question from the Hon. Minister. In view of this report, have you laid down some rules of procedure under which it will be essential to first ascertain the back ground of a foreign company before going into a big agreement with it so that there might be no repeatition of Sulphur Agreement, no harm is caused to nation's name and the nation might not have to suffer a loss in foreign exchange ?

Shri Dinesh Singh : Mr. Speaker, in reply to the Hon. Members question, I want to say that there had been rules for it and those have been ordered to be complied with strictly. As regards the report of the Committee you know that I cannot say anything until we submit our views to the Committee and the issue is concluded.

आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम आ सकने वाली वस्तुएँ

***427. श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में निर्माण करने के अभियान के परिणामस्वरूप गत दो वर्षों में भारतीय उद्योगों के लिये अपेक्षित उपकरणों तथा कच्चे माल के आयात में कोई कमी हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो आयात में कितनी कमी की गई है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा बचाई गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानुप्रकाश सिंह)

(क) और (ख) जी हाँ। आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर काम आ सकने वाली वस्तुओं सम्बंधी आन्दोलन एक निरन्तर चलती रहने वाली प्रक्रिया है और सुव्यवस्थित ढंग से उठाए गए कदमों के कारण कई उद्योगों में आयातित पुर्जों तथा माल में कमी करने में पर्याप्त सफलता मिली है। वर्ष 1966–67 में उसके द्वारा विदेशी मुद्रा में हुई अनुमानित बचत 32 करोड़ रुपए है।

श्री वीरेश्वर कलिता : उन्होंने जो कुछ कहा है सब गलत कहा है क्योंकि 28 दिसम्बर के **इकोनोमिक टाइम्स** के अनुसार इंजीनियरिंग ऐसोसियेशन ऑफ इण्डिया ने अपने स्मरण-पत्र में कहा है—"वर्ष 1966–67 में 600 करोड़ रुपए की मशीनरी का आयात किया गया तथा वर्ष 1967–68 के गत छः मासों में 270 करोड़ रुपए की मशीनरी का..." मंत्री महोदय ने जो कहा है, मैं समझता हूँ, वह ठीक नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने कल-पुर्जों के आयात को कम करने के लिये अब तक क्या उपाय किए हैं?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

यह स्पष्ट किया जा चुका है कि हमारी ओर से तो आयात प्रतिस्थापन ही हमारी नीति का मुख्य अंग है, जिसका उद्देश्य अपने देश में भारतीय वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना है तथा इस हेतु, विशेष रूप से चीनी आक्रमण तथा पाकिस्तानी संघर्ष के बाद से, अपने ही देश में सामान बनाने के हम निरन्तर उपाय करते आ रहे हैं। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया, वर्ष 1966–67 में 32 करोड़ रुपए की बचत हुई। इस वर्ष के बारे में हमारे पास आँकड़े नहीं है। परतु हमारी प्रायः 35 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत होने की सम्भावना है। बहुत से कदम उठाये गए हैं। आयात 'प्रतिबन्धित-सूची' पर लिखित वस्तुएं भारी संख्या में है जिनका आयात करने की अनुमति नहीं है। भारतीय माल, जो कि यहीं निर्मित हो सकता है, के उत्पादन के लिये हर प्रोत्साहन भी दिया जाता है। केवल उन्हीं वस्तुओं के बारे में ही नहीं, प्रत्युत अलोह धातुओं आदि के बारे में भी, अनुसंधान व अन्य उपायों द्वारा प्रतिस्थापन के लिये कदम उठाये जा चुके हैं ताकि हमारे अपने देश में ही उनके अनुकल्प उपलब्ध हो जायें तथा हमें विदेशों से इन अलोह धातुओं का आयात न करना पड़े।

श्री क० लकप्पा : मंत्री महोदय बड़े प्रतिवादी हैं।

श्री वीरेश्वर कलिता : अब तक मंत्री महोदय के पास कोई जानकारी नहीं है। अतः मैंने ठीक कहा है तथा उन्होंने गलत।

क्या मैं उन उद्योगों के नाम जान सकता हूँ जिनको आयात-अनुकल्पों को बनाने के लिये लाइसेंस दिए गए हैं?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : आयात-प्रतिबन्धित वस्तुओं की मेरे पास एक लम्बी सूची है। मैं इसे सभा-पटल पर रख दूंगा। मेरे द्वारा दिए आँकड़े ठीक हैं।

श्री दामानी : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह प्रतिबन्धित वस्तुओं की सूची इंजीनियरी उद्योग से विचार-विमर्श करके बनाई गई है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : समय-समय पर उनसे भी विचार-विमर्श किया जाता है। प्रतिबन्धित वस्तुओं की सूची कोई स्थायी अथवा दृढ़ नहीं है प्रत्युत परिवर्तनशील है। ज्यों-ज्यों हम अपने देश में उत्पाद बढ़ाते हैं इस सूची की वस्तुओं की संख्या भी बढ़ती जाती है।

श्री सु० कु० तापड़िया : मंत्री महोदय द्वारा व्यक्त भावनाएँ तो उत्तम हैं परन्तु क्रिया उससे अन्य है। यहाँ बहुत सारी वस्तुओं का भण्डार होते हुए भी, उनका अतिरिक्त उत्पादन तथा समर्थता होते हुए, भी वे बहुत मात्रा में आयात की जाती हैं। दो उदाहरण लें; एल्मूनियम तथा केबल उद्योग अपनी क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं तथा उन्होंने मूल्य भी पर्याप्त सीमा तक घटा दिए हैं; परन्तु फिर भी इन दो वस्तुओं का इस वर्ष भारी मात्रा में आयात हुआ है। क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूँ कि वे कौन से उद्योग हैं जिनके साथ अतिरिक्त-उत्पादन अथवा मंदी की समस्या है तथा वे कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो फिर भी आयात की जा रही हैं? क्या मैं उन उद्योगों के नाम तथा आयात का मूल्य जान सकता हूँ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: यह सत्य हो सकता है कि माननीय सदस्य द्वारा बताई गई केबल जैसी भारत में निर्मित वस्तुओं का आयात होता है। परन्तु जैसा कि मैं कह चुका हूँ, इन वस्तुओं को लाने-भेजने के बारे में हमारी उत्पादन-क्रिया से बहुत पहले ही करार हो चुके हैं; अतः हम इसकी अनुमति दे रहे हैं।

दूसरे, विदेशी सहायता के कुछ मामलों में वेष्टन-करार भी हैं और जब तक उन देशों से हम वे वस्तुएँ खरीद नहीं लेते तब तक हमें पूरी सहायता प्राप्त नहीं होगी। केवल ऐसे सख्त मामलों में ही हम ऐसी वस्तुओं के आयात की अनुमति देते हैं।

श्रीमती शारदा मुकर्जी : मेरे विचार से अन्त में मंत्री महोदय ने अपनी कठिनाई स्वीकार कर ही ली है। क्या यह सत्य है कि आयात-प्रतिस्थापन की नीति ने जो कि आयात स्वातंत्र्य के साथ लागू की जाती है, स्थिति इतनी जटिल बना दी है कि बहुत से छोटे तो क्या बड़े-बड़े उद्योगों ने, भी आयात-प्रतिस्थापन करने के अपने प्रयत्न त्याग दिए हैं? वास्तव में आयात हेतु लाइसेंस दिए जाने के कारण अनेक छोटे उद्योग बन्द ही गए हैं। जब तक आयात स्वातंत्र्य तथा आयात-प्रतिस्थापन की नीति समानान्तर रूप से नहीं चलाई जाती, सरकार अपने इन प्रयत्नों में सफलता की कैसे आशा रखती है? क्या हम इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय से कोई स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मेरे विचार से आयात-स्वातंत्र्य आयात-प्रस्थिापन से बेमेल नहीं है क्योंकि हम केवल उसी कच्चे माल तथा उन्हीं कल-पुर्जों के आयात की स्वतंत्रता देते हैं जिनको हम अनिवार्य समझते हैं तथा जिनके बिना उद्योग की गति रुक जाती है। केवल उन्हीं वस्तुओं के आयात की अनुमति दी जाती है जो या तो हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं या फिर उनके उत्पादन में हमारा बहुत अधिक धन व्यय होता है।

दूसरे, अवमूल्यन के कारण, उद्योगों में लगे व्यक्तियों के लिये यह अत्यन्त लाभप्रद होगा कि वे भारत में निर्मित कल-पुर्जों तथा कच्चे माल की देश में खोज करें, न कि उन्हें विदेशों से प्राप्त करने का प्रयत्न करें। हम भी आयात-प्रतिबन्धित वस्तुओं की सूची में उन वस्तुओं की संख्या

का प्रयोग कर रहे हैं जिनके बारे में हमें उद्योगों की जाँच तथा अपने अनुसंधान से पता लगता है कि ये वस्तुयें भारत में ही निर्मित हो सकती हैं। अतः आयात-स्वातंत्र्य तो केवल इसलिये दिया गया है कि उद्योग रुक न जायें, और यह आयात-प्रतिस्थापन की नीति से बेमेल नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विदेशी उद्योगों की क्रियाशीलता के बारे में मंत्री महोदय की सूझ-बूझ हीनता देखकर मुझे दुःख हुआ है। ये सब सिद्धान्तवादी हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : I want to know as to what percentage of progress have you achieved since you decided not to import those items which you can manufacture here itself? Is it also true that what is manufactured here, that too is being imported? What action have you taken to stop it in future? Have you entered into some agreement that you will import that upto so many years? And why do you import it when it is manufactured here :

Shri F. A. Ahmed : I have said it earlier that we import only those items, where Foreign Exchange is invovled and which have been included in the agreements entered into earlier. In future we shall not import such items as are manufactured in India. As regards the rest of the items we think over them every month and we have been increasing the number of indigenous items.

Shri Hukam Chand Kachwai : I had asked as to what has been the percentage progress.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत-श्रीलंका सहयोग

*423. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और श्रीलंका नौवहन, जहाज, निर्माण, कपड़ा, बिजली और पत्तन सुविधाओं के क्षेत्र में परस्पर सहयोग के लिये सहमत हो गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों देशों का किस तरीके से परस्पर सहयोग देने-लेने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

औद्योगिक नीति संकल्प

*428. **डा० रानेन सेन** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस संकल्प में क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में संशोधन अथवा उसका विस्तार करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

Quality of Indian Goods

*429. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the articles manufactured in India are of inferior quality as compared to the articles manufactured in foreign countries as a result of which the demand for foreign articles is more than that of Indian articles in the country; and

(b) if so, the steps taken by Government to improve the quality of the Indian products?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No, Sir. Except in the field of some consumer goods for which production has not so far been adequately established in India on account of the low priority assigned to such industries, there have no complaints about indigenous products being of an inferior quality.

(b) To ensure the maintenance of quality of Indian Products, Government, through the Indian Standards Institution and other bodies concerned, has been laying down specifications and pursuing their observance on a continuing basis. Manufacturers are guided and assisted in setting up and maintaining quality control and inspection departments in their factories to ensure maintenance of standards and quality.

तैयार किये गये खाद्य पदार्थों का निर्यात

*430. **श्री रा० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनको भारत तैयार किए गए खाद्य पदार्थों का निर्यात कर रहा है और उनका स्वरूप क्या है;

(ख) वर्ष 1967 में प्रत्येक देश को कितने मूल्य के तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात किया गया;

(ग) उपरोक्त अवधि में उनसे कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई; और

(घ) क्या सरकार ने तैयार खाद्य पदार्थों का निर्यात बढ़ाने के लिये निर्यातकों को सुविधाएं देने के लिए कोई कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 342/68]**

सरकार निर्यात के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ दे रही है :—

(1) चीनी पर आधारित साधित खाद्य पदार्थ के निर्यात पर जहाज तक निःशुल्क मूल्य पर 3 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक की नकद सहायता।

(2) कच्चे माल, पैक करने के माल, आदि के आयात के लिये 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक के जहाज तक निःशुल्क मूल्य के पुनर्भरण लाइसेंस।

(3) पैकिंग के लिये प्रयोग में लाई गई टीन की चादर पर शुल्क वापिसी, तैयार उत्पाद के प्रयोग में लाई गई चीनी पर उत्पादन शुल्क में छूट तथा पक्के निर्यात आर्डरों के आधार पर नियंत्रित दरों पर चीनी का दिया जाना।

कपड़ा मिलों के पास सूत का स्टाक

†431. **श्री प० गोपालम :** **श्री रमानी :**
श्री अ० क० गोपालन:

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : कि

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण क्षेत्र में कपड़ा मिलों के पास सूत का भारी स्टाक जमा हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितना सूत जमा पड़ा है;

(ग) क्या इससे कपड़ा मिलों में संकट उत्पन्न हो गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी):

(क) और (ख) दक्षिण क्षेत्र में जिसमें मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर, केरल तथा पांडीचेरी शामिल हैं, के मिल क्षेत्र में सूत का उत्पादन लगभग 2.25 करोड़ कि० ग्रा० प्रति माह है। अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर,, 1967 के अन्त में स्टाक क्रमश: 1.14, 1.23 1.12 1.01 तथा 1.23 करोड़ कि० ग्रा० था। इन स्टाकों को, जो कि लगभग दो सप्ताह के उत्पादन के बराबर हैं, चिन्ताजनक नहीं समझा जाता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

यूरोपीय साझा बाजार

†432. **श्री चेंगलराय नायडू :** **श्री अवैचेजियान :**
श्री वीवीकन :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरोपीय साझा बाजार ने विकासशील देशों, विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के साथ व्यापार को सुविधाजनक बनाने के हेतु अनेक उपाय किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो वे उपाय क्या हैं;

(ग) इन उपायों से भारत को कहाँ तक लाभ हुआ है; और

(घ) यूरोपीय साझा बाजार द्वारा दी गई रियायतों का उपयोग करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था

*433. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसे दूरस्थ स्थानों पर, जहाँ कोई स्कूल या कालेज नहीं हैं, तैनात रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या बाहर के छात्रों के लिए रेलवे स्कूलों के साथ होस्टलों की भी व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में होस्टलों की व्यवस्था न की जाने के क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) ऐसे मामलों में शैक्षणिक सहायता दी जाती है।

(ख) और (ग) मसूरी के ओक ग्रोव स्कूल के अलावा रेलवे के किसी स्कूल में छात्रावास की व्यवस्था नहीं की गयी है।

निर्बाध व्यापार क्षेत्र

*434. **श्री हिम्मत सिंहका : श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के पूर्वी तट पर निर्बाध व्यापार क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो किस पत्तन पर यह क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इसका ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते।

बोकारो स्टील लिमिटेड

†435. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रबन्धक निदेशक का हाल में ही 'घेराव' कर लिया गया था तथा उपद्रवों के कारण परियोजना की प्रगति रुक गई थी;

(ख) क्या परियोजना के निर्माण कार्य में एक महीने के विलम्ब से राजकोष को लगभग 2 करोड़ रुपये का घाटा होगा;

(ग) क्या वर्तमान परिस्थिति में परियोजना का काम सुचारु रूप से चल रहा है तथा क्या काम कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) से (घ) जी नहीं। 8 फरवरी, 1968 को प्रशासन-भवन के सामने कुछ समय के लिए केवल प्रदर्शन हुआ था। उसके बाद प्रदर्शनकारी कुछ देर के लिए काम बन्द करके जलूस के रूप में कारखाने के स्थल पर गये थे। कूलिंग पांड क्षेत्र के कुछ स्थानों पर कुछ रुकावट डाली गई लेकिन सामान्यत: कारखाने का काम ठीक ठाक और कार्यक्रम के अनुसार चलता रहा। इस रुकावट के कारण किसी हानि का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि रुकावट बहुत थोड़े समय के लिए और वह भी केवल एक अनुभाग में और वहाँ भी स्थिति सामान्य हो गई है। संयंत्र स्थल पर स्थिति सामान्य है।

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

436. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : **श्री नायनार** :
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री रमानी** :
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री स० मो० बनर्जी** :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1968 में दुर्गापुर इस्पात कारखाने के अनेक कर्मचारियों को जबरी छुट्टी कर दी गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो कितने कर्मचारियों को और कितने दिनों के लिये जबरी छुट्टी की गई थी; और

(ग) इसके क्या कारण हैं और इस कारखाने को कितनी वित्तीय हानि हुई तथा भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने पाये क्या इसके लिये इस समस्या का कोई हल निकाला गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) और (ख) दुर्गापुर इस्पात कारखाने की मर्चेंट मिल के परिचालन, प्रेषण और संधारण अनुभागों के 496 मजदूरों को 9 फरवरी, 1968 से जबरी छुट्टी दी गई है। यह जबरी छुट्टी अभी भी चल रही है।

(ग) मर्चेंट मिल के प्रेषण अनुभाग के क्रेन चालकों द्वारा 31 दिसम्बर, 1967 से लगातार काम की धीमी गति और मिल के मजदूरों के एक वर्ग द्वारा आकस्मिक गैरकानूनी हड़ताल के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे मिल का काम बिल्कुल ठप्प हो गया और प्रबन्धक वर्ग को मिल के मजदूरों से काम लेना असम्भव हो गया। परिणाम-स्वरूप प्रबन्धक वर्ग को मजदूरों को जबरी छुट्टी देनी पड़ी।

जबरी छुट्टी के कारण लगभग 4.5 लाख रुपये के मूल्य के उत्पादन की दैनिक हानि हो रही है।

ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से तभी रोकी जा सकती है जब कि श्रमिक-वर्ग उत्पादन-स्तर बनाए रखने में प्रबन्धक-वर्ग के साथ पूर्ण सहयोग करें।

काली मिर्च का निर्यात

†437. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रुपये के अवमूल्यन के बावजूद काली मिर्च के निर्यात में बहुत कमी हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो काली मिर्च का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख) गत वर्ष काली मिर्च के निर्यात में गिरावट का रुख रहा है। निर्यात मूल्यों के बारे में अन्य उत्पादक देशों के साथ समझौता करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। निर्यात संवर्द्धन परिषद् द्वारा प्रचार तथा ऐसे ही अन्य निर्यात संवर्द्धन उपाय भी किये जा रहे हैं।

रूरकेला इस्पात संयंत्र

†438. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ पश्चिम जर्मन इंजीनियर रूरकेला इस्पात संयंत्र में आ गए है और वह परियोजना की विस्तार योजना के एक भाग नई रोलिंग मिल की रख-रखाव में सहायता करेंगे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ और इंजीनियरों के शीघ्र इस्पात संयंत्र में आने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हाँ, तो कितने इंजीनियर संयंत्र में आ गए हैं तथा और कितने इंजीनियरों के आने की संम्भावना है; और

(घ) इन जर्मन इंजीनियरों को बुलाने के क्या कारण है जब कि देश के बेकार भारतीय इंजीनियरों को काम दिलाने का प्रश्न सरकार के सामने है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) से (घ) राउरकेला इस्पात कारखाने के वर्तमान विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाई जाने वाली नवीनतम और सबसे बढ़िया किस्म की रोलिंग मिलों को आरम्भ करने, उनके परिचालन और रख-रखाव के काम के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने 60 जर्मन प्रविधिज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने का निश्चय किया है जो अधिकाधिक 800 जनमास (man months) के लिए काम करेंगे। इनमें से २२ प्रविधिज्ञ पहले ही आ चुके हैं और शेष के शीघ्र ही संयंत्र में पहुँच जाने की संभावना है। कंपनी के विचार में आरम्भ में इन विदेशी प्रविधिज्ञों को इन मिलों को चालू करने और उनके परिचालन कार्यों के लिए रखना आवश्यक है क्योंकि अपेक्षित योग्यता, प्रशिक्षण और अनुभव के भारतीय इंजीनियर उपलब्ध नहीं है।

मलाड स्टेशन (पश्चिमी रेलवे) पर उपद्रव

*439. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** **श्री म० ला० सोंधी :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 फरवरी, 1968 को मलाड उपनगरीय स्टेशन पर सीजन टिकट वाले व्यक्तियों ने क्रोधित होकर उपद्रव किया था तथा पत्थर फेंके और लूटमार की थी तथा रेलवे बुकिंग आफिस में तथा एक रेलगाड़ी के तीन डिब्बों में आग लगा दी थी ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ; और

(ग) रेलवे सम्पत्ति को कितनी हानि हुई थी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) सीजन टिकट वाले व्यक्तियों की माँग यह थी कि 6 सवारी डिब्बों वाली गाड़ियों के बदले 9 सवारी डिब्बों वाली गाड़ियाँ चलायी जायें और सभी तेज सवारी गाड़ियाँ मलाड स्टेशन पर ठहरें।

(ग) लगभग 6 लाख रुपये।

भारतीय रेलों पर क्रय संगठन के लिये राजपत्रित पदालि

***440. श्री राजदेव सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलों पर क्रय संगठन के लिए राजपत्रित पदालि निश्चित करने के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा नियुक्त उपसमिति का प्रतिवेदन मिल गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का निर्णय कब तक क्रियान्वित हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस उप-समिति ने अराजपत्रित कर्मचारियों के बारे में भी कुछ सिफारिशें की हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी हाँ।

(ख) रिपोर्ट अभी हाल ही में मिली है और अभी उसकी जाँच की जा रही है।

(ग) जी हाँ।

(घ) ऊपर भाग (ख) में जो कहा गया है, उसे देखते हुए सवाल नहीं उठता।

कपड़ा उद्योग

†441 श्री कँवर लाल गुप्त : श्री उमानाथ :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कपड़ा मिलें विशेष कर गुजरात में, हाल ही में बन्द हो गई हैं और कुछ अन्य मिलों के बन्द होने की सम्भावना है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन मिलों को पुनः चालू करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) से (ग) अकुशल प्रबन्ध, वित्तीय कठिनाइयाँ, श्रमिकों के झगड़े, अलाभप्रद कार्य-चालन आदि विभिन्न कारणों के फलस्वरूप कुछ सूती कपड़ा मिलें वर्ष में किसी न किसी समय सदा बन्द पड़ी रहती हैं। हाल ही में गुजरात में कोई गम्भीर स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। नवम्बर, 1967 से जनवरी, 1968 की अवधि में 14 मिलें बन्द हो गयीं और 10 मिलें पुनः चालू हो गयीं।

2, सरकार स्थिति के संबंध में पूर्णतः जागरूक है और उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत वह ऐसी मिलों को, जिनका कुप्रबन्ध हो रहा है अथवा जो बन्द पड़ी हैं, अपने हाथ में ले रही है। सरकार को ऐसी कम्पनियों के परिसमापन और उपक्रम को चालू संस्था के रूप में बेचने के लिए समर्थ बनाने के उद्देश्य से सूती कपड़ा समवाय (उपक्रमों का प्रबन्ध और परिसमापन अथवा पुनःस्थापन) अधिनियम 1967 को भी अधिनियमित किया गया है। उसमें यह भी उपबन्ध है कि सरकार उपयुक्त मामलों में समवाय का पुनर्निर्माण कर सकती है और उनके स्वत्व का अधिग्रहण कर सकती है। उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार में ली गयी मिलों के प्रबन्ध के लिए वस्त्र निगम की स्थापना करने का भी विचार है।

3. कपड़ा मिलों को ऋण देने के लिए बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों की सिफारिश करने के लिए गुजरात सरकार ने अपने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। कुछ मिलों के मामले में समिति ने पहिले ही प्रतिभूतियाँ देने की सिफारिश कर दी है और कुछ अन्य मिलों के मामले इसके विचाराधीन हैं। राज्य की समाप्त प्राय कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण तथा नवीकरण के कार्यक्रम का सुझाव देने के लिए राज्य सरकार ने श्री मनुभाई शाह की अध्यक्षता में एक अन्य समिति नियुक्त की है।

लातीनी अमरीकी देशों के साथ व्यापार-संबंध

*442. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लातीनी अमरीकी देशों के साथ भारत के व्यापार संबंधों को सुधारने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) लातीनी अमरीकी देशों के साथ भारत के व्यापार में सुधार करने के प्रश्न पर सरकार सतत् विचार कर रही है।

(ख) हाल ही में इस दिशा में किये गये उपायों में, अर्जेन्टाइना तथा ब्राजील के साथ व्यापार करारों का किया जाना, पैसिफिक इन्टरनेशनल ट्रेड फेअर, लिमा (पेरू) में भाग लेना, रेल उपकरणों के संभरण के लिये बातचीत करने के लिये राज्य व्यापार निगम के एक प्रतिनिधि को उसमें भेजना आदि शामिल है। एक-एक भारतीय पटसन प्रतिनिधि-मण्डल को लातीनी अमरीका भेजने तथा इस क्षेत्र की नौवहन की सुविधाओं में सुधार करने के विषय में विचार कर रहे हैं।

इंजीनियरी माल का निर्यात

*443. **डा० रानेन सेन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों को इंजीनियरी माल का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या पिछले एक वर्ष में इंजीनियरी माल के निर्यात में कुछ वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हाँ, तो किस मात्रा में; और

(घ) निर्यात में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा कमाई गई ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) इंजीनियरी माल के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा किये गये कुछ विशेष उपाय निम्नलिखित हैं :—

(1) निर्यात के जहाज तक निःशुल्क मूल्य पर 10 से 25% के मध्य नकद सहायता की योजना इसके अतिरिक्त पहले से अधिक निर्यात करने की अवस्था में चुनी हुई निर्यात मदों पर 5% से 10% की और नकद सहायता दी जाती है परन्तु निर्यात की अधिकता विगत वर्ष की अपेक्षा कम से कम 10% अधिक होनी चाहिए।

(2) आयात पुनर्भरण नीति के अंतर्गत, निर्यातों के बदले निर्यात किये जाने वाले उत्पादों में प्रयुक्त विदेशी संघटक / कच्चा माल आयात करने की अनुमति दी जाती है;

(3) निर्यात के लिये संरचनात्मक उत्पादों के निर्माण के लिये अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर स्वदेशी लोहा तथा इस्पात दिया जाता है;

(4) बड़े निर्यात आदेशों और निर्यात की टर्न– की परियोजनाओं पर कार्यवाही करने के लिये कतिपय क्षेत्रों में इंजीनियरी उद्योगों के सार्थ संघ बनाये गये हैं ;

(5) चुनी हुई मदों पर रेल भाड़े में रियायत दी जाती है;

(6) इंजीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद्–जो सरकार द्वारा प्रायोजित निकाय है, निर्यातकों को, बाजार सर्वेक्षण में विदेशों में प्रतिनिधि मण्डल तथा बिक्री दल भेजने में, भारत तथा विदेशों में प्रचार करने में, व विदेशी में मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने में, सुविधाएं प्रदान करता है।

(ख) से (घ) पंचांग वर्ष 1966 तथा 1967 में इंजीनियरी मालका निर्यात निम्नलिखित था:—

1966-25.20 करोड़ रुपये (3.96 करोड़ अमरीकी डालर)
1967–31.03 करोड़ रुपये (4.14 करोड़ अमरीकी डालर)

Quality of Indian Goods

*444. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the quality of Indian articles is not improving for lack of competition ;

(b) whether Government are also aware that this lack of competition is due to monopolisation in the industrial field ; and

(c) if so, whether Government propose to do away with Industrial monopoly by liberalising the licensing system ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed):

(a) and (b) No Sir. The present policy is to permit sufficient number of manufacturers to manufacture a particular range of articles to ensure an element of competition both in the matter of quality and prices.

(c) The licensing provisions are being progressively liberalised inter-alia to avoid the creation of monopolies in any scector of industry.

टैम्पिग मशीनों का निर्माण

*445. **श्री चेंगलराय नायडू: 　　श्री अंबचैंजियान:**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने टैम्पिग मशीन बनाई है; जिससे रेलगाड़ियाँ तेज तथा बिना झटके से चल सकती हैं;

(ख) क्या इसका कोई परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके कब तक प्रयोग करने की संभावना है; और

(घ) इस वर्ष में ऐसी कितनी मशीनों का निर्माण हो जाने की आशा है तथा उसकी लागत क्या है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) जी हाँ।

(ख) ऐसी किस्म की परीक्षा की गयी है।

(ग) भारत में बनायी गयी मशीनों में से पहली सम्भवतः अप्रैल, 1968 तक प्रयोग में लायी जायेगी।

(घ) आशा है, इस वर्ष 12 मशीनें बनायी जायेंगी और प्रत्येक मशीन की अनुमानित लागत 6.20 लाख रुपये होगी।

रेलवे पर भोजन-व्यवस्था सेवा

*446. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे की भोजन-व्यवस्था सेवा हानि में ही चल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो 1966-67 में रेलवे को कितनी हानि हुई थी;

(ग) भोजन-व्यवस्था सेवाओं में से कितनी सेवायें विभागीय हैं तथा कितनी ठेके पर हैं; और

(घ) ठेके पर दी गई सेवाओं की तुलना में विभागीय भोजन-व्यवस्था सेवा को घाटा हो रहा है अथवा लाभ ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) रेलों पर दो तरह की खान-पान व्यवस्था है :—

(i) ठेकेदारों के द्वारा खान-पान व्यवस्था।

(ii) विभागीय खान-पान व्यवस्था।

उपर्युक्त (i) के लाभ-हानि के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है लेकिन (ii) के संबंध में यह तथ्य है कि जब से विभागीय खान-पान व्यवस्था शुरू की गयी है तब से हर वर्ष हानि हुई है और केवल 1963-64 और 1966-67 में लाभ हुआ है।

(ख) 1966-67 में विभागीय खान-पान व्यवस्था के कारण रेल प्रशासन को कोई हानि नहीं हुई। इसके विपरीत 1.19 लाख रुपये का लाभ हुआ।

(ग) विभागीय खान-पान व्यवस्था 97 स्टेशनों और 26 जोड़ी गाड़ियों पर है। ठेकेदारों के द्वारा खान-पान व्यवस्था 2,802 स्टेशनों और 23 जोड़ी गाड़ियों पर चल रही है।

(घ) ठेकेदारों द्वारा की जाने वाली खान-पान व्यवस्था के खर्च का ब्यौरा रेल प्रशासन द्वारा नहीं रखा जाता। इसलिए तुलनात्मक स्थिति के बारे में बतलाना सम्भव नहीं है।

मुगलसराय रेलवे यार्ड में माल डिब्बों से माल की चोरी

*447. **श्री दमानी:** **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नंजागाडर :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुगलसराय रेलवे यार्ड में माल डिब्बों में माल की चोरी की घटनाओं में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो बड़े पैमाने पर होने वाली इस चोरी को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं। स्थिति यह है कि 1967 में मुगलसराय की सरकारी रेलवे पुलिस ने माल डिब्बों से चोरी के 18 मामले दर्ज किये थे जिसमें 8,983.30 रुपये की कीमत का माल चोरी गया था जबकि 1966 में चोरी के 50 मामले दर्ज कये गये थे जिनमें 27.507 रुपये की कीमत का माल चोरी गया था। पुलिस जाँच के फलस्वरूप 1967 में 32 व्यक्ति और 1966 में 21 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे।

(ख) अपराधों पर काबू पाने के लिये विभिन्न उपाय बरते जा रहे हैं जैसे, सील बन्द माल डिब्बों पर पहरा देना, बदनाम जगहों पर सशस्त्र दल द्वारा गश्त लगाना, अपराध सम्बन्धी खुफिया सूचना एकत्रित करना और ज्ञात संदिग्ध व्यक्तियों और अपराधियों पर नजर रखना।

भारी विद्युत संयंत्र :

+448. **श्री रा० बरुआ : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत् के सामान की बिक्री का संवर्धन करने के लिए भारत विद्युत् संयंत्रों का एक सार्थ समूह स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय किया जाने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी हाँ।

(ख) और (ग) प्रस्तावित सार्थ समूहों (कंसोर्टियम) के कार्य-कलापों क्षेत्र पर अभी विचार किया जा रहा है, मुख्य उद्देश्य यह है कि वह 'टर्नकी' काम करे और बाहरी बाजारों की माँग को भी पूरा करें। इस बारे में शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किए जाने की आशा है।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में रबड़ की खेती

*449. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री आदिचन** :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में रबड़ की बड़े पैमाने पर खेती करने की संभावना है;

(ख) क्या इनका उपयोग करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) लगभग 30,000 एकड़ की एक प्रारंभिक प्रायोजना की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में 265 लाख रुपये की अनुमानित लागत से 6,000

एकड़ में बागान लगाने का विचार है। 40 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर दक्षिण अन्दमान में लगभग 500 एकड़ के लिये एक गवेषणा तथा विकास केन्द्र स्थापित करने के लिये मंजूरी दी गई है। इन 500 एकड़ों में से लगभग 475 एकड़ पर पहिले ही बागान लगाये जा चुके हैं।

Use of Names of National Leaders for Business Purposes

2805. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any list of names of the national leaders has been prepared with a view to preventing people from using the names of national leaders and national symbol for business purposes and if so the details thereof ;

(b) whether it is a fact that Maharashtra Government have suggested the name of Chhatrapati Shivaji for inclusion in the said list ; and

(c) if so the reasons for turning down the suggestion ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) No list of names of the national leaders has been prepared. However the use of the names or the pictorial representation of the President, Prime Minister, Mahatma Gandhi. Pandit Jawahar Lal Nehru and the national emblems has been prohibited under the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950. for commercial purposes. It is also the practice of the Trade Marks Registry not to register the names of portraits of national leaders as a trade mark under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958.

(b) Yes Sir, The name of Chhatrapati Shivaji Maharaj has been suggested by the Maharashtra Government for inclusion under the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 and the Government of India has agreed to this suggestion.

(c) Does not arise.

रंग और रोगन बनाने के कारखाने

2806. **श्री बाबूराव पटेल:** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में रंग और रोगन बनाने वाले विदेशी और भारतीय मालिकों के कारखानों की संख्या और उनके नाम क्या हैं, तथा वे किन-किन स्थानों में हैं, और प्रत्येक कारखाने में कितनी पूंजी लगी हुई है, उनके निदेशकों के नाम क्या हैं और उनमें यदि कोई विदेशी सहयोग है तो उसका व्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक कारखाने द्वारा प्रति वर्ष तैयार किये गये उत्पादों के नाम, उनका व्यौरा, तथा उनकी मात्रा और मूल्य क्या हैं;

(ग) प्रत्येक कारखाने द्वारा उपरोक्त अवधि में प्रति वर्ष कितने मूल्य के उत्पादों का और किन-किन देशों में निर्यात किया गया; और

(घ) प्रत्येक निर्माता कारखाने को पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करने की अनुमति दी गई और आयात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा उन वस्तुओं का विशिष्ट प्रयोजन क्या था ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

रंग और रोगन बनाने वाले कारखाने

2807. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में रंग और रोगन बनाने वाली विदेशी मालिकों की कम्पनियों ने प्रति वर्ष अपने लाभ में से कितनी राशि विदेशों में भेजी ;

(ख) प्रत्येक कम्पनी में कितने-कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनके वेतन आदि का वार्षिक बिल कितना-कितना है ;

(ग) प्रत्येक कम्पनी में कितने विदेशी कर्मचारी कार्य करते हैं, उनका वेतन कितना है तथा वे विदेशों में कितना धन भेजते हैं ; और

(घ) प्रत्येक कम्पनी ने पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितना लाभ कमाया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

दियासलाई बनाने के कारखाने

2808. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में दियासलाई बनाने वाले विदेशी और भारतीय मालिकों के कारखानों की संख्या, और उनके नाम क्या हैं तथा वे किन-किन स्थानों पर हैं और प्रत्येक कारखाने में कितनी पूंजी लगी हुई है, उनके निदेशकों के नाम क्या हैं और यदि उनमें कोई विदेशी सहयोग है, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक कारखाने द्वारा प्रति वर्ष उत्पादित उत्पादों के नाम, उनका ब्यौरा, उनकी मात्रा और मूल्य क्या है ;

(ग) प्रत्येक कारखाने द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितने मूल्य के उत्पादों का और किन-किन देशों को निर्यात किया गया ; और

(घ) प्रत्येक निर्माता कारखाने को पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्चने की अनुमति दी गई और आयात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है तथा उनका विशिष्ट प्रयोजन क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) व्यवस्थित क्षेत्र में मशीनों से काम करने वाले 6 तथा बिना मशीनों से काम करने वाले 57 एकक हैं । व्यवस्थित क्षेत्र में इन एककों के अतिरिक्त देश में बिना मशीनों के, हाथ से दियासलाई बनाने के लगभग 1140 कारखानों हैं । व्यवस्थित क्षेत्र में एककों के नाम तथा पते के बारे में जानकारी संलग्न विवरण (परिशिष्ट 1 अंग्रेजी उत्तर के साथ) में दी गई है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 343/68] निम्नलिखित कम्पनियाँ विदेशी सहयोग से दियासलाई का उत्पादन कर रही हैं :—

(1) मे० वेस्टर्न इण्डिया मैच कं० लि०, बम्बई।

(2) मे० आसाम मैच कं० लि०, बम्बई।

इन दो एककों के पूंजी विनियोजन, निदेशकों के नाम तथा विदेशी सहयोग के बारे में ब्योरा (परिशिष्ट-2, अंग्रेजी उत्तर के साथ) में दिया गया है।

(ख) गत् तीन वर्षों में व्यवस्थित क्षेत्र के कारखानों का उत्पादन तथा दियासलाइयों के कारखाने से चलते समय का मूल्य निम्नलिखित था :—

(50 सलाइयों की 10 लाख डिबियां)

	1965	1966	1967	
मशीनों से काम करने वाले क्षेत्र	4267	4308	4104	
बिना मशीनों से काम करने वाला क्षेत्र	1080	1358†	1066	†अनुमानित
कुल	5347	5666	+5171	

कारखाने से चलते समय कम मूल्य		(रु० करोड़ों में)	
मशीनों से काम करने वाला क्षेत्र	8.15	9.33	9.98
बिना मशीनों के काम करने वाला क्षेत्र	2.06	2.94	2.60+
कुल	10.21	12.27	+12.58

(ग) गत् तीन वर्षों में दियासलाइयों का कुल निर्यात निम्नलिखित था :—

1964–65	1,94,055 रु०
1965–66	16,468 रु०
1966–67	10,400 रु०

देश जिनको मुख्यत: दियासलाई का निर्यात किया जाता है वे, ईरान, नेपाल, नाइजीरिया, ब्रिटेन, श्रीलंका तथा मलेशिया हैं।

(घ) गत् तीन वर्षों में व्यवस्थित क्षेत्र के विभिन्न कारखानों को दी गई विदेशी मुद्रा का ब्योरा निम्नलिखित था :—

	1965–66	1966–67	1967–68 (29 फरवरी, 1968 तक)
		(रुपये लाखों में)	
मशीनों से काम करने वाला क्षेत्र	4.86	26.40	12.84
बिना मशीनों से काम करने वाला क्षेत्र	1.76	4.39	2.60
कुल	6.61	30.79	15.44

इस बारे में यह बताया जा सकता है कि व्यवस्थित क्षेत्र के सभी कारखानों ने उपर्युक्त विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल लाल फासफोरस तथा फालतू पुर्जों के आयात पर किया और इसका इस्तेमाल केवल मशीनों से काम करने वाले कारखानों ने ही किया।

दियासलाई बनाने के कारखाने

2809. **श्री बाबूराव पटेल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों में दियासलाई बनाने वाली विदेशी मालिकों की कम्पनियों ने प्रति वर्ष अपने लाभ की कितनी राशि विदेशों में भेजी ;

(ख) प्रत्येक कम्पनी में कितने-कितने कर्मचारी काम करते हैं और उनके वेतन आदि का वार्षिक बिल कितना है ;

(ग) प्रत्येक कम्पनी में कितने विदेशी कर्मचारी काम करते हैं, उनका वेतन कितना है तथा वे समवाय वार विदेशी को कितना धन भेजते हैं ; और

(घ) प्रत्येक कम्पनी ने पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष कितना लाभ कमाया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

सीमेंट पर से नियन्त्रण हटाना

2810. **श्री बाबूराव पटेल : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट पर से नियंत्रण किस तारीख को हटाया गया था और किस तारीख को पुनः नियंत्रण लागू किया गया था और विनियंत्रण की नीति को इतनी जल्दी बदलने के वास्तविक कारण क्या थे ;

(ख) भारतीय सीमेंट निगम के पूंजी विनियोजन, गठन और कार्यप्रणाली सम्बन्धी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इसके 20 उच्च अधिकारियों के नाम, पदनाम, वेतन और उपलब्धियाँ क्या-क्या हैं और इसके कार्यालय कहाँ-कहाँ हैं ;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र में सीमेंट के कारखानों का अधिग्रहण करके अपने कार्य का विस्तार करने की सीमेंट निगम की अपनी योजनायें हैं, और यदि हाँ, तो किस सीमा तक और कब ; और

(घ) देश में इस समय सीमेंट के कौन-कौन से कारखाने हैं और कहाँ-कहाँ पर और प्रत्येक कारखाने में प्रति वर्ष कितना और कितने मूल्य का उत्पादन होता है और प्रत्येक कम्पनी के तीन-तीन उच्च निदेशकों के नाम क्या-क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) 1-1-1966 से सीमेंट पर से नियंत्रण हटा लिया गया था किन्तु इस समय 1-1-1968 से सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के अन्तर्गत पुनः नियंत्रण लगा दिया गया है। इस नीति का पुनरीक्षण करने के कारण औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री ने 23 दिसम्बर, 1967 को सदन में दिये गये अपने वक्तव्य में बताए थे। उस वक्तव्य की एक प्रति परिशिष्ट 1 के रूप में (अंग्रेजी उत्तर के साथ) संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 344/68]**

(ख) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया के विनियोजन, विधान तथा कार्य-प्रणाली की प्रमुख बातें 31–3–67 को समाप्त होने वाले वर्ष के कारपोरेशन की रिपोर्टों और लेखाओं में दी गई हैं जिनकी प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। जारी की गई तथा प्रदत्त पूंजी इस समय 3,35,16,000 रु० है। कारपोरेशन के उच्च अधिकारियों तथा इसके विभिन्न कार्यालयों के स्थापना स्थलों के बारे में ब्यौरा परिशिष्ट 2 (अंग्रेजी उत्तर के साथ) में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विद्यमान सीमेंट कारखानों के नाम, स्थापना स्थल, उनका 1967 में उत्पादन तथा रेल-भाड़ा सहित मूल्य सम्बन्धी ब्यौरा परिशिष्ट 3 (अंग्रेजी उत्तर के साथ) में दिया गया है। प्रत्येक कम्पनी के तीन उच्च निदेशकों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

वस्तुओं का निर्यात

2811. **श्री कृ० मं० कौशिक :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसी वस्तुएँ कौन-कौन सी हैं जिनका निर्यात देश में उन वस्तुओं के मूल्यों से कम मूल्यों पर किया जाता है ;

(ख) विदेशी बाजारों में तथा भारत में इन वस्तुओं के मूल्य क्या-क्या हैं ;

(ग) क्या मूल्यों के अन्तर के कारण होने वाली हानि को पूरा करने के लिये सरकार राज-सहायता देती है ; और

(घ) यदि हाँ, तो किस रूप में ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) सामान्यतः वस्तुओं का निर्यात जिन मूल्यों पर किया जाता है वे अन्तर्राष्ट्रीय विपणन तथा प्रतियोगिता पर आधारित होते हैं। विभिन्न निर्यातक संभवतः कभी-कभी अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में चल रहे मूल्यों पर, जो कि स्वदेशी बाजारों में चल रहे मूल्यों से कम हों, निर्यात करते रहते हैं।

(ख) आमतौर पर सरकार मूल्यों के अन्तर सम्बन्धी जानकारी नहीं रखती क्योंकि स्वदेशी एवं विदेशी मूल्य अलग-अलग बाजारों में तथा अन्य कारणों से भिन्न भिन्न होते हैं।

(ग) और (घ) मूल्यों में अन्तर के फलस्वरूप निर्यात से होने वाली हानियों को पूरा करने के लिए राजसहायता नहीं दी जाती परन्तु अर्थव्यवस्था के विकास की वर्तमान अवस्था में अन्तर्निहित बाधाओं को दूर करने के लिए चुने हुए उत्पादों के निर्यातकों को सरकार सहायता दे रही है।

निजामाबाद रेलवे स्टेशन के निकट नीचे के पुल को चौड़ा किया जाना

2812. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजामाबाद, दक्षिण-मध्य रेलवे स्टेशन के निकट नीचे के पुल को चौड़ा करने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या उपरोक्त प्रयोजन के लिये योजनाएं और प्राक्कलन तैयार किये गये थे और राज्य सरकार तथा निजामाबाद नगरपालिका को भेजे गये थे ; और

(ग) इस कार्य को पुरा करने में कितना समय लगेगा ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) रेल प्रशासन और सम्बद्ध सड़क प्राधिकारी द्वारा निर्माण-स्थान का संयुक्त निरीक्षण कराया जा चुका है।

(ख) जी नहीं। अभी तक निर्माण कार्य के लिए योजनाओं और प्राक्कलन को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि राज्य सरकार और निजामाबाद नगरपालिका ने इस प्रस्ताव और इसके साथ वर्तमान नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित सैकड़े पर लगने वाले प्रभारों के बारे में अपने निर्णय की सूचना नहीं दी है ।

(ग) अभी यह बताना असामयिक होगा।

निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन

2813. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजामाबाद रेलवे स्टेशन से गत तीन वर्षों में कितने माल डिब्बे बुक किये गये ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रति वर्ष इस स्टेशन से कितने यात्री टिकट बेचे गये ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस स्टेशन के प्रथम श्रेणी के प्रतीक्षालयों में पर्याप्त स्थान न होने और सफाई की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जनता को बड़ी असुविधा होती है ; और

(घ) इस मामले में सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क)

वर्ष	बुक किये गये माल डिब्बों की संख्या
1965	5612
1966	5008
1967	5765

(ख)

वर्ष	बेचे गये यात्री टिकटों की संख्या
1965	903016
1966	962375
1967	996105

(ग) जी हाँ।

(घ) निजामाबाद रेलवे स्टेशन पर ऊंचे दर्जे के प्रतीक्षालय को बढ़ाने के प्रश्न पर शीघ्र ध्यान दिया जा रहा है और इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए 1969–70 के निर्माण कार्यक्रम में इसके शामिल किये जाने की संभावना है। प्रस्तावित विस्तार के साथ-साथ सफाई-व्यवस्था में भी सुधार किया जायेगा।

निज़ामाबाद (हैदराबाद) में फाटक पर ऊपरी पुल

2814. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि निजामाबाद में गाँधी गंज के निकट रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल के न होने से निजामाबाद के लोगों को कठिनाई तथा असुविधा होती है तथा यातायात जमा हो जाता है ;

(ख) प्रति दिन 24 घंटों में कितनी माल तथा यात्री रेल गाड़ियाँ इस फाटक से गुजरती हैं ;

(ग) इस क्रासिंग पर फाटक 24 घंटों में कितनी बार बन्द होता है और कुल कितने समय तक बन्द रहता है ; और

(घ) सरकार का कब और किस प्रकार इस गतिरोध को दूर करने का विचार है ?

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं। गाँधीगंज के समीप निजामाबाद स्टेशन यार्ड का समपार निश्चय ही एक व्यस्त समपार है, परन्तु संरक्षा के दृष्टि से केवल गाड़ी आने-जाने के समय एक बार में लगभग 12 मिनट के लिए ही बन्द किया जाता है।

(ख) 22।

(ग) दिन और रात में 22 बार, जिसके कारण समपार के फाटक लगभग 4½ घंटे बन्द रहते हैं।

(घ) निवारक उपाय केवल यह है कि इस समपार के बजाय ऊपरी सड़क पुल की व्यवस्था की जाये। अभी तक राज्य सरकार से इस योजना का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। ज्योंही राज्य सरकार, सम्बन्धित प्राथमिकता और लागत में सड़क प्राधिकारी के हिस्से के लिए धन-राशि के आवंटन का व्यौरा देते हुए इस योजना को अन्तिम रूप से प्रायोजित करेगी, रेल प्रशासन उसी समय काम के अपने हिस्से को शुरू करने के सम्बन्ध में कार्रवाही करेगा।

Engineering Department of South Central Railway

2815. **Shri Kamble :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees in Class I, II and III posts in the Engineering Department of the South Central Railway :

(b) whether their number in that Department is equal to the percentage fixed for them ; and

(c) if not, the steps Government propose to take to fill the quota reserved for them ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a)	Scheduled Castes	Scheduled Tribes
Class I	1	1
Class II	..	..
Class III	205	32

(b) Class I—Percentages have been fixed only for the purpose of direct recruitment to the cadre and are calculated on an all-Railway basis.

Class II—No direct recruitment is made in Class II service of this department.

Class III—Yes, as far as Scheduled Castes are concerned.

(c) Class I—As recruitment is made by the Union Public Service Commission all possible steps to fill the quota for reserved community candidates are taken.

Class II—As there is no direct recruitment in this Department, no quota, is provided.

Class III—Efforts are being made to fill the quota for Scheduled Tribes.

Dholpur—Jaipur Rail Link

2816. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sanction has been accorded for the survey of a new rail-link between Dholpur and Jaipur via Karauli, Gangapur, Bamanvas and Lalsor;

(b) if so when the work is likely to start ; and

(c) the broad outlines of this scheme ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) and (c) Do not arise.

Additional Train on Delhi—Sawai Madhopur-Kota-Baroda-Bombay Line

2817. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that there is a heavy rush on trains running on Delhi-Sawai-Madhopur -Kota-Baroda Bombay-line on the Western Railway ;

(b) whether it is proposed to introduce one more train ; and

(c) if so, when ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) Some overcrowding has been noticed on the existing services on this route.

(b) and (c) : Introduction of an additional train is not at present feasible for want of requisite coaching stock and inadquate terminal facilities at New Delhi, Delhi.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

2818. **श्री दे० अमात** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के नियंत्रणाधीन सभी विभागों में कुल कितने कर्मचारी काम करते हैं ;

(ख) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की विभागवार संख्या कितनी है; और

(ग) कुल कर्मचारियों की संख्या में ये कर्मचारी कितने प्रतिशत हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चेन्ना रेड्डी) :

(क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य व्यापार निगम विदेशी कारों की बिक्री

2819. **श्री मुहम्मद इमाम** : **श्री चं० छु० देसाई** :

श्री लोबो प्रभु :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 और 1966–67 में दूतावासों तथा अन्य विदेशी अभिकरणो द्वारा राज्य व्यापार निगम को कुल कितनी विदेशी कारों को देने का प्रस्ताव किया गया जिन्हें उस निगम ने अस्वीकार कर दिया था ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इन अस्वीकृत कारों को दूतावास तथा अन्य विदेशी अभिकरण सीधे बेच सकते हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) राज्य व्यापार निगम को पंचाग वर्ष 1965, 66 तथा 67 में 2201 कारों की पेशकश की गई और इस अवधि में निगम ने 150 कारें खरीदने से इन्कार कर दिया।

(ख) निगम निम्नलिखित आधारों पर मोटर-गाड़ियाँ खरीदने से इन्कार करता है ;

(1) कि मोटर गाड़ी का मूल्य, जिसमें राज्य व्यापार निगम द्वारा देय शुल्क तथा अन्य प्रभार शामिल हैं उस प्रत्याशित मूल्य की अपेक्षा अधिक हैं जो उसे निविदा द्वारा बेचने से प्राप्त हो सकती हैं, और

(2) जब गाड़ी की सामान्य दशा और उसकी देखभाल स्वीकार्य स्तर की न हो।

(ग) जी, हाँ।

मिश्रित इस्पात परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा

2820. **श्री शशिरंजन :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 20 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 161 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दो मिश्रित इस्पात परियोजनाओं के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है और यह विदेशी मुद्रा इन परियोजनाओं में व्यय की जाने वाली भारतीय मुद्रा की तुलना में कितनी है ?

इस्पात, खान तथा धातु मन्त्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

देश में उपलब्ध होने वाले उपकरणों को ध्यान में रखते हुए दोनों प्रायोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं का आजकल पुनः अध्ययन किया जा रहा है।

मेसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड

2821. **श्री भगवान दास :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री रमानी : **श्री राम मूर्ति :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह आश्वासन दिया था कि मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी के सचिव श्री पी० एल० शाह, उसके उत्पादन प्रबन्धक श्री के० सी० रपण तथा अन्य कर्मचारियों को प्रबन्धकों के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिये संरक्षण दिया जायेगा;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि सरकार ने उन कर्मचारियों को युक्तियुक्त संरक्षण देने के लिये अध्यादेश जारी किया था जो बाद में समवाय अधिनियम में संशोधन के रूप में पास कर दिया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि श्री पी० एल० शाह पर एक झूठा मुकदमा चलाया गया और उसे बर्खास्त कर दिया गया; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने उपरोक्त आश्वासन को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) हाँ, श्रीमान् ।

(ख) 5 जुलाई, 1964 को प्रख्यापित एक अध्यादेश, जिसने बाद को कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1964 का 32, का स्थान ग्रहण कर लिया, के द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 में धारा 635–बी० को इस दृष्टि से कि इससे कम्पनियों के, जिनके कार्य जाँच-पड़ताल के अन्तर्गत थे, अथवा जिनके बारे में, कम्पनी अधिनियम, 1956 के भाग 6 के अध्याय 4ए के अन्तर्गत कार्यवाहियाँ कर दी गई थीं; के कर्मचारियों को अस्थाई संरक्षण देने के लिये निविष्ट कर दिया गया था।

(ग) कम्पनी के सचिव तथा मुख्य लेखाकार श्री पी० एल० शाह पर श्री एस० पी० जैन की भार्या श्रीमती रामा जैन द्वारा आरोपित उसे सौंपे गए 12 लाख रुपयों के मूल्य के जवाहिरात के संबंध में, आपराधिक विश्वासघात के लिये, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अन्तर्गत अपराध के लिये मुकदमा चलाया था। अतिरिक्त मुख्य महाप्रान्त दंडाधिकारी ने, अपने निर्णय, दिनांक 29 जुलाई, 1966 को अपराधी को "दोषी नहीं" बताते हुए निम्नलिखित अवलोकन प्रस्तुत किया:—

> "यह शक्यता कि यह मामला अपराधी के विरुद्ध वैरयातन के उद्देश्य के बाहर मिसिल किया गया था, ही वास्तव में, विशेषकर कहानी की प्रकृति की दृष्टि से तथा इसकी सहायता में दी गई साक्षियों से, प्रबल शक्यता प्रकट करती है। अतः परिणाम यह है कि मैं अपराधी को उस अपराध के लिये, जो उसपर लगाया गया है, दोषी नहीं मानता व उसे रिहा करता हूँ।"

महाराष्ट्र सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील कर दी है व मामला अब बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत है।

(घ) इस कम्पनी के निदेशक मंडल ने ही सरकार द्वारा मनोनीत निदेशकों की राय की असहमति से, धारा 635–बी में दी गई प्रक्रियाओं का अनुसरण करने के पश्चात्, निम्नलिखित पाँच वरिष्ठ कर्मचारियों को पदच्युत करने के लिये, दिनांक 24 जनवरी, 1965 को एक संकल्प पारित कर दिया।

(क) श्री पी० के० रौय	जनरल मैनेजर
(ख) श्री पी० एल० शाह	सचिव एवं मुख्य लेखाकार
(ग) श्री के० सी० रमण	उत्पादन मैनेजर
(घ) श्री वी० परमेश्वरन	सहायक मैनेजर
(ङ) श्री टी० पी० जार्ज	भंडार अधीक्षक

उन्होंने धारा 635–बी का पालन करते हुए उन्हें निलम्बित करने का संकल्प भी पारित किया।

मामला कम्पनी न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया; जहाँ सरकार ने कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही का विरोध किया। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 14 अक्तूबर, 1966 के अनुसार, कम्पनी को इन कर्मचारियों के निलम्बित करने के लिये नियंत्रित किया, परन्तु यदि वे उन्हें पदच्युत करना चाहते हों तो, धारा 635–बी के अन्तर्गत दी गई प्रक्रियाओं का अनुसरण करने की अनुमति दे दी। न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए इस निर्णय के अनुसरण में कम्पनी ने, कम्पनी विधि बोर्ड को प्रस्तावित पदच्युतन कार्यवाही के लिये संदर्भ दिया, जिस पर आपत्ति की गई। कम्पनी विधि बोर्ड द्वारा, धारा 635–बी के अन्तर्गत की गई आपत्ति के विरुद्ध कम्पनी ने एक अपील कर दी है, जो अब बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत है। कम्पनी ने न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 14 अक्तूबर, 1966 के विरुद्ध भी निलम्बन प्रश्न पर एक अपील कर दी है, वह भी बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत है। सरकार न अपीलों का विरोध कर रही है। निदेशक मंडल ने, सरकारी निदेशकों की असहमति होते हुए भी, श्री बी० परमेश्वरन, जो जून, 1967 में अधिवार्षिक आयु पर पहुँचने पर सेवा निवृत्त हो गए थे, को सेवा निवृत्ति लाभ देने से रोकने का संकल्प किया है। यह मामला सरकारी निदेशकों ने, बम्बई उच्च न्यायालय को कम्पनी को यह अदा कर देने के निदेशन के लिये, संदर्भित किया है, तथा सरकार उनके प्रार्थना-पत्रों को सहायता दे रही है।

मेसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड

2822. **श्री रमानी : श्री अनिरुद्धन :**
श्री सत्य नारायण सिंह : श्री नायनार :

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स बैनेट कोलमैन एण्ड कम्पनी के सचिव श्री पी० एल० शाह और उत्पादन प्रबन्धक, श्री के० सी० रमण 24 नवम्बर, 1963 को स्वर्गीय प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू से मिले थे और उन्होंने एक ज्ञापन-पत्र प्रस्तुत किया था, और एक शासपत्रित लेखापाल, श्री एस० पी० चोपड़ा की उपस्थिति में, जो अप्रैल, 1963 में नियुक्त हुआ था उक्त कम्पनी के मामलों की जाँच-पड़ताल करने के बारे में उनसे बातचीत की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उस ज्ञापन पत्र और बातचीत का ब्यौरा क्या है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) हाँ, श्रीमान्।

(ख) ज्ञापन में आरोपित था (1) कम्पनी के निदेशकों द्वारा समाचार-पत्रों की रद्दी के विक्रयागम से प्राप्त, लगभग 20,00,000 रुपयों का अवाहरण, (2) मैसर्स क्रासवर्ड्स लिमिटेड को, व्यापार से भिन्न कार्य के लिये 2,20,000 रुपए दे देना; (3) विज्ञापन राजस्व के लेख में परिवर्तन द्वारा लाभ का निग्रहण; (4) अन्य चीजों के साथ कंपनी के व्यापार से असंबंधित, मदों के लिये विकलन करके लेखे में छल साधन; (5) वृत्त पुस्तक में छल-साधन (6) भिन्न नामों पर अंशधारिता।

प्रधान मंत्री के साथ बैठक में, ज्ञापन पर तथा साक्षी देने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में भी सामान्य चर्चा हुई थी।

उप-मुख्य लेखा अधिकारी (यातायात लेखा), उत्तर रेलवे, दिल्ली के कार्यालय के श्रेणी एक के सेवा निवृत क्लर्कों को पेंशन और उपदान

2823. **श्री म० ला० सौंधी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि उप-मुख्य लेखा अधिकारी (यातायात लेखा) उत्तर रेलवे किशन गंज दिल्ली के कार्यालय के श्रेणी एक के कुछ सेवा निवृत्त क्लर्कों को अवकाश वेतन की कुछ अधिक राशि दे दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे श्रेणी एक के क्लर्कों की संख्या कितनी है, जिनकी पेंशन और उपदान को रोका जा रहा है; और

(ग) पेंशन और उपदान के दावों का निपटारा करने में कितना समय लगेगा?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) जी हाँ, केवल एक मामले में। मृत्यु एवं निवृत्ति उपदान को रोका गया है और उसे छुट्टी वेतन के अधिक भुगतान की आंशिक वसूली के लिए विनियुक्त किया गया है। पेंशन की कोई रकम नहीं रोकी गयी है।

(ग) ऐसा तभी सम्भव होगा जब सम्बन्धित सेवा-निवृत्त कर्मचारी अपेक्षित प्रलेख पेश करे और बकाया अधिक भुगतान की रकम वापस कर दे।

रेशम और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् का बिक्री एवं अध्ययन दल

2824. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के बिक्री एवं अध्ययन दल ने कनाडा और अन्य देशों को अपनी यात्रा के दौरान कितने मूल्य के आर्डर बुक किए;

(ख) कितने आर्डर स्थायी थे तथा कितने आर्डर अस्थायी थे; और

(ग) इन आर्डरों का निर्माताओं को नियतन करने का अधिकार उक्त परिषद् को देने के क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) और (ख) बुक किए गए आर्डर, जिनकी पुष्टि हो गई है, लगभग 2.3 करोड़ रु० के मूल्य के हैं तथा ऐसे आर्डर, जिनकी अभी पुष्टि की जानी है, लगभग 3.7 करोड़ रु० के मूल्य के हैं।

(ग) सरकार ने नकली रेशम के वस्त्रों के निर्यात को प्रभावशाली ढंग से आयोजित करने के लिये राज्य व्यापार निगम को प्राधिकृत किया था राज्य व्यापार निगम ने रेशम और रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद् के निर्यात उपक्रम, 'रेयेक्स' के साथ एक करार किया जिसके अन्तर्गत रेयक्स को राज्य व्यापार निगम का अनन्य व्यवसाय सहायक बना दिया गया है। उधर रेयक्स ने सभी इच्छुक निर्माताओं को अपने पंजीकृत सहायकों के रूप में पंजीकृत कर लिया है जिनमें निर्माता-निर्यातक तथा व्यापारी-निर्यातक शामिल हैं।

Guards and T. T. Es. of Western Railway

2825. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the arrangements made for Guards T. T. Es. and other employees of Western Railway for their stay at Rest House at Delhi Junction ;

(b) whether it is a fact that these arrangements are not sufficient ; and

(c) if so the steps taken by Government to provide additional facilities to these employees?

The Minister of Railways (Shri C. M. Pooncha) : (a) Guards and T.T. Es. of Western Railway are provided accommodation in the Guard's Running Room at Delhi Junction. Other staff of Western Railway avail of the accommodation in the Rest House at Delhi junction.

(b) No.

(c) Does not arise.

भारत से निर्यात

2826. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर तथा दिसम्बर, 1967 और जनवरी, 1968 में उनसे पहले के तीन महीनों की तुलना में निर्यात बढ़ गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन तीनों महीनों में से प्रत्येक में कुल कितना निर्यात हुआ है तथा इन महीनों में से पहले के तीन महीनों में हुए निर्यात से यह कम हुआ है अथवा अधिक हुआ है और 1966-67 तथा 1965-66 के इन्हीं महीनों में हुए निर्यात से कम हुआ है अथवा अधिक हुआ है; और

(ग) रुपए के अवमूल्यन से हमारे निर्यात के बढ़ने की जो आशा की गई थी उसमें कितनी सफलता मिली है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):

(क) और (ख) जनवरी, 1968 के निर्यात आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। यद्यपि नवम्बर तथा दिसम्बर, 1967 में हुए निर्यात से उससे पूर्व के दो महीनों की तुलना में कोई वृद्धि नहीं दिखाई देती तथापि 1967 के 9 महीनों (अप्रैल-दिसम्बर) के निर्यात (120.33 करोड़ डालर 1966 की उसी अवधि में तुलना में 7.090 करोड़ डालर अधिक थे।

एक विवरण संलग्न है जिसमें सितम्बर-दिसम्बर, 1965, 1966 तथा 1967 के निर्यात के तुलनात्मक आँकड़े दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 362/68]** उससे यह देखा जा सकता है कि नवम्बर-दिसम्बर, 1967 के निर्यात में 1966 के उन्हीं महीनों की तुलना में वृद्धि हुई परन्तु 1965 के उन्हीं महीनों की तुलना में गिरावट आयी।

(ग) अवमूल्यन के बाद की आरम्भिक अनिश्चय की अवधि के पश्चात् निर्यातों में सुधार होने लगा है। विश्वव्यापी प्रतियोगिता के होते हुए भी अत्यधिक मूल्य के विभिन्न सौदे तय हो चुके हैं और अधिकाधिक पूछताछों पर कार्यवाही की जा रही है। परम्परागत माल जैसे चाय, निर्मित तम्बाकू, हस्तशिल्प, मछली, कपास, काफी, वनस्पति तेल-सुगंध, प्याज, मिर्च आदि के निर्यात में 1966 की उसी अवधि की अपेक्षा अप्रैल-नवम्बर, 1967 में वृद्धि हुई परन्तु परम्परागत माल जैसे पटसन का सामान, खलियाँ, मसाले, चर्म तथा चर्मोत्पाद, काजू, गिरि, नारियल जटा, धागा आदि के निर्यात में गिरावट के कारण उक्त वृद्धि का प्रभाव समाप्त हो गया। कुल मिलाकर निर्यातों का रुख, विशेषतः कतिपय अपरम्परागत मदों का, उत्साह-जनक प्रतीत होता है।

रूस को रेल माल–डिब्बों का निर्यात

2828. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस हमारे देश से आगामी पाँच वर्षों में बनने वाली सब रेल पटरियों और रेल माल डिब्बों को खरीदने के लिये सहमत हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो भिलाई इस्पात कारखाने तथा हमारे देश में रेल माल डिब्बे बनाने वाले अन्य इंजीनियरी उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

(ग) क्या और भारत-रूसी औद्योगिक कारखाने स्थापित करने का विचार है; और

(घ) जब रूप के प्रधान मंत्री हाल में भारत आये थे तो उन्होंने इस देश को क्या अन्य सहायता देने का वचन दिया था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री श्री (मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जनवरी, 1968 में जब सोवियत प्रधान मंत्री भारत आये थे तो उन्होंने, भारत द्वारा 1975 तक बनाये जाने वाले सभी रेल माल–डिब्बों को खरीदने का आश्वासन दिया बशर्ते कि वे रूसी तकनीकी विशिष्टियाँ के अनुरूप हों। उन्होंने यह भी कहा कि रूस इस्पात की रेल पटरियाँ भी खरीदने का इच्छुक है।

(ख) भिलाई इस्पात कारखाने तथा देश में रेल माल–डिब्बे बनाने वाले इंजीनियरी उद्योगों को सोवियत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी क्षमता से कार्य करने का अवसर मिलेगा।

(ग) जी हाँ। और अधिक भारत-रूसी औद्योगिक कारखाने स्थापित करने की सम्भावना विचाराधीन है।

(घ) सोवियत सहायता से बने कारखानों की क्षमताओं के बेहतर उपयोग के लिये सहायता देने के लिये और पटसन उत्पाद चमड़ा तथा चमड़े के माल, फलों के रस आदि के क्षेत्र में अधिक तैयार माल खरीदने के लिए भी सोवियत प्रधान मंत्री सामान्यतः सहमत हो गए हैं।

Import of Drilling Rigs in 1967-68

2829. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state the steps taken so far to manufacture drilling rigs for irrigation purposes in the country ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): Heavy Engineering Corporation Limited, Ranchi have already taken up the manufacture of water drilling rigs. Some parties in the private sector have also been licensed to manufacture drilling rigs.

Sweeping away of Sugar by Floods in Bharatpur

2830. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sugar sent to Rajasthan had been swept away by floods last year in Bharatpur alongwith the bogies in which it was sent ; and

(b) whether the bogies have since been found and if so, at which place.

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) In view of the answer to part(a), the question does not arise.

प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली

2831. **श्री मोहन स्वरूप :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 1 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2760 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली को समाप्त करने की योजना को इस बीच अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे में विद्युत् चालित संगणक

2832. **श्री रा० मो० बनर्जी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया रेलवेमेंज़ फैडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ विद्युत्-चालित संगणक लगाये जाने के बारे में और अधिक परामर्श किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई समझौता हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या संगणक लगाये जाने की अग्रेतर कार्यवाही रोक दी गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :(क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) संगणक लगाने के काम को स्थगित करने का सवाल नहीं उठता।

कूपर एलन कम्पनी लिमिटेड, कानपुर

2833. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिए जूते बनाने के उद्देश्य से राज्य व्यापार निगम द्वारा उत्तर प्रदेश में जूते बनाने का कारखाना स्थापित किये जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हाँ, तो कूपर एलन कम्पनी लिमिटेड, कानपुर का प्रबन्ध अपने अधिकार में न लेने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें सुझाव दिया गया है है कि राज्य व्यापार निगम कूपर एलन कम्पनी लिमिटेड, कानपुर का प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले तथा उसे अपने प्रबन्ध में चलाए। सरकार निगम के साथ विचार-विमर्श करके मामले पर विचार कर रही है।

जापान को मैंगनीज अयस्क का निर्यात

2834. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जापान को मैंगनीज अयस्क के निर्यात को बढ़ाने की संभावना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम मिकला ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) और (ख) मैंगनीज अयस्क के जापान के कुल आयात में भारत का भाग वर्ष 1965 में 44.2% से बढ़कर वर्ष 1967 में 48% से भी अधिक हो गया है। वर्ष 1965, 1966 तथा 1967 में वास्तविक निर्यात क्रमशः 4,71,000 मे टन, 5,45,000 मेटन तथा 6,75,700 मे० टन थे। जापान को निर्यात बढ़ाने के लिये सतत् प्रयत्न किये जा रहे हैं।

स्कूटरों का निर्माण

2835. **श्री चन्द शेखर सिंह:** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल्हापुर की स्कूटर बनाने वाली एक छोटी फर्म ने केवल भारतीय पूंजी और भारतीय इंजीनियरों से पूरा स्कूटर तैयार किया है;

(ख) क्या उस फर्म द्वारा तैयार किया गया स्कूटर चला कर देख लिया गया है और वह उपयोगी सिद्ध हुआ है;

(ग) क्या उस फर्म ने वाणिज्यक आधार पर स्कूटर का निर्माण करने के लिये सरकार की अनुमति माँगी है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) कोल्हापुर की एक फर्म द्वारा निर्मित एक स्कूटर का 8.2.1968 को बम्बई में हुई लघु उद्योग संघ के पदाधिकारियों की एक बैठक में प्रदर्शन किया गया था और यह दावा किया गया था कि इसका निर्माण पूर्णतया भारतीय पूंजी तथा तकनीकी जानकारी से किया गया है और इसमें केवल 15 प्रतिशत आयतित अंश है। यह भी दावा किया गया था कि यह स्कूटर सड़क पर चलने के उपयुक्त है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आयात लाइसेंस

2836. **श्री हिम्मतसिंहका : श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय कर लिया है कि उन औद्योगिक कारखानों को जो प्राथमिकता सूची में नहीं हैं परन्तु जिनका निर्यात बहुत अधिक है उदारता से आयात करने दिया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या प्राथमिकता सूची पर जो दो वर्ष पहले बनाई गई थी पुनर्विचार किया गया है और यदि हाँ, तो सूची में अन्य कौन-कौन से उद्योग शामिल किये गये हैं तथा कौन-कौन से सूची से निकाल दिये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) और (ख) जी नहीं।

(ग) सूची की समय-समय पर समीक्षा की गई है परन्तु अभी तक कोई परिवर्तन आवश्यक नहीं समझा गया है।

इटली को भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल

2837. **श्री हिम्मतसिंहका : श्री रा० रा० सिंह देव : श्री अदिचन : श्री वेदव्रत बरुआ :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने दो सप्ताह तक इटली का दौरा किया था तथा उसने उस देश को नई वस्तुओं के निर्माण सहित व्यापार के विस्तार के बारे में कुछ सुझाव दिए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस दल के क्या सुझाव दिये हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) से (ग) जनवरी, 1968 के उतरार्द्ध में दो सप्ताह के लिए एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल इटली गया था। प्रतिनिधिमंडल का प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु उसके शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिये जाने सम्भावना है। इसलिये उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी रेलों का राष्ट्रीयकरण

2838. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा अब भी कौन-कौन सी रेलें चलाई जा रही हैं;

(ख) उनके वर्तमान करार कब समाप्त होने वाले हैं;

(ग) क्या इन रेलों के विशेषकर शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय देश की सभी गैर-सरकारी रेलों से हैं। एक विवरण संलग्न है, जिसमें रेलों के नाम और दूसरी सम्बन्धित सूचना दी गयी है। **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 345-68]**

(ख) उनके ठेके समाप्त होने की कोई निश्चित तारीखें नहीं हैं। परन्तु रेलें निश्चित अन्तराल से ठेकों में दी गयी शर्तों पर उन्हें खरीदने का विकल्प रखती है।

(ग) और (घ) जिन रेलों के संविदे कम्पनियों ने जिला बोर्डों के साथ किये हुए हैं, जिनका

हवाला संलग्न विवरण में दिया गया है, उनको छोड़कर इन रेलों के राष्ट्रीकरण के प्रश्न पर, खरीदने के लिए विकल्प का अवसर आने पर, सभी सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। 1969 में खरीद का नया विकल्प आने पर शाहदरा-सहारनपुर लाइट रेलवे की खरीद के मामले पर विचार किया जायेगा।

स्टेशन मास्टरों द्वारा नियमानुकूल काम करने का नोटिस दिया जाना

2840. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे के स्टेशन मास्टरों ने किन-किन माँगों को पूरा करवाने के लिये नियमानुकूल काम करने का नोटिस दिया; और

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय 'नियमानुसार काम' के उस आन्दोलन से है जो कुछ स्टेशन मास्टरों और सहायक स्टेशन मास्टरों द्वारा दिसम्बर, 1966 में चलाया गया था। माँगों का सम्बन्ध उसकी सेवा सम्बन्धी शर्तों से था जिनमें वर्तमान वेतनमानों का संशोधन, ऊँचे ग्रेड में पदों की संख्या में वृद्धि, उनकी पदोन्नति की सरणि में संशोधन और उनकी संस्था को मान्यता प्रदान करना आदि शामिल है।

(ख) 'पदोन्नति की सरणि' के प्रश्न को छोड़कर, जो कि अभी तक विचाराधीन है, इन माँगों को ध्यानपूर्वक जाँच की गयी है, लेकिन इन्हें स्वीकार करने का कोई औचित्य निकालना संभव नहीं हो सका है।

नाहन ढलाईघर

2841. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाहन ढलाईघर ने 26.50 रुपये प्रति सी० आई० साकेट की दर पर यह वस्तु देना स्वीकार किया था जब कि इनकी उत्पादन लागत 42.06 प्रति साकेट थी और केवल एक ही सप्लाई में 76.210 रुपये की हानि उठाई;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारी मात्रा में माल अस्वीकार किये जाने से और भी हानि हुई; और

(ग) यदि हाँ, तो इतनी कम दर बताने के लिये कौन जिम्मेवार था और क्या कोई पूछ-ताछ की गई थी तथा हानि के लिये किसी व्यक्ति की जिम्मेवारी निर्धारित की गई थी और जिम्मेवार पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी तथा भविष्य में ऐसी हानि से बचने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

रेलवे के माल डिब्बे

2842. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 की तुलना में वर्ष 1966-67 में रेल के माल डिब्बों के निर्माण में भारी कमी होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या डिब्बे बनाने की फालतू क्षमता बेकार रहने दी गई थी अथवा उसका कोई और उपयोग किया गया था;

(ग) यदि उपयोग किया गया था, तो कितना निर्माण हुआ; और

(घ) यदि फालतू क्षमता बेकार पड़ी रही थी तो उसके परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई और भविष्य में इस स्थिति को किस प्रकार सुधारने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) 1965-66 की तुलना में 1966-67 में रेलवे माल डिब्बों के उत्पादन में जो गिरावट आयी उसका मुख्य कारण था माल डिब्बा बनाने वाली कई फर्मों में श्रम सम्बन्धी गड़बड़ी।

(ख) इस वर्ष माल डिब्बा निर्माताओं के पास माल डिब्बों के लिए पर्याप्त आर्डर थे। इसलिए किसी अन्य उद्देश्य के लिए क्षमता का उपयोग करने का प्रश्न नहीं उठा।

(ग) और (घ) सवाल नहीं उठते।

हस्तशिल्प और हथकरघा माल का निर्यात

2843. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-69 में भारतीय हस्तशिल्प तथा हथकरघा निगम लिमिटेड ने हस्तशिल्प और हथकरघा के कितने और कितने मूल्य के माल का निर्यात किया;

(ख) पिछले वर्ष की तुलना में 1966-67 में इस निगम को कितना शुद्ध लाभ हुआ; और

(ग) किन-किन नई वस्तुओं का निर्यात शुरू किया गया और उसमें कितनी सफलता मिली ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) 1966-67 के वर्ष में निगम ने 61.75 लाख रु० मूल्य का निर्यात किया जिसमें विदेश स्थित उसकी दुकानों / डिपुओं पर हुई बिक्री भी शामिल है। क्योंकि हस्तशिल्प तथा हथकरघे में बहुत सी मदें तथा वर्ग होते हैं अतः प्रत्येक मद के निर्यात की मात्रा बताना सम्भव नहीं है।

(ख) अपने समस्त कार्यकलापों में निगम ने 1966-67 के वर्ष में कोई लाभ नहीं कमाया, बल्कि उसके संवर्धनात्मक कार्यों सहित सभी कार्यकलापों को लिया जाये तो उसे उस वर्ष 12.20 लाख रु० की हानि उठानी पड़ी। 1965-66 में उसे 4.91 लाख रु० का लाभ हुआ था।

(ग) निगम ने जिन नयी मदों का निर्यात आरम्भ किया है वे ये हैं :– 'पहनने के लिये तैयार" वस्त्र, छपे हुए सूती वस्त्र, छपे हुए रेशमी वस्त्र, सौराष्ट्र की कशीदाकारी लोक-धातुशिल्प, कागज की लुग्दी की विशेष किस्म, क्रिसमस के उपयुक्त सजावट का सामान, कन्नौज के लकड़ी के बक्स, वेरोगोंडा के खिलौनें तथा बिहार से कपड़े की गुड़ियाँ, मधुबानी चित्र और गया के पत्थर की वस्तुएं।

पूर्व रेलवे के मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के कार्यालय के लोवर ग्रेड क्लर्क

2844. **श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री अब्राहम : श्री नम्बियार :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में मुख्य वाणिज्यिक अधीक्षक के कार्यालय की दावा शाखा में ऐसे बहुत से लोअर ग्रेड क्लर्क हैं जिनका सेवाकाल 15 से 20 वर्ष तक पूरा हो जाने के पश्चात् भी जिनको अपर के ग्रेड में पदोन्नत नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे क्लर्कों की कुल संख्या कितनी है जिनको 15 वर्ष की सेवा पूरी हो जाने पर भी पदोन्नत नहीं किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकतर क्लर्क समान जिम्मेदारी के साथ उच्च ग्रेड के क्लर्कों वाला काम कर रहे हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) निचले ग्रेड में 97 ऐसे क्लर्क हैं, जिन्होंने 15 वर्ष से अधिक की सेवा कर ली है और जिनकी पदोन्नति अभी ऊँचे ग्रेडों में नहीं हुई।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

Pokaran-Jaisalmer Railway Line

2845. **Shri Mohan Swarup** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Pokaran-Jaisalmer Railway line was inaugurated recently; and

(b) if so, the expenditure incurred thereon ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes.

(b) Approximate anticipated expediture on the project is Rs. 2.5 crores.

नौगाचिया स्टेशन पर आसाम मेल गाड़ी के रुकने की व्यवस्था

2846. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौगाचिया स्टेशन पर आसाम मेल गाड़ी के रुकने की व्यवस्था की जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी हाँ।

(ख) इस प्रार्थना पर विचार किया गया तथा लेकिन नौगछिया स्टेशन पर लम्बी दूरी के यात्रियों की अपर्याप्त संख्या को देखते हुए इसका औचित्य नहीं पाया गया।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादों की श्रीलंका में बिक्री

2847. **श्री सीताराम केसरी : श्री दीवीकन :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स और सीलोन स्टील कारपोरेशन के बीच एक करार हुआ है जिसके अन्तर्गत सीलोन स्टील कारपोरेशन को श्रीलंका में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के उत्पादों के लिये एकमात्र बिक्री एजेन्ट नियुक्त किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने किसी अन्य एशियाई अथवा अफ्रीकी देश के साथ इस प्रकार के करार किये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने मैसर्स सीलोन स्टील कारपोरेशन के साथ लंका में में अपने मशीनी औजारों का वितरण करने के लिए एक बिक्री एजेंसी करार किया है। यह करार किस प्रकार का है इसके बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(ख) और (ग) संबंधित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

ढोलों का निर्माण

2848. **श्री सीता राम केसरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1964 में ढोल निर्माताओं की क्षमताओं का पुनः अनुमान लगाया था और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण थे ;

(ख) क्या यह सच है कि एक से अधिक बार पुनः अनुमान लगाया गया था;

(ग) क्या सरकार द्वारा लगाये गये पुनः अनुमान के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) प्रत्येक पुनः अनुमान के बाद प्रत्येक ढोल निर्माताओं की क्षमता कितनी थी;

(ङ) क्या यह सच है कि पुनः अनुमान के बाद तत्कालीन निर्माताओं के लिए पहले की अपेक्षा इस्पात की चादरों का कम नियतन किया गया; और

(च) पुनः अनुमान से पहले तथा उसके बाद प्रत्येक ढोल निर्माता को इस्पात की कितनी-कितनी चादरों का नियतन किया गया ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) से (च) तेल कंपनियों तथा बेरल निर्माताओं के प्रतिनिधियों के बीच दिसम्बर, 1963 तथा अप्रैल, 1964 में हुई बैठकों के परिणामस्वरूप यह पता चला था कि तेल बैरल उद्योग की उस समय की कुल निर्धारित क्षमता लगभग 400 मी० टन प्रति मास थी और इसलिए पैट्रोल उद्योग अन्य उमभोक्ताओं की उस समय की 4,700 मी० टन प्रति मास की आवश्यकता को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता था जब तक कि विद्यमान क्षमता को बढ़ाया नहीं जाता अथवा नई क्षमता उत्पन्न नहीं की जाती। इन परिस्थितियों में इस बात पर सहमति प्रकट की गई थी कि निर्माताओं की निर्माण क्षमता का अतिम रूप से पुनर्निर्धारण करने के लिए ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि बैरलों की उचित सम्भरण दर का सुनिश्चिय किया जा सके। 1963-64 में किये गये पुर्न निर्धारण के

फलस्वरूप निर्धारित क्षमता तथा 1961–62 से 1965–67 का वाणिज्यिक आधार पर निर्माण करने वालों के लिये किये गये आवंटन संलग्न विवरण में दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 361/68] यद्यपि अभ्यावेदनों के पश्चात् 1965 में दोबारा निर्धारण किया गया था और यह निश्चय किया गया था 1963–64 में क्षमता का भी निर्धारण किया गया था वह फिलहाल जारी रहना चाहिए।

Railway Guards and Conductors

2849. **Shri Ramavatar Shastri**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Conductors and Guards are paid more pay and allowances than the Drivers ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) whether Government are considering any proposal to increase the pay and allowances of Drivers ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) There is no proposal for revision of pay scales.

The position regarding Running Allowances is, however, being enquired into by a Committee.

थोड़ी दूरी का माल यातायात

2850. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में रेलवे में थोड़ी दूरी के माल यातायात में कमी हो रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) रेलवे में थोड़ी दूरी के माल यातायात को आकर्षित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) से (ग) जो आँकड़े उपलब्ध हैं वे यातायात के कुल संचलन के बारे में हैं और दूरी के हिसाब से उनका विश्लेषण उपलब्ध न होने के कारण संकलन का काम जैसे ही पूरा होगा उत्तर सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

बल्गारिया और रूमानिया से इंजीनियरी माल का यातायात

2751. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1968 में इंजीनियरी माल का आयात करने के बारे में बल्गारिया और रूमानिया के साथ कोई करार किया गया हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) और (ख) वर्तमान करार के अनुसार संलग्न सूची (अंग्रेजी में) में दिया गया इंजीनियरी का सामान 1968 में बल्गारिया से तथा 1968 की पहली छमाही में रूमानिया से

भारत में यातायात के लिये उपलब्ध है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 346/68]

आयात लाइसेंस तथा व्यापार एवं भुगतान करार को अन्य शर्तों के अन्तर्गत, इन सभी मदों का आयात किया जा सकता है।

मोटर गाड़ी उद्योग को संरक्षण

2852. **श्री नीतिराज सिंह:** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कारों, ट्रकों, बसों और जीपों की कुल वार्षिक माँग कितनी-कितनी है तथा उनका देश में कितना-कितना निर्माण होता है; और

(ख) क्या इन गाड़ियों के मूल्य में वृद्धि प्रशुल्क नीति की भावना के अनुसार है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) कारों, ट्रकों, बसों तथा जीपों की वार्षिक आवश्यकता का कोई ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाया गया है। फिर भी, 1967 में जीपों और वाणिज्यिक गाड़ियों (बसों को मिलाकर) का वास्तविक उत्पादन माँग पूरी करने के लिये काफी हुआ है। हाँ, कारों का उत्पादन माँग से कम हुआ।

1967 में विभिन्न गाड़ियों का उत्पादन निम्न प्रकार था:—

कारें	33,339 संख्या
जीपें	5,561 संख्या
वाणिज्यिक गाड़ियाँ (बसों को मिलाकर)	31,462 संख्या

(ख) इस समय सरकार देश में निर्मित यात्री कारों के मूल्यों पर एक अनौपचारिक नियंत्रण रखती है। इसके अनुसार कोई भी कार निर्माता सरकार की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना अपनी गाड़ियों के मूल्य नहीं बढ़ा सकता। यद्यपि वाणिज्यिक गाड़ियों (ट्रकों और बसों) तथा जीपों से अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण उठा लिया गया है, तो भी सरकार ने इन उद्योगों से अनौप-चारिक मूल्य नियंत्रण हटाने से पहले निर्माताओं से यह लिखित आश्वासन ले लिया था कि वे नियंत्रण हटाने की तारीख से 12 महीने की अवधि तक या जब तक सरकार द्वारा तटकर आयोग की रिपोर्ट पर नियंत्रण नहीं कर लिया जाता, इनमें से जो भी पहले हो, ऐसे कारणों को छोड़ कर जिनके कारण उन्हें मूल्य में वृद्धि करना आवश्यक हो हो जाये और जिनपर उनका कोई वश न चले तथा जिसके लिये अब तक लागू अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण की प्रणाली के लिये सरकार की स्वीकृति न मिल जाय, अपनी गाड़ियों के मूल्य नहीं बढ़ायेंगे।

भारत फिलीपिन सहयोग

2853. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया:** **श्री चेंगलराया नायडू:**
श्री वीवीकन: **श्री म० ला० सोंधी:**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फिलिपीन से एक व्यापार-शिष्टमंडल भारत और फिलीपीन के बीच औद्योगिक विकास तथा व्यापार में पारस्परिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिये हाल ही में भारत आया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) भारत को इससे क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) से (ग) फिलीपीन के वाणिज्य मंडल द्वारा प्रायोजित एक सद्भावना तथा व्यापार-शिष्टमंडल, एक गैर-सरकारी संस्था भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के संघ, के निमंत्रण पर 30 जनवरी, 1968 से 8 फरवरी, 1968 की अवधि के लिये भारत आया था। शिष्टमंडल के यात्रा कार्यक्रम में बम्बई, मद्रास दिल्ली तथा आगरा की यात्रा शामिल थी। यह सूचना मिली है कि शिष्टमंडल दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के संघ द्वारा आयोजित एक बैठक में कुछ प्रतिनिधि व्यापारियों से मिला। मिशन के नेता ने यह भी कहा बताते हैं कि प्रत्यक्ष यहाँ आकर, विशेषतः बम्बई, मद्रास तथा दिल्ली के बहुत से कारखानों के दौरे से, उन्हें यह विश्वास हो गया कि उद्योग के क्षेत्र में भारत के साथ नए सम्बन्ध स्थापित किए जा सकते हैं जिनसे दुतरफा व्यापार का पर्याप्त विकास हो सकेगा।

Issue of Industrial Licences

2854. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the new procedure adopted by Government for granting industrial licences, under which licences can be obtained within a maximum period of 70 days after submission of application has been introduced in all the departments concerned ;

(b) if so, whether Government's attention has been drawn to such cases where licences could not be granted within the prescribed time ; and

(c) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed):

(a) Rule 15 of the Registration and Licensing of Industrial Undertakings Rules, 1952, prescribes a period of three months for the disposal of applications for industrial licences from the date of their receipt or the date on which any additional information asked for is furnished. On the basis of the recommendations of the Industries Development Procedures Committee certain time limits have been prescribed for the various stages in the disposal of applications. Instructions in this regard have been issued to all concerned

(b) and (c) Government are aware that in some cases it has not been possible to adhere to the time-limits mentiond in (a) above. Cases which are not put up to the Licensing Committee within the stipulated period are brought to the notice of the Committee and Ministries/Departments concerned are requested to expedite action in such cases.

Export of Tea

2855. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of countries to which tea was exported from India during 1967 and the quantity exported to each of them ;

(b) The quantity of tea likely to be exported to foreign countries till the end of 1968-69 and the amount of foreign exchange likely to be earned thereby ; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to promote export of tea further ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) A statement is attached. **[Placed in Library. sec. no. LT—347/68]**

(b) It is difficult to estimate with any reasonable degree of accuracy the quantity and value of tea likely to be exported durng the year 1968-69.

(c) Government propose to promote export by stimulation of demand for tea abroad.The recent reduction in the export duty on the better qualities of tea is also expected to help in increasing exports.

Missing of Fish Plates from Railway Track Near Barnagar Station

2856. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that fish plates and bolts of railway track near Barnagar Railway Station in District Ujjain of Madhya Pradesh were found to have been removed as reported in Daily 'Swadesh' of the 23rd December, 1967 ;

(b) the action taken by Government in this regard ; and

(c) whether Government suspect that foreign agents had a hand in these activities ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Pooncha): (a) Yes.

(b) A case was registered by Government Railway Police, Ratlam under section 379 I.P.C. and 128 Indian Railways Act and after due investigation, the case has been closed as undetected.

(c) No.

Ticketless Travel in Danapur Division of Eastern Railway

2857. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a drive was started from the 22nd August, 1967 in Danapur Division on the Eastern Railway to check ticketless travel ;

(b) if so, the number of ticketless travellers held in this drive ;

(c) the amount realised by Government towards fines and railway fare and the nature of any other benefit accuring from this drive; and

(d) whether Government propose to start such drives in other Divisons also to check ticketless travel and if so, when and in which Divisons such drives would be started ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha): (a) Yes.

(b) and (c) During the drive, over a period of slightly over 4 months 26,808 passengers were detected travelling without tickets or with improper tickets. A sum of Rs.12,500 was realised towards fine and excess charges. The other benefit derived from this drive was that as compared with the corresponding period of last year, the sale of tickets at the booking windows at stations on the sections subjected to the drive increased from 38,85,202 to 44,37,873 and the earnings from the sale of tickets from Rs. 64,74,216.19 paise to Rs. 81,09, 565.47 paise.

(d) Yes. As and when adequate police force is made available by the State Government concerned to assist the ticket checking staff in making such drives effective, they are being launched on other Divisions also.

Abduction of Girl Student Trevelling in Lucknow-Delhi Express Near Kakori Railway Station

2858. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minster of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a girl student traveling in Lucknow-Delhi Express was abducted by some persons near Kakori Railway Station of the Northern Railway in the first week of February, 1968 as reported in the Hindustan, of the 9th February, 1968 ;

(b) if so, the action taken by Government to trace her ; and

(c) the action proposed to be taken by Government to check the recurrence of such incidents ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Yes. A girl was forcibly taken away by accused persons on 6-2-'68 who had boarded the same compartment from Lucknow when the train was stopped by pulling the alarm chain between Raiway stations Kakori and Malihabad.

(b) On receipt of information, the Station Officer Government Railway Police, Hardoi took immediate action and was success ul in recovering the girl on 8-2-'68 and arresting the two accused persons. Government Railway Police, Lucknow have registered a case on Crime no 92 U/S 363, 366 IP.C and 108 of Indian Railways Act and G.RP Hardoi under Section 25 of the Arms Act. Further police investigation is continuing.

(c) Maintenance of law and order within railway premises and in railway trains is the responsibility of State Government and State Government Railway Police and such incidents are immediately reported to the Government Railway Police for necessary action.

Bombs Thrown on Train at Bhagalpur Station

2859. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some bombs were thrown by some unknown persons on the engine of 338 Down Gaya Passenger at Bhagalpur Railway Station as reported in 'Veer Arjun' of the 10th February, 1968 in the first week of February, 1968 ;

(b) if so, the number of persons killed and injured as a result thereof ;

(c) whether an inquiry into the incident has been conducted ; and

(d) if so, the number of arrests made so far ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Some one threw a big size craker on the coal cabin of the Engine of 338 Dn. Train on 31-1-68 near Bhagalpur Railway Station.

(b) None was injured.

(c) Yes. The case has been registered by Government Railway Police, Bhagalpur on case no 8 u/s Explsoive Substance Act.

(d) No arrest has been made so far.

रेलवे में सुधार करने के लिये विदेशों से तकनीकी मार्ग-दर्शन

2860. **श्री क० लकप्पा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलगाड़ियों की गति को बढ़ाने तथा रेलवे में अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये भारतीय रेलवे ने किसी समय विदेशों से तकनीकी मार्ग-दर्शन माँगा था; और

(ख) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं, उनसे किस प्रकार की सलाह ली गई थी तथा उसके क्या परिणाम निकले हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं; फिर भी भारतीय रेलें विदेशों में होने वाली तकनीकी विकास की जानकारी रखती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बांदा जिले में सीमेन्ट का कारखाना

2861. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बाँदा जिले के कारानि-मानिकपुर क्षेत्र में सीमेंट का एक कारखाना स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है?

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) उसकी क्रियान्विति पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(घ) कारखाना कब तक स्थापित होने की संभावना है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

बांदा स्टेशन पर उपरि पुल

2862. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में बाँदा स्टेशन पर उपरि पुल बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर कितना खर्च आने का अनुमान है; और

(घ) इस उपरि पुल का निर्माण-कार्य कब से आरम्भ होने की संभावना है?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) से (घ) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय स्टेशन पर यात्रियों के इस्तेमाल के लिए एक ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने से है।

2.49 लाख रुपए की अनुमानित लागत से एक अतिरिक्त प्लेटफार्म और नए प्लेटफार्म को मुख्य प्लेटफार्म से जोड़ने के लिए 8 फुट चौड़े एक ऊपरी पैदल पुल की व्यवस्था करने के काम की मंजूरी दे दी गयी है। प्लेटफार्म के निर्माण और ऊपरी पैदल पुल की इस्पाती संरचना के काम शुरु किए जा चुके हैं।

पुरी आसनसोल गाड़ी के साथ डिब्बे का जोड़ना

2863. **श्री रवि राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता की माँग को ध्यान में रखते हुए पुरी-आसनसोल गाड़ी के साथ केवल

रूरकेला के लिये एक डिब्बा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है जो खड़गपुर में उक्त गाड़ी से हटा लिया जायेगा ताकि उड़ीसा के लोगों की अत्यावश्यक माँग को पूरा किया जा सके; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लोहे और इस्पात के उत्पादों का निर्यात

2865. **डा० रानेन सेन** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहे और इस्पात के उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) क्या 1967–68 में इन उत्पादों के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है, और यदि हाँ, तो कितनी;

(ग) 1968–69 में लोहे और इस्पात के उत्पादों के निर्यात में कितनी वृद्धि होने की आशा है; और

(घ) लोहे और इस्पात के उत्पादों के निर्यात से 1968–69 में कुल कितनी विदेशी मुद्रा कमाई जाने की आशा है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) निर्यात को बढ़ाने के लिए स्टील एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के नाम से उत्पादकों और निर्यातकों की एक संस्था बनाई गई है। विदेशों में लोहे और इस्पात के लिए मार्केट बनाने के उद्देश्य से सरकार सर्वेक्षण दल भेजने में प्रोत्साहन दे रही है। इसी उद्देश्य से स्टील एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की एक टीम आजकल दक्षिण-पूर्वी एशिया का दौरा कर रही है। हल्के इंजीनियरी उत्पादों की जिनमें इस्पात भी शामिल है, खपत के लिए हाल ही में एक टीम ने संयुक्त राष्ट्र अमरीका के बाजारों का अध्ययन किया है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने भी अपने उत्पादों के लिए कई बाजारों का सर्वेक्षण किया है। संयुक्त राष्ट्रों के व्यापार और विकास सम्मेलन में भाग लेने के लिए आये हुए कुछ शिष्ट मंडलों को इस्पात कारखाने भी दिखाए गए हैं जिससे हमारे इस्पात उत्पादों में उनकी रुचि बढ़े।

इसके अलावा लोहे और इस्पात के निर्यात के लिये राज–सहायता भी दी जा रही है।

(ख) ऐसी आशा है कि 1967–68 में लोहे और इस्पात के निर्यात से 50 करोड़ रुपये से ऊपर विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकेगी जबकि 1966–67 में केवल 20 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई थी।

(ग) और (घ) ऐसी संभावना है कि 1968–69 में लगभग 19.5 लाख टन लोहे और इस्पात का निर्यात होगा जिससे 80 करोड़ रुपए के लगभग विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

इस्पात का उत्पादन

2866. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में सरकारी क्षेत्र में इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ और कारखानों की कुल कितनी क्षमता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में सभी इस्पात कारखानों की कुल कितनी हानि हुई है; और

(ग) कारखानों को लाभप्रद बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की।

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 348/68**]

जनसंघ के अध्यक्ष की मृत्यु

2867. **श्री कंवर लाल गुप्त** : **श्री ना० स्व० शर्मा** :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनसंघ के अध्यक्ष, पंडित दीन दयाल उपाध्याय का शव 11 फरवरी, 1968 को प्रातः 3 बज कर 20 मिनट पर मुगलसराय **रेलवे स्टेशन** के यार्ड में पाया गया, परन्तु यह छः घंटे बाद पहचाना गया, जब कि उनकी **जेब** में पहले दर्जे का टिकट और आरक्षण टिकट थे ;

(ख) यदि हाँ, तो उनके **शव** को पहचानने में विलम्ब के क्या कारण **थे** ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उस डिब्बे में कोई भी अटेन्डेंट नहीं था ;

(घ) क्या मुगलसराय रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने उन्हें तथा सरकार को पंडित दीन दयाल उपाध्याय की हत्या के बारे में सूचित किया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क), (ख), (घ) और (ङ) : गृह-मंत्रालय द्वारा सूचना इकट्ठी की जा रही है और उक्त मंत्रालय द्वारा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) उस डिब्बे में कोई परिचर नहीं था, क्योंकि इस टाइप के मिले-जुले डिब्बों में परिचर नहीं रखे जाते ।

Late Arrival and Departure of Trains at Delhi and New Delhi stations

2869. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the departure of trains from Delhi is generally delayed and the trains reaching here in time are also delayed as they are detained outside Delhi and New Delhi Stations ; and

(b) if so, the steps taken by Government to remedy the situtation ?

The Minister of Railways (**Shri C.M. Poonacha**):

(a) Occasionally, there have been detentions to incoming / outgoing trains at Delhi/New Delhi stations due to execution of work in connection with instalation of power signalling.

(b) Installation of Power Signalling at Delhi station has been completed on 18th February, 1968. Additional facilities at New Delhi station also are being provided. As a result of these measures the incidence of detentions to outgoing and incoming trains has been appreciably reduced.

पाकिस्तान द्वारा भारतीय सम्पति की विमुक्ति

2870. **श्री रा० बरुआ** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-पाकिस्तान संघर्ष में पाकिस्तान ने जो माल तथा सम्पत्ति जब्त कर ली थी उसकी विमुक्ति के बारे में रूसी प्रधान मंत्री से उस समय बातचीत की गई थी जब उन्होंने हाल में भारत की यात्रा की थी और भारत-पाकिस्तान संबंधों के बारे में बातचीत की थी; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या रूसी प्रधान मंत्री ने कोई आश्वासन दिया था कि वह इस मामले को सुलझाने के लिये पाकिस्तान से बातचीत करेंगे?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):

(क) और (ख) ताशकंद घोषणा के आधार पर भारत और पाकिस्तान में संबंधों को सामान्य बनाने के प्रश्न पर भारत तथा सोवियत रूस के प्रधान मंत्रियों ने विचारों का आदान-प्रदान किया। पाकिस्तान द्वारा 1965 में कब्जे में लिये गए माल तथा अन्य सम्पत्ति की विमुक्ति का प्रश्न विशेष रूप से नहीं उठाया गया।

टेल्लिचेरी-मैसूर रेलवे लाइन

2871. **श्री प० गोपालन** : **श्री नायनार** :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टैलिचैरी-मैसूर रेलवे लाइन का निर्माण-कार्य पाँच वर्षों के अन्दर आरम्भ करने की कोई योजना सरकार ने बनाई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) जी, नहीं।

(ख) इस लाइन के इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षणों से पता चला है कि वित्तीय दृष्टि से इस प्रस्ताव का औचित्य नहीं होगा। चौथी योजना में नयी लाइनों के निर्माण के लिए सीमित धन-राशि उपलब्ध होने के कारण निकट भविष्य में इस लाइन के सम्बन्ध में विचार किए जाने की संभावना नहीं है।

रेशम के करघों को ऊन के करघों में बदलना

2872. **श्री प० गोपालन** : **श्री उमानाथ** :
श्री अनुरुद्धन :

क्या वाणिज्य मंत्री 1 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2634 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जाँच व्यूरो ने माडल वूल्स मिल्स, बम्बई द्वारा रेशम के करघों को गैर-कानूनी रूप से ऊन के करघों में बदलने के सम्बन्ध में जाँच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) से (ग) केन्द्रीय जाँच व्यूरो ने जाँच कार्य पुरा कर लिया है और उसके प्रतिवेदन की केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श में सरकार द्वारा जाँच की जा रही है।

अमरीका के साथ व्यापार

2873. **श्री प० गोपालन : श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री सत्य नारायण सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में अमरीका को भारतीय वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है, जबकि अमरीकी वस्तुओं का भारत में आयात बहुत बढ़ गया है;

(ख) यदि हाँ, तो किस हद तक;

(ग) अमरीका के साथ भारतीय व्यापार में अमरीकी मुद्रा का किस हद तक घाटा रहा है; और

(घ) भारत ने अमरीका से 1951 से 1967 की अवधि में कितने मूल्य के कृषि उत्पादों की खरीद की है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) से (ग) एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध 1 जिसमें संयुक्त राज्य अमरीका से आयात तथा वहाँ को निर्यात और व्यापार संतुलन दिखाये गये हैं [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 349-68**]। पी० एल० 480 के अन्तर्गत की गई खाद्यान्न आदि की पूर्ति के फलस्वरूप, अमरीकी मुद्रा का घाटा, नकारात्मक व्यापार सन्तुलन की अपेक्षा काफी कम था।

(घ) एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध 2) जिसमें 1951 से 1967 तक आयात किये गये खाद्यान्नों का अनुमानित मूल्य दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 349-68**] अन्य खाद्य उत्पादों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के तथा स्वायत्तशासी निगम

2874. **श्री नायनार : श्री नम्बियार :**
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4617 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के तथा स्वायत्त निगमों की संख्या, प्रचार का कार्य करने वाली विज्ञापन एजेंसियों के नाम, दिसम्बर, 1967 तक उनको दी गई कमीशन तथा एजेंसियों के भारतीय अथवा विदेशी होने के बारे में सूचना इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) सूचना कब तक इकट्ठी किये जाने की सम्भावना है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (श्री चन्ना रेड्डी) :

(क) से (ग) अतारांकित प्रश्न संख्या 4617 में माँगी गई जानकारी आश्वासन के परि-पालन के रूप में सभा पटल पर रखने के लिए संसदीय मामलों के विभाग को पहले ही भेज दी गई है। उक्त जानकारी की प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 350/68]**

औद्योगिक कारखानों का बन्द होना

2875. **श्री रा० बरुआ :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967 के अन्त तक देश में कुल कितने औद्योगिक कारखाने बन्द हो गये थे ;

(ख) वर्तमान मन्दी से पूर्व कितने औद्योगिक संस्थान बन्द हो गये थे और कितने मन्दी के पश्चात् बन्द हुए मान लिये गये ;

(ग) विवादों के फलस्वरूप कुल कितने औद्योगिक कारखाने बन्द पड़े हैं ; और

(घ) उनमें संकट के कारणों का विश्लेषण करने और उसे दूर करने के हल निकालने के लिए सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

औद्योगिक, विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(घ) सरकार को प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के काफी संख्या में चुने हुए और प्रतिनिधिकारी एककों के पास से विशेष रिपोर्टें मिलती रहती है जिनसे उन कठिनाइयों का वास्तविक स्वरूप सामने आता रहता है जिनका सामना उन्हें कारखानों के स्वस्थ विकास करने में करना पड़ता है ताकि यथासम्भव इन कठिनाइयों को दूर किया जा सके।

केरल में नये उद्योग

2876. **श्रीमती सुशीला गोपालन : श्री अनिरुद्धन :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में केरल के गैर-सरकारी क्षेत्र में नये उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार ने कितने लाइसेंस दिये हैं ; और

(ख) उन व्यक्तियों और फर्मों के नाम क्या हैं जिनको ये लाइसेंस दिये गये हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) एक।

(ख) एरणाकुलम की फर्म मेसर्स कोचीन रोलर फ्लोर मिल्स के श्री एम० एल० गुप्त को एक लाइसेंस दिया गया है।

रेलवे गैंगमैन की मृत्यु

2877. **श्री गणेश घोष :** **श्री भगवान दास :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री मोहम्मद इस्माइल :**

क्या **रेलवे** मंत्री 1 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2837 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छः रेलवे गैंगमैनों की दम घुटने के कारण मृत्यु होने की परिस्थितियों के बारे में जानकारी एकत्रित कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री श्री (चे० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) सूचना सभा-पटल पर रख दी गयी थी। विवरण की एक प्रति संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 351/68]**

दुर्गापुर इस्पात कारखाना

2878. **श्री गणेश घोष :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में दुर्गापुर इस्पात कारखाने में स्टोर तथा अचल सम्पत्ति की कितनी क्षति हुई।

(ख) उक्त अवधि में इस प्रकार की कितनी हानि/चोरियाँ हुई ; और

(ग) इसमें कितने सुरक्षा कर्मचारी काम कर रहे हैं और उनके वेतन आदि पर कितना धन व्यय होता है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (श्री चन्ना रेड्डी) :

(क) पिछले तीन वर्षों में दुर्गापुर इस्पात कारखाने में स्टोर तथा चल-सम्पत्ति की चोरियों के कारण क्षति का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	क्षति की रकम
1964-65	1,29,957.13
1965-66	2,80,907.93
1966-67	2,18,448.48

(ख) उक्त अवधि में हुई क्षतियों / चोरियों की संख्या निम्नलिखित हैं :—

1964-65	138
1965-66	156
1966-67	266

(ग) आग बुझाने वाले कर्मचारियों को छोड़कर सुरक्षा कर्मचारियों की कुल संख्या 842 है और उनके वेतन आदि पर वार्षिक व्यय लगभग 20 लाख रुपये है।

भारत और ईरान के संयुक्त उद्यम

2879. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और ईरान ने अधिक आर्थिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने और संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए विशेषज्ञों का आदान-प्रदान करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि उन्होंने 8 फरवरी, 1968 को ईरान के अर्थ मंत्री के साथ नई दिल्ली में एक बैठक की थी ;

(ग) यदि हाँ, तो किन-किन विषयों पर चर्चा की गई और क्या-क्या निर्णय किये गये ; और

(घ) भारत के विशेषज्ञों द्वारा ईरान का कब दौरा किये जाने की संभावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) से (घ) नवम्बर, 1967 में तेहरान में दोनों देशों के प्रतिनिधियों के मध्य हुई बातचीत के दौरान भारत तथा ईरान में औद्योगिक तथा आर्थिक सहयोग संबंधी प्रश्नों पर भी बातचीत हुई। इस मामले पर ईरान के अर्थ मंत्री के साथ 7 फरवरी, 1968 को नई दिल्ली में भी बातचीत की गई। इस विषय में और आगे विचार-विमर्श करने के लिये दोनों देशों के प्रतिनिधियों की निकट भविष्य में बैठक होने की आशा है।

रूरकेला इस्पात कारखाना

2880. **श्री भगवान दास : श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री पी० राममूर्ति :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने के अधिकांश वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बिल्कुल समन्वय नहीं है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

इस्पात उत्पादन

2881. **श्री बी० कु० मोडक : श्री मोहम्मद इस्माइल : श्री सत्यनारायण सिंह : श्री अनुरुद्धन :**

क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात उत्पादन के लिए सरकार ने कोई दीर्घकालीन योजना बनाई है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि दीर्घकालीन योजना के न बनाये जाने के परिणामस्वरूप दूसरे उद्योग जैसे कोयला और भारी इंजीनियरी को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा के मसौदे में 14.8 मिलियन टन इस्पात पिण्ड की क्षमता की परिकल्पना की गई है जिससे चौथी योजना के अन्त तक अर्थात् 1970–71 तक 11.7 मिलियन टन का पिण्ड-उत्पादन या 8.8 मिलियन टन साधारण इस्पात (तैयार) का उत्पादन हो सके। साधारण इस्पात की प्रस्तावित क्षमता बोकारो में एक नया इस्पात कारखाना लगाकर, जिसकी पिण्ड-उत्पादन की क्षमता 1.7 मिलियन टन होगी, और भिलाई का 2.5 मिलियन टन पिण्डक से 3.2 मिलियन टन पिण्डक तक विस्तार करके और दुर्गापुर इस्पात कारखाने का 1.6 मिलियन टन पिण्डक से 3.4 मिलियन टन पिण्डक तक विस्तार करके तथा राउरकेला कारखाने का 1.8 मिलियन टन पिण्डक से 2.5 मिलियन टन पिण्डक तक विस्तार करके प्राप्त की जानी है। भिलाई कारखाने के विस्तार के प्रथम चरण अर्थात् लोहा बनाने की अवस्था को क्रियान्वित किया जा रहा है। परन्तु इस्पात की माँग कम होने तथा साधनों की कमी के कारण रूपरेखा के मसौदे में परिकल्पित राउरकेला और दुर्गापुर का अधिक विस्तार करने का काम स्थगित कर दिया गया है। इस बीच 1980–81 तक के लिए लोहे और इस्पात की माँग का पुनरावलोकन किया जा रहा है और विकासशील भारतीय निर्माण-क्षमता के महत्व को ध्यान में रखते हुए एक समिति का गठन किया गया है जो इस बारे में परामर्श देगी कि इस्पात के निर्माण में देश कहाँ तक आत्म-निर्भर हो गया है। भविष्य में इस्पात बनाने की अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करने की आवश्यकता पर प्रत्याशित माँग और साधनों की उपलब्धि के संदर्भ में विचार किया जायेगा।

(ख) हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि इसके कारण भारी इंजीनियरी उद्योग और कोयला उद्योग को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

संयुक्त संयंत्र समिति

2882. **श्री रमानी :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा तथा इस्पात सलाहकार परिषद् की स्थायी समिति द्वारा 22 नवम्बर, 1967 को नियुक्त उप-समिति ने इस्पात के मूल्य तथा वितरण और संयुक्त संयंत्र समिति के कार्यकरण के प्रश्न की जाँच कर ली है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) जी, हाँ।

(ख) उप-समिति की आम राय यह थी कि संयुक्त संयंत्र समिति की मूल्य निर्धारण और वितरण की वर्तमान प्रणाली कष्टकर और अनावश्यक है और इसे खत्म कर देना चाहिए बशर्तें कि साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में आयात की अनुमति दे दी जाय जिससे माँग और उसकी पूर्ति में एक प्रकार का सन्तुलन बना रहे और इनके मूल्य में अनावश्यक वृद्धि न होने पावे। समिति का यह भी मत था कि भाड़ा-समकरण की वर्तमान-प्रणाली को कम से कम एक साल तक और जारी रखा जाय। भाड़ा-समकरण निधि तथा 'इंजीनियरी सम्बन्धी निर्यात सहायता निधि' तथा पुनर्वेलकों

को निर्यात के लिए बिलेट की सप्लाई के भाड़े में सरकारी सहायता की निधि के संचालन के लिए एक संस्था कायम करने की आवश्यकता होगी। इन बातों पर सरकार विचार कर रही है।

उत्तर रेलवे पर अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिये छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों संख्या

2883. **श्री नम्बियार : श्री एस्थोस :**
श्री चक्रपाणि :

क्या **रेलवे** मंत्री 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4622 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) उत्तर रेलवे डिवीजन में अनुसचिवीय कर्मचारियों की छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों के बारे में जानकारी इकट्ठी कर ली गई है तथा (दो) क्लर्क कर्मचारियों की कमी के कारण कुछ डिवीजनों में ; जैसे फिरोजपुर में अनुसचिवीय कर्मचारियों को अर्जित अवकाश न दिये जाने के बारे में जानकारी भी इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) :

(क) जी हाँ। सूचना 1–3–1968 को सभा-पटल पर रख दी गयी है (प्रतिलिपि संलग्न है)। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 352/68**]

(ख) सवाल नहीं उठता।

पूर्व रेलवे क्लर्कों को युद्ध के दौरान की गई सेवा का लाभ

2834. **श्री नम्बियार : श्री पी० राममूर्ति :**
श्री सत्यनारायण सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री पूर्व रेलवे के क्लर्कों को युद्ध के दौरान की गई सेवा के लाभ के बारे में 22 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5471 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) प्रश्न 5471 में दिया गया हवाला सही नहीं था। संगत आदेश देखे जा चुके हैं और आवश्यक सूचना संकलित की जा रही है।

रूरकेला इस्पात कारखाना

2885. **श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री अब्राहम :

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में स्थानीय दंगों के कारण रूरकेला इस्पात कारखाने में कितनी बार उत्पादन में बाधा पड़ी ;

(ख) उनका व्यौरा क्या है ;

(ग) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ; और

(घ) क्या रूरकेला के कुछ लोगों ने इस बारे में प्रधान मंत्री को अभ्यावेदन भेजे थे ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) से (घ) सम्भवतः 'स्थानीय दंगों' से माननीय सदस्यों का अभिप्राय साम्प्रदायिक अथवा प्रान्तीय दंगों आदि से है जिनमें कानून की व्यवस्था का प्रश्न आता है। यदि यह ठीक है तो इस प्रकार के दंगों से पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1965–67 में राउरकेला इस्पात कारखाने के उत्पादन में कोई बाधा नहीं पड़ी। फिर भी वर्ष 1967 में श्रमिक अशान्ति और गैर कानूनी हड़ताल से कारखाने के उत्पादन में काफी हानि हुई। आर्थिक दृष्टि से लगभग 34 मिलियन रुपये की हानि हुई है।

संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन

2886. **श्री बेणीशंकर शर्मा : श्री श्रीगोपाल साबू :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों के प्रतिनिधि-मण्डलों से इस आशय की बातचीत कर संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन का लाभ उठाया है कि भारत उन देशों को क्या सामान बेच सकता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या व्यौरा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) और (ख) जी, हाँ। सरकार ने संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के लिये विभिन्न देशों से आये हुए उच्च स्तरीय प्रतिनिधि-मण्डलों की उपस्थिति से लाभ उठाकर उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भारत के औद्योगिक विकास तथा निर्यात संभाव्यताओं से अवगत कराया है। व्यापारिक तथा आर्थिक सहयोग के विस्तार की संभावना के संबंध में अनेक प्रतिनिधि-मण्डलों के साथ बातचीत की गई है और वह बातचीत अब भी जारी है।

मंगोलिया तथा ब्राजील के साथ व्यापार करार किये गये हैं। बहुत से प्रतिनिधि-मण्डलों ने भारतीय उत्पादों में विशेष रुचि व्यक्त की है परन्तु वास्तविक व्यावसायिक करारों के सम्पन्न होने में कुछ समय लगेगा।

बादली औद्योगिक बस्ती में किराये की वसूली

2887. **श्री बेणीशंकर शर्मा :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 16 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2701 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बादली औद्योगिक बस्ती के उन औद्योगिक कारखानों से इस बीच किराया वसूल कर लिया गया है जिन्होंने किराया नहीं दिया था ;

(ख) क्या कुछ अभी भी ऐसे औद्योगिक कारखाने हैं जिन्होंने अब तक किराया नहीं दिया है ; और

(ग) किराया न देने वाले औद्योगिक कारखानों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) छः कारखानों को नोटिस भेज दिए गए हैं तथा एक कारखाने की किराये की बकाया रकम जमा करने का मामला कलेक्टर को भेज दिया गया है।

डीजल तथा बिजली के इंजन

2888. **श्री बेणीशंकर शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों को डीजल तथा बिजली के कुल कितने इंजनों की आवश्यकता है ;

(ख) भारत में बने तथा विदेशों से आयातित इंजनों का अनुपात क्या है ; और

(ग) अब इंजनों की उन किस्मों का निर्माण कहाँ किया जा रहा है और उनकी पूरी क्षमता कितनी है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) डीजल और बिजली रेल इंजनों की आवश्यकताएं प्रत्याशित यातायात पर निर्भर करती हैं और हर साल के लिए अलग अलग होती हैं। 1967-68 के लिए 37 बिजली रेल इंजनों, 98 मुख्य लाइन के डीजल रेल इंजनों और 28 डीजल शंटरों की आवश्यकता थी। इनमें से 32 मुख्य लाइन के डीजल रेल इंजन और 21 डीजल शंटर आयात किये जा रहे हैं। 1968-69 के लिए 75 बिजली रेल इंजन, 125 मुख्य लाइन के डीजल रेल इंजन और 65 डीजल शंटर प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इनमें से केवल 38 मुख्य लाइन के डीजल रेल इंजन आयात करने पड़ेंगे। शेष इंजन देश में ही बनाये जायेंगे।

(ग) मुख्य लाइन के डीजल रेल इंजन वाराणसी के डीजल रेल इंजन कारखाने में बनाये जा रहे हैं। आशा है कि 1970-71 तक इस कारखाने की वार्षिक उत्पादन क्षमता 150-160 रेल इंजन तक पहुंच जायेगी। बिजली और डीजल के शंटिंग रेल इंजन चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने में बनाये जा रहे हैं। इस कारखाने की उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है ताकि 1970-71 तक वार्षिक उत्पादन 100 बिजली रेल इंजन तक पहुँच जायें। डीजल शंटिंग रेल इंजनों का उत्पादन अभी हाल में ही शुरू किया गया है और इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है ताकि 1970-71 तक वार्षिक उत्पादन 60 रेल इंजनों तक पहुंच जाये।

ईस्टर्न रेलवे एम्प्लायीज कंज्यूमर्स विशुद्ध कापरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जमालपुर

2889. **श्री एस्थोस** : **श्री अब्राहम** :
श्री उमानाथ : **श्री अनिरुद्धन** :

क्या **रेलवे** मंत्री ईस्टर्न रेलवे एम्प्लायीज कंज्यूमर्स विशुद्ध कापरेटिव सोसाइटी लिमिटेड,

जमालपुर में कदाचार के बारे में 8 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3516 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाँच पूरी हो गयी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो जाँच-निष्कर्ष क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) सहकारी समितियों के काम का नियमन सहकारी समिति अधिनियम और इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा किया जाता है।

ईस्टर्न रेलवे एम्प्लायीज कंज्यूमर्स विशुद्ध कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जमालपुर, की वर्तमान प्रबन्ध-समिति ने पिछली प्रबन्ध समिति के विरुद्ध समिति के मामलों के कुप्रबन्ध के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर किया है।

मामला अभी न्यायालय में विचाराधीन है।

रूस को इस्पात का निर्यात

2890. **श्री अंबचेजियान :** **श्री विश्वनाथ राय :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से 200,000 मीट्रिक टन इस्पात खरीदने के लिए तैयार है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस करार का व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या भुगतान नगद किया जायेगा अथवा इसके बदले में रूस अपने माल का निर्यात करेगा ; और

(घ) क्या इस्पात बेचने के संबंध में किसी अन्य देश से भी कहा गया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) से (ग) 12 फरवरी 1968 को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और सोवियत सरकार की व्यापार-संस्था 'प्रोमसीरियोइम्पोर्ट' के बीच हुए करार के अन्तर्गत यह संस्था हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड से 1968, 1969 और 1970 की अवधि में 600,000 टन इस्पात अनुभाग खरीदेगी जिनमें प्रति वर्ष 200,000 टन बीम, चैनल और ऐंगल होंगे। जब कि 1968 में सप्लाई किये जाने वाले माल के व्यौरे, तकनीकी विवरण, मूल्य आदि तै कर लिये गये हैं, 1969 और 1970 के लिए इन बातों को बाद में तय किया जायेगा। प्रोमसीरियोइम्पोर्ट द्वारा इन मालों की कीमत की अदायगी सोवियत सरकार द्वारा भारत सरकार को दिये गये ऋण के भुगतान में से की जायेगी।

(घ) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने रूस के अलावा कई अन्य देशों के साथ इस्पात के के निर्यात के लिये करार किये हैं। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड विभिन्न देशों में अपने माल को निर्यात करने के सुअवसर ढूंढ़ते रहते हैं और जहाँ कहीं माल का विवरण और माल की सप्लाई का कार्यक्रम उनके अनुकूल होता है, वे कन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश करते हैं।

दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाना

2891. **श्री पी० राममूर्ति :** **श्री उमानाथ :**

क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर मिश्रित इस्पात कारखाने की विस्तार योजना को त्याग दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने विस्तार योजना को कुछ बड़े उद्योगपतियों के दबाव में त्याग दिया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रूरकेला इस्पात कारखाना

2892. **श्री चक्रपाणि :** क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4651 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात कारखाने में प्रबन्धकों द्वारा बिजली घर के कंडेंसर पाइप साफ न कराये जाने के कारण उसमें 20,000 रुपये प्रतिदिन की हानि के बारे में सूचना प्राप्त कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) और (ख) आवश्यक सूचना पहले ही एकत्रित की जा चुकी है और कार्यान्विति-सम्बन्धी विवरण संसदीय मामलों के विभाग को भेजा जा रहा है।

मद्रास में नई रेलवे लाइन

2893. **श्री दीवीकन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास सरकार ने, मद्रास में 1956 में संघ सरकार द्वारा निर्माण किये जाने के लिए 17 नई रेलवे लाइनों की एक सूची दी थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन 17 रेलवे लाइनों में से 6 नई रेलवे लाइनों के लिए मद्रास सरकार ने अपना अधिमान व्यक्त किया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इन 6 लाइनों में ही केवल 3 का कार्य आरम्भ किया गया और चौथी लाइन, अर्थात्, चिन्नासेलम-चिंगलपट का निर्माण-कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) मद्रास सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में 17 नयी लाइनों के बनाये जाने का सुझाव दिया था।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा सिफारिश किये गये 17 प्रस्तावों में से 3 का निर्माण-कार्य शुरू किया गया। रेलवे की द्वितीय योजना में चिन्नासेलम-चेंगलपट्टू लाइन शामिल नहीं थी। सीमित धन और साधन होने के कारण इस रेल-सम्पर्क के निर्माण पर विचार करना सम्भव नहीं हुआ है।

निर्मित तथा अर्द्ध-निर्मित वस्तुओं का निर्यात

2894. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को अब भी विकसित देशों को अपनी निर्मित तथा अर्ध-निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो ये कठिनाइयाँ क्या हैं और सरकार उन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करना चाहती है; और

(ग) भारत द्वारा अब तक किए गए प्रस्तावों के प्रति विकसित देशों की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हाँ।

(ख) जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है वे उच्च आयात-शुल्कों, परिमाणात्मक सीमाओं अथवा अन्य प्रतिबन्धात्मक नीतियों के रूप में हैं। हमारे व्यापार पर ऐसी कार्यवाहियों से पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिये हम राजनयिक माध्यमों से तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिये भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

(ग) अभी तक उनकी प्रतिक्रिया उपयुक्त नहीं है। फिर भी इस बात के संकेत हैं कि विकसित देश अब हमारी कठिनाइयों को तथा उनको सुलझाने की आवश्यकता को समझने लगे हैं।

"काऊ-बुआए" किस्म के जूतों का निर्यात

2895. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत "काऊ-बुआएज़' जूतों का निर्यात करता है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन देशों को और प्रत्येक देश को प्रति वर्ष कितनी-कितनी संख्या में निर्यात किया जाता है; और

(ग) इससे भारत प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित करता है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) से (ग) वर्ष 1967 में भारत ने पहली बार संयुक्त राज्य अमरीका को 2400 जोड़ी काऊ-बुआए किस्म के बूटों का और 53000 जोड़ी अपर्स का निर्यात किया और लगभग 8.59 लाख रु० मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित की।

रेलगाड़ियों की गति में वृद्धि

2897. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-हावड़ा, बम्बई-हावड़ा आदि लम्बे सफर पर जाने वाली रेलगाड़ियों की गति को बढ़ाकर इनके समय के घंटों को कम करने की सरकार योजना बना रही है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्तमान गति की तुलना में कितने घंटे और किन-किन स्टेशनों के बीच;

(ग) क्या उपरोक्त योजना आसाम मेल पर लागू होगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) और (ख) जी नहीं। लेकिन हावड़ा-दिल्ली मार्ग पर गाड़ी को 70/75, मील प्रति घंटा की रफ्तार से चलाने की व्यावहारिकता पर तकनीकी पहलू से विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ) व्यावहारिकता सम्बन्धी अध्ययन के पूरे हो जाने के बाद और दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर प्रस्तावित गाड़ी को चलाने का अनुभव प्राप्त होने पर इस प्रयोजन के लिए अन्य मार्गों पर भी विचार किया जा सकता है।

Harsul Station

2898. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there are no First and Second Class Waiting Rooms at Harsul Station of the Central Railway ;

(b) if so, whether Government propose to costruct them ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Yes.

(b) No.

(c) The present level of upper class passenger traffic dealt with at this station does not justify provision of first and second class waiting rooms.

Timarni Railway Station

2899. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Timarni Station has no First and Second Class Waiting Rooms;

(b) whether Government poropose to provide waiting rooms there; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Yes.

(b) and (c) The upper class traffic at this station at present is too meagre to justify provision of an upper class waiting room. The matter would however be re-examined while preparing works programme for 1969-70.

Railway Lines in Madhya Pradesh

2900. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the details of the survey conducted in Madhya Pradesh in regard to the Railway lsines ;

(b) whether Government propose to extend these railway lines to the tribal and dacoit-infested areas ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) Information on railway matters is not maintaned State-wise but only Railway-wise. However, proposals for the following new lines falling wholly or partly in Madhya Pradesh were investigated in the recent past :

(i) Dantewara-Dhalli Rajhara.

(ii) Dantewara-Bhadrachalam Road.

(b) and (c) No. The results of the investigations carried out revealed that their construction would not be financially justified.

Ist and IInd Class Ladies Waiting Room at Burhanpur

2901. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no First and Second class ladies Waiting room a the Burhanpur Railway station of the Central Railway and the only ladies waiting room at the said station is common as there is no indication that it is ment for ladies who travel in the First and Second class ;

(b) whether it is a also a fact that no quota for the reservation of sleeping and sitting accommodation has been fixed for that station ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) No. An upper class waiting room for ladies is provided at this station. The same is, however, available to ladies who are travelling in third class also as per extant orders. A separate enclosure for ladies has also been provided in the third class waiting hall.

(b) and (c) No separate quota has been set aside for reservation at Burhanpur. The demand for reservation made by passengers from Burhanpur, like other intermediate stations, is met to the extent feasible by the reservation controlling stations.

Steel Plant in Chandgarh Area

2902. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that iron ore is available in abundance in Chandgarh area of Harsad Tehsil (Madhya Pradesh) ;

(b) whether it is also a fact that a survey of that area has already been conducted ; and

(c) if so, whether Government propose to set up a steel plant there and if so, when it is likely to be set up ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) :

(a) and (b) The iron ore deposit known to occur at Chandgarh area of Madhya Pradesh is very small in size.

(c) Does not arise.

रूरकेला इस्पात कारखाना

2903. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने लौह-अयस्क और मैंगनीज की सप्लाई के लिये अन्य फर्मों से बिना मंगाये कुछ फर्मों के साथ ठेका किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस्पात कारखाने ने किन-किन फर्मों के साथ उपर्युक्त ठेका किया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) से (ग) संभवतः माननीय सदस्य का संकेत जुलाई 1966 में राउरकेला इस्पात कारखाने, हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और मेसर्स बी० पटनायक माइन्स लिमिटेड; मेसर्स मिश्रीलाल

जैन एण्ड सन्स तथा मेसर्स खंगटा एण्ड संस प्राइवेट लिमिटेड के बीच दीर्घकालीन आधार पर लौह-अयस्क और मैंगनीज की सप्लाई के लिए किए गए करारों की ओर है। यदि यह ठीक है तो तीनों खान मालिकों के साथ किए गए करारों को कार्यान्वित कराने का काम 1 जुलाई 1967 से माइन्स एण्ड मेटल्स ट्रेडिंग कारपोरेशन ने संभाल लिया है। सरकारी उपक्रम समिति ने इन सभी सौदों की तथा टेंडर न माँगने के कारणों की जाँच की है और दिसम्बर, 1967 में अपनी रिपोर्ट दे दी है।

आन्ध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनें

2904. **श्री गाडिलिंगन गौड:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में परिवहन को सुविधाजनक बनाने के लिये नई रेलवे लाइनों के बिछाने की सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन लाइनों के बिछाने के निर्माण पर जोर दिया हैं;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने किन लाइनों का सर्वेक्षण करना स्वीकार कर लिया है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा):

(क) और (ख) आँध्र प्रदेश सरकार ने चौथी योजना में निर्माण के लिए नीचे लिखी नयी रेलवे लाइनों की सिफारिश की है :—

(i) ओंगोल-हैदराबाद (बरास्ता नागार्जुन सागर)

(ii) बलाडिल्ला-कोठागुडेम

(iii) भद्राचलम रोड से कोव्वूर

(ग) दांतेवाड़ा (बेलाडिल्ला) से भद्राचलम तक नयी लाइन बनाने के लिये इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण किए जा चुके हैं और भद्राचलम रोड-कोव्वूर रेल-सम्पर्क के लिए व्यावहारिकता एवं लागत-अध्ययन किया जा चुका है।

स्टूडियो के उपकरणों तथा कच्ची फिल्मों का आयात

2905. **श्री गाडिलिंगन गौड** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आँध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में फिल्म निर्माताओं के लिए नवीनतम स्टूडियो उपकरणों तथा कच्ची फिल्मों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा का नियतन करने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) और (ख) जी, हाँ। आँध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद में एक नए फिल्म स्टूडियो की स्थापना के लिए स्टूडियो उपकरण के आयात से संबंधित एक आवेदन पत्र पर सिफारिश की थी जो विचाराधीन है। आँध्र प्रदेश के लिये कच्ची फिल्मों के कोटे सम्बन्धी वर्तमान वितरण व्यवस्था संतोषजनक रूप से चल रही है और इसलिये किसी भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

Appointment of non-official members to Railway User's Consultative Committees on Northern Railway

2906. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the basis

on which the non-official members are appointed to the Railway User's Consultative Committees in the various Divisions of the Northern Railway and the particulars of the persons who have been appointed to the said Committees in each Division so far ?

The Minister of Railways (**Shri C. M. Poonacha**)

Nomination of non-official members on the Divisional Railway User's Consultative Committees is based on the principle of securing as wide a representation as possible of the various identifiable groups of rail users.

Particulars of persons who have been nominated on the said Committee on each Division so far, are given in the attached statement. [**Placed in Library, See. No. L.T.—353/68**]

Intimations about names of persons nominated by certain/groups of rail users are still awaited.

Accidents in Allahabad Division

2907. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many accidents took place in Allahabad division during the last six months involving Railway employees including one or two Guards who lost their lives while on duty on goods trains ;

(b) whether it is also a fact that besides the Railway Guards passengers have also been victims of such accidents in Allahabad division ;

(c) if so the action being taken by Government for the safety of the Railway employees and the public ; and

(d) the number of Railway employees killed so far and the extent of assistance provided by Government to the families of the deceased ?

The Minister of Railway (Shri C. M. Pooncha):

(a) There was only one case of fatal assault on a Guard between Rura and Juhi while working 176 Dn. Goods train on 8-1-68. In aother case, the Guard was assaulted while returning to Tundla as a spare Guard in I Class Compartment on 28-1-68.

(b) No.

(c) Maintenanee of Law and order within Railway premises and in Railway trains is the responsiblity of the State Government concerned. As Railways are also vitally concerned, assistance of Railway Protection Force personnel is given to State Police whenever necessary. Armed Police escorts assisted by R. P. F. have been drafted in trains on the affected section for safety of railway employees and passengers.

(d) One. An ex-gratia amount of Rs.200 was paid immediately to the family of the deceased. A bill for Rs.8,000 being the compensation amount is under scrutiny of the Divisional Accounts Officer, Northern Railway.

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

2908. **श्री बामानी :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को विदेशों से प्रस्ताव मिले हैं कि वह उनको परामर्श दें;

(ख) यदि हाँ, तो उन देशों के नाम क्या हैं जो इसकी सेवाओं का लाभ उठाने के लिये तैयार हैं;

(ग) इन कामों से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(घ) इस प्रकार के निर्यात का विकास करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, हाँ।

(ख) ईरान, कीनिया, मलेशिया, इथोपिया, तथा कुवैत।

(ग) 4.91 लाख रुपये।

(घ) निर्यात के लिए आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाता है।

Factories set up in U. P.

2909. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the names of various districts of U. P. where factories have been set up with the Central assistance during the last five years and the details thereof ; and

(b) the amount of capital invested therein by the Central Government ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (**Shri Fakhruddin Ali Ahmed**) :

(a) and (b) The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

Accommodation for Railway Employees posted in Stations in Rural Areas

2910. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased of state :

(a) whether it is a fact that proper arrangements have not been made for the residential accommodation for the families of the gangmen working on railway lines in rural areas of U.P. ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether house rent allowance is paid to these employees ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) No. Quarters have generally been provided for the gangmen in Rural areas of U. P. to the extent considered necessary.

(b) Does not arise.

(c) and (d) House Rent Allowance is admissible to gangmen in the same manner as for other Railway servants **i.e.** if they are posted in towns for which House Rent Allowance has been sanctioned.

Associate Battery Makers (Eastern) Ltd.

2911. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Associate Battery Makers (Eastern) Ltd. propose to set up second battery factory at Poona with the collaboration of Britain Cloride Group ;

(b) if so, the terms there of and the expenditure involved in setting up the factory ; and

(c) when the work is likely to start ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (**Shri F.A.Ahmed**):

(a) Yes, but without any fresh collaboration or foreign capital investment.

(b) The total additional investment proposed by the firm for the expansion scheme is about Rs.57 lakhs of which the imported plant and equipment would cost about Rs. 13.55 lakhs. They propose to import the equipment from the U.K. against their earnings by exporting their products.

(c) 2½ years.

कालीकट में लौह अयस्क के निक्षेप

2912. **श्री विश्वम्भरम :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केरल के कालीकट जिले में लौह अयस्क निक्षेपों की खोज करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण इस समय केरल के कालीकट जिले के कोजीकोड के कच्चा लोहा निक्षेपों का विस्तृत अन्वेषण कर रही है। सरकार को इन अन्वेषणों के परिणामों का पता चल जाने पर इन निक्षेपों के विदोहन के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को मुआवजा

2913. **श्री विश्वम्भरन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत हुए व्यक्तियों को मुआवजा उनकी पूर्व आय के आधार पर दिया जाता है;

(ख) रेलवे दुर्घटनाओं में हताहत होने वाले ऐसे व्यक्तियों की, जिनकी आय का कोई साधन नहीं होता, मुआवजा किस आधार पर दिया जाता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिना आय वाले व्यक्तियों को भी मुआवजा देने का है।

रेलवे मंत्री (श्री चं० मु० पुनाचा) :

(क) रेल दुर्घटनाओं में ग्रस्त व्यक्तियों और उनमें मारे गये व्यक्तियों के आश्रितों की क्षतिपूर्ति, जहाँ वह भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 82-ए के निबन्धनों के अधीन स्वीकार्य हो, उसी अधिनियम की धारा 82-जे द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार बनाये गये नियमों के अनुसार निर्धारित की जाती है। इन नियमों की एक प्रति संलग्न है*। इसे देखने से पता चलेगा कि भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति का सम्बन्ध दुर्घटना के समय दुर्घटना-ग्रस्त व्यक्ति की आमदनी से है।

(ख) इसका आधार संलग्न नियमों* में बताया गया है।

(ग) भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

Development of Small-Scale Industries in U.P.

2914. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased of state :

(a) the amount allocated for the development of small scale industries in the rural and urban areas of U.P. in the Fourth Five Year Plan ; and

(b) the manner in which the implementation of this scheme is co-ordinated between the Central Government and U. P. Government ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed):

(a) The exact allocation will be known only when the Fourth Plan is finalised.

(b) The co-ordination is brought about by periodical meetings of the Small Scale Industries Board at the Minister's level and its official level Committee, on both of which are representatives of the Centre and the State.

* (इन नियमों का हिन्दी अनुवाद बाद में दिया जायेगा) [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 354/68]

Advertisement of Posts for recruitment to Railway Security Special Force

2915. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of newspapers to which the advertisements for recruitment to the Railway Security Special Force were given by Railway Board, New Delhi, during the period from 1962 to January, 1968 and the value of the advertisements given to different papers, separately ;

(b) whether it is also a fact that Hindi newspapers were paid less amount than the English newspapers ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : (a) The names of Newspapers to which advertisements were given and the value of the advertisements are given below :

Name of Newspaper	Value paid
Advertisements given in 1963	
1. The Hindustan Times, New Delhi (English).	Rs.328.60
2. The Indian Express, New Delhi (English).	Rs.225.00
3. The Times of India, New Delhi (English).	Rs.177.00
4. The Statesman, New Delhi (English).	Rs.138.60
Advertisement given in 1968	
1. The Vishvamitra Patna (Hindi).	Rs.44.00

(b) No.

(c) Does not arise.

Railway Security Special Force

2916. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of officers dealing with the recruitment of Railway Security Special Force and the number of officers among them belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes ; and

(b) if there are no officers among them belonging to the Scheduled Castes, the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) Number of officers dealing with the recuritment of Railway Proection Special Force. 15

Number of officers among them belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes Nil

(b) No officer belonging to the Scheduled Castes could be associated in the recruitment as there was none belonging to Scheduled Caste in the recruiting Battalions.

Fall in Prices of Cotton

2917. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Vidarbha Kisan Sabha in Maharashtra State has recently passed a Resolution to the effect that consequent on a ban imposed by the Reserve Bank of India on advances given by the banks on ginned and unginned cotton and reduction in quota for mills, the rates this year have gone down considerably as compared to those during the corresponding period of last year and forwarded the same to the Central Government; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) Government have received a copy of the Resolution passed by Vidarbha Shetkari Sabha, Amravati on February 4, 1968. The main points of the Resolution are as in the attached statement.

(b) There has been some fall in the prices of cotton recently in comparison to the usually high prices prevalent in November and December, 1967. However, even now the prices are well above not only the support prices for the current season but also the ceiling prices for 1966-67. The price situation is constantly under review and at the appropriate time measures necessary to safeguard the growerss' interests will be taken. Imports of cotton are effected only to meet the shortfall between availability of indigenous cotton and the requirements for maintaining normal machine activity. As regards building of a buffer stock, the report of the Committee set up to examine this question is awaited. As regards price control on cloth, its removal is likely to hurt the poorer section of the population and the matter is receiving careful consideration.

Statement

Main points of the Resolution passed at the meeting of the Vidarbha Shetkari Sabha, Amravati (Maharashtra) on 4th February, 1968:

1. Credit restrictions in respect of cotton should be withdrawn
2. Sabha has protested against Indian Cotton Mills Federation's directive to its member mills to throttle purchase of cotton.
3. Price control on cotton cloth be removed.
4. In view of the fall in prices of Indian cotton, import of cotton be stopped.
5. People should take a vow not to use cloth produced out of imported cotton.
6. Government should start building up buffer stock of cotton.
7. Cultivators should not, as for as possible, market their cotton till conditions improve. Meanwhile, Co-operative Banks should extend financial assistance to them.

डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में सोने के स्थान

2918. **श्री यज्ञदत्त शर्मा**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रात में चलने वाली उन डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों की संख्या क्या है जिनमें तीसरी श्रेणी के सोने के स्थान उपलब्ध हैं;

(ख) उन गाड़ियों की संख्या क्या है जिसमें सोने की सुविधा उपलब्ध नहीं है; और

(ग) रात में चलने वाली सभी रेल गाड़ियों में यह सुविधा देने में कितना समय लगने की सम्भावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा):

(क) और (ख) 5 जोड़ा गाड़ियों को छोड़कर बाकी सभी डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों में, जिनमें रात के समय यात्रा की जाती है, तीसरे दर्जे के शयन-यानों की व्यवस्था की गयी है।

(ग) आशा है चौथी योजना के अंत तक यह सुविधा उन सभी गाड़ियों में उपलब्ध हो जायेगी जिनमें रात के समय यात्रा की जाती है और जिनमें शयन-यानों के लिए पर्याप्त यात्रियों की सम्भावना हो।

Export of Bengal Indigenous Cotton

2919. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : **Shri S. R. Damani** :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the Indian Cotton Textile Mills Association has requested Government to stop the export of Bengal indigenous cotton ;

(b) if so, the reaction of cotton growers thereto ;

(c) the amount of foreign exchange earned thereby annually ; and

(d) the decision taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) and (b) Representation has been received from certain quarters of the industry for stopping export of Bengal Deshi cotton but the growers and traders are opposed to this.

(c) Value of exports of Bengal Deshi cotton during last three years is as under :

Year	Value in Rs. in corres
1964-65	9.72
1965-66	9.02
1966-67	13.18

(d) The matter is under consideration.

अलीपुरद्वार जंक्शन में विश्राम आवास मैस

2920. **श्री वे० कृ० दासचौधरी** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों के लिए उनके मुख्य कार्यालय स्टेशनों पर विश्राम मैस की व्यवस्था है;

(ख) यदि हाँ, तो अलीपुर द्वार जंक्शन पर विश्राम मैस की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर विश्राम-मैसों की कुल कितनी संख्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) :

(क) से (ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे कर्मचारियों के लिए स्थानों का आरक्षण

2921. **श्री वे० कृ० दासचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों को, जब वे रेलवे प्रशासन के कार्य के लिये आपातकालीन ड्यूटी पर जा रहे हों, जिस श्रेणी के भी डिब्बे में स्थान उपलब्ध हो, और उसीमें यात्रा करने की अनुमति है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या केवल कर्मचारियों के लिये कुछ स्थान आरक्षित होते हैं ?

(ग) क्या रेलवे के रिलीविंग कर्मचारियों की ओर से गाड़ियों में स्थान न मिलने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं।

(ख) जी हाँ, कुछ मामलों में ड्यूटी पर यात्रा करने वाले अनिवार्य कोटि के कर्मचारियों के लिए आरक्षित स्थान की व्यवस्था की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

बड़ी लाइन का कालका से आगे तक बढ़ाया जाना

2922. **श्री प्रताप सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे पर बड़ी लाइन को कालका से आगे तक बढ़ाने की कोई योजना है।

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के कब आरम्भ किये जाने और पूरे होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल नहीं उठता।

नारियल जटा से बनी वस्तुएँ

2923. **श्री रा० बरुआ** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल जटा तथा नारियल जटा से बनने वाली वस्तुओं का निर्यात कम हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उद्योग के उत्पादन में कमी न आने देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) से (ग) यद्यपि नारियलजटा की निर्यात की संभावना में कोई कमी नहीं आई है, तथापि बढ़िया किस्म के अन्य फर्श बिछावनों से प्रतिस्पर्धा के परिणामस्वरूप हमारे निर्यात में कुछ कमी हुई है, ऐसा विकसित देशों का जीवन स्तर सामान्यतः उन्नत हो जाने तथा बेहतर किस्म के उत्पादों की ओर उपभोक्ताओं की रुझान हो जाने के कारण हुआ है। नारियल जटा से बनने वाली वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये किये गये उपायों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

नारियल जटा से बनी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए किये गये उपाय।

1. निर्यात संवर्द्धन संबंधी विभिन्न उपाय किये गये, जैसे आयात पुनर्भरण, विदेशों में प्रचार, प्रदर्शनियों तथा मेलों में भाग लेना, प्रचार-साहित्य, वृत्त-चित्र आदि का प्रदर्शन।

2. निर्यात के माल की गुणता को सुनिश्चित करने के लिये नारियल जटा के पायदानों तथा धागे का लदान से पूर्व अनिवार्य निरीक्षण लागू किया गया।

3. उत्पादन के विविधीकरण तथा परम्परागत उत्पादों के आधुनिक डिजाइन तैयार करने को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। नारियल जटा का रबड़-मढ़ा माल, छल्लेदार धागा, दीवार-सज्जा की चटाइयों आदि जैसी नई वस्तुओं को मुख्यतः निर्यात के लिये तैयार किया जा रहा है।

4. अधिक बढ़िया किस्म के माल की माँग को पूरा करने के लिये नारियल जटा की चटाइयों के निर्माण में अभी हाल में यंत्रों का प्रचलन किया गया है। स्वयं नारियल जटा-बोर्ड ने 5 शक्तिचालित करघों का एक कारखाना स्थापित किया है।

5. विदेशों में परिमाण संबंधी प्रतिबंधों तथा प्रशुल्कों को कम कराने/हटाने के लिये वार्ताएँ की जाती हैं।

6. रबड़-मंडित नारियल जटा-उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के हेतु अफ्रीकी देशों को एक विक्रय दल भेजा जा रहा है।

7. नारियल जटा के निर्यात का पुनरीक्षण करने के बाद 7 फरवरी, 1968 से नारियल जटा पर निर्यात शुल्क को मूल्यानुसार 25% से घटा कर 15% कर दिया गया है और नारियल जटा के अन्य उत्पादों पर से निर्यात शुल्क को हटा दिया गया है।

International Development Conference

2924. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of countries which participated in the International Development Conference ;

(b) the decisions taken thereat ;

(c) the expenditure incurred by India thereon ; and

(d) the benefit accrued to the country as a result of participation in the said Conference ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed)

(a) to (d) It is not clear to which Conference the Hon'ble Member is referring. If the reference is to the International Symposium on Industrial Development held at Athens during November-December 1967, a statement is attached.

Statement

(a) A total of 589 persons registered in the symposium representing 78 Governments, 15 intergovermental orgnisations, 9 offices and commissions of the United Nation Secretariat (Other than UNIDO), 7 specialized and affiliated United Nations agencies and 6 non-governmental organisations.

(b) The Agenda of the Symposium was divided into :

(1) General Survey of world industry with special reference to developing countries ; (2) Situation, problems and prospects of main industrial sectors ; (3) Policies and measures in developing countries ; (a) General issues of industrial policy and its implementation, (b) Formulation and implementation of industrial programmes, (c) Industrial Manpower, (d) Domestic financing of industry, (e) Administrative machinery for industrial development, (f) Industrial Research and other technical services, (g) Promotion of Industrial exports and of export-oriented and import substituting industries, (h) Small-scale industry ; (4) International aspects of industrial development : (a) Regional Co-operation (b) External financing,

(c) Technical co-operation. Committees I, II and III were constituted to discuss items (2) (3) and (4) of the Agenda. These committees prepared reports which were adopted by the Symposium at its tenth session on the19th December, 1967. In addition to the reports of these committees, the Symposium incorporated in its report two sets of general recommendations presented at its final session, one by the industrially advanced countries, and the other by the developing countries. The Syposium expressed the earnest hope that continued discussions between the developing countries, within the frame work of UNIDO and other appropriate bodies, would enlarge the areas of common understanding and result in substantial progress in accelerating the pace of industrialization in the developing countries of the world.

(c) An amount of Rs.82,000 was sanctioned for Indian delegation.

(d) The material benefits accruing to India as a result of its particiation in the Symposium can be assessed on a long term basis and not immediately. The Indian delegation took an active part in the deliberations of the Conference.

कपास के मूल्य

2925. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास के मूल्यों को स्थिर रखने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) मूल्य स्थिति पर इस कार्यवाही का क्या प्रभाव पड़ा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) और (ख) 1967-68 के रुई वर्ष (सितम्बर-अगस्त) के लिये किसानों, उद्योग तथा व्यापारी वर्ग की इच्छाओं के अनुकूल रुई के मूल्यों पर से अधिकतम सांविधिक सीमाएँ हटा दी गईं। उद्योग, श्रम तथा उपभोक्ताओं के उचित हितों के संरक्षण के लिये कुछ बचाव उपाय जैसे स्टाक नियन्त्रण तथा ऋण नियन्त्रण विद्यमान रहने दिये गये। किसान को उचित प्रतिलाभ सुनिश्चित करने के लिये, गत वर्ष के समवर्ती मूल्यों की अपेक्षा 5-10 प्रतिशत ऊँची दरों पर न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारित किये गये हैं तथा सरकार द्वारा यह घोषित किया गया है कि वह इन मूल्यों पर बिक्री के लिये उपलब्ध कराई गई सभी मात्राओं को खरीदने के लिये तैयार रहेगी। रुई के विपणन को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित उपाय भी किये गये हैं:—

१. मिलों तथा अन्य लाइसेंसधारियों को प्रत्येक माह एक निर्धारित फार्म में वस्त्र-आयुक्त को अपने रुई के स्टाक की सूचना भेजनी पड़ती है।

2. रुई की सभी खरीदारियों तथा बिक्रियों को भारतीय रुई मिल संघ के पास पंजीकृत कराना पड़ेगा जो नियमित रूप से वस्त्र आयुक्त को एक समेकित प्रतिवेदन भेजेगा।

3. एक महीने से अधिक की अवधि के लिये कोई विशिष्ट सुपुर्दगी के सौदे नहीं किये जा सकेंगे।

2. जनवरी के उत्तरार्द्ध से मूल्यों में, नवम्बर, दिसम्बर 1967 के उच्च स्तर की तुलना में, उचित स्तरों की ओर गिरने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है।

मंगोलिया के साथ व्यापार करार

2926. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और मंगोलिया के बीच हाल ही में कोई व्यापार करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी)

(क) जी, हाँ।

(ख) 13 फरवरी, 1968 को भारत तथा मंगोलिया के मध्य हुए व्यापार तथा भुगतान करार के अन्तर्गत दोनों देश परस्पर परम मित्र राष्ट्र व्यवहार करेंगे और दोनों देशों के मध्य व्यापार के वास्तविक संचलन में एक दूसरे की सहायता भी करेंगे। इस करार के अन्तर्गत यह भी निर्णय किया

गया है कि दोनों देशों के मध्य चालू सौदों के सभी भुगतान परिवर्तनीय मुद्रा में किये जायेंगे जब तक कि अन्यथा तय न हो जाये। यदि दोनों ही सरकारें कुछ सौदों का भुगतान किसी शोधन लेखे के माध्यम से करना स्वीकार कर लें तो यह भी अनुमेय होगा।

२. मंगोलिया को भारत से इन मदों के निर्यात की करार में व्यवस्था है: चाय, तम्बाकू, मसाले, चमड़ा, खाद्य तेल, डिब्बा बन्द फलों के रस और विभिन्न औद्योगिक माल जैसे हल्की औद्योगिक मशीनें, विद्युत् का तकनीकी माल, परिवहन उपकरण, मापने के यंत्र, चिकित्सा के उपकरण तथा औषधि निर्माण सामान, रासायनिक माल, वस्त्र, पटसन का माल, तिरपाल तथा अन्य उपभोक्ता माल। मंगोलिया से भारत को निर्यात के लिये प्राप्य मदें ऊन, पशुओं की चमड़ियाँ, ऊनी होजरी तथा ऊनी कपड़ा, पशुओं के सींग आदि हैं।

विद्युत-चुम्बक सिग्नल उपकरण

2927. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली मुख्य जंक्शन पर हाल में ही नया विद्युत्-चुम्बक सिग्नल उपकरण लगाया गया है;

(ख) परियोजना में किन-किन देशों ने सहयोग दिया था तथा उस पर कितना धन व्यय किया गया था; और

(ग) इस नये उपकरण को, यातायात के आवागमन में क्या उपयोगिता होगी तथा इससे कितनी बचत होगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी हाँ। 14-2-1968 से दिल्ली जंकशन स्टेशन पर रूट रिले अन्तर्पाश की नयी प्रणाली लागू की गयी है।

(ख) रिले उपस्कर और दूसरे जरूरी पुर्जे विदेशी मुद्रा में 16 लाख रुपये से कुछ कम कीमत पर फ्रांस से मंगाये गये थे।

(ग) इस प्रणाली के निम्नलिखित लाभ हैं:--

(i) गाड़ी संचलन में अधिक संरक्षा,

(ii) आदान-प्रस्थान और शंटिंग सहित यार्ड में सभी प्रकार के संलग्न कार्य में शीघ्रता,

(iii) यार्ड संचलन और परिचालन में बेहतर लचीलापन,

(iv) केन्द्रीकृत परिचालन के कारण अधिक कार्य-कुशलता, और

(v) राजस्व व्यय में २.१ लाख रुपये की बचत।

बीकानेर तथा जोधपुर डिवीजन पर एसिस्टेंट पर्सनल इंसपेक्टर्स के पद

2928. **श्री रामसिंह अयरवाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे बीकानेर तथा जोधपुर डिवीजन पर एसिस्टेंट पर्सनल इंस्पेक्टरों (एडजुडिकेशन) के कितने पद हैं;

(ख) ये पद किस कसौटी के आधार पर मंजूर किये गये थे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) बीकानेर मंडल—2

जोधपुर मंडल—3

(ख) और (ग) काम की वास्तविक मात्रा के आधार पर पदों की संख्या निश्चित की जाती है।

रेलवे में कार्मिक संघ

2929. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे और सरकार के अन्य विभागों के पंजीयित कार्मिक संघों के अधिकारों और विशेषाधिकार में कोई अन्तर है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका व्यौरा क्या है, और उन्हें समान बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) सभी औद्योगिक संस्थापनों के पंजीकृत मजदूर संघों के अधिकार और विशेषाधिकार एक समान हैं।

Cement Factories in Banda-Manikpur area of U. P.

2930. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that big cement factories and factories for manufacturing paper from bamboo plulp can be set up in the Banda-Manikpur area of Uttar Pradesh ; and

(b) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F.A. Ahmed):

(a) and (b)

Cement Factories :

As the cement industry has been exempted from the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, there is no need to get the approval of the Government. The Government has not received any proposal for the setting up of a cement factory in Banda-Manikpur area of Uttar Pradesh. The limestone available is not considered suitable for the manufacture of cement.

Paper Factories :

The Banda-Manikpur area of Uttar Pradesh does not have adequate resources of Bamboo, water and other facilities that are essential for the establishment of an economic sized paper mill. It is therefore, not feasible to set up a pulp and paper factory in that area.

कारों की बिक्री

2931. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1966 के पश्चात् कई आयातित कारें मंत्रियों/सरकारी अधिकारियों को या उनके संबंधियों को बेची गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्हें कारें बेचते समय आयातित कारों की बिक्री की सामान्य प्रक्रिया अपनाई गई थी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, नहीं। कारों का बंटन सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार के बंटन के लिये पात्र संस्थाएँ/विभाग ये हैं: (1) पर्यटक-संवर्द्धन; (2) राष्ट्रपति भवन; (3) राज भवन; (4) केन्द्रीय सरकार के विभाग; (5) राज्य सरकारें; और (6) सरकारी उपक्रम। सार्वजनिक बिक्री केवल निविदाओं के आधार पर की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर रेलवे के मुरादनगर स्टेशन के निकट गाड़ी में डाका डालने वाले और पुलिस के बीच मुठभेड़

2932. **श्री यशपाल सिंह : श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 फरवरी, 1968 को कुछ लोगों ने मुरादनगर के निकट गाड़ी को लूटने का प्रयत्न किया और उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति घायल हुए; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी हाँ। लेकिन यह घटना 13-2-1968 को हुई।

(ख) दोनों ओर से गोली चलने के फलस्वरूप दो अपराधियों को हल्की चोटें आयीं।

(ग) मेरठ सिटी की रेलवे पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395 के अधीन अपराध संख्या २६ के रूप में एक मामला दर्ज किया है। पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल की तुरन्त कार्रवाही के फलस्वरूप लूटी हुई सम्पत्ति सहित चार अपराधी गिरफ्तार कर लिये गये। रिपोर्ट के अनुसार दो व्यक्ति भाग निकले। लूटी हुई सम्पत्ति ले जाने के लिए बदमाश जो पिक-अप गाड़ी लाये थे, उसे भी कब्जे में कर लिया गया है। बाकी दो अपराधी जो भाग निकले थे, उनका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

Lighting Arrangements at Stations on Vikarabad-Parli Line

2933. **Shri Kamble** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of stations on Vikarabad-Parli line of South Central Railway where electricity has been provided for lighting purposes ;

(b) the existing arrangements for lighting on stations having no electricity ;

(c) whether it is a fact that even kerosene lamps are not lighted at most of the stations not having electricity on this line ; and

(d) if so, the action proposed to be taken in the matter ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) 9 stations on Vikarabad-Parli line have been provided with electricity.

(b) At 12 stations kerosene lamps are provided in lamp cages on platform and waiting halls.

(c) Adequate supply of kerosene is arranged for the 12 stations concerned and it is ensured that the lamps are lighted.

(d) Does not arise.

फूलबनी जिला (उड़ीसा) में खनिज सम्पत्ति

2934. **श्री अ० दीपा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4615 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्णगिरि, बाली गुडा सब-डिविज़न, ज़िला फूलबनी (उड़ीसा) में खनिज सम्पत्ति की खोज के लिये वैसे ही सर्वेक्षण किये गये है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्री (डा० चन्ना रेड्डी) :

(क) और (ख) हाँ, महोदय। 1964 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बालिगुडा उप-विभाग में पद्धतिपूर्ण भूवैज्ञानिक मानचित्रण तथा प्रारम्भिक खनिज अनुसंधान कार्य हाथ में लिया। 1966–67 तक 1.63,360 के पैमाने पर 2,000 वर्ग किलोमीटर का मानचित्रण किया गया। किये गये सर्वेक्षण के फलस्वरूप भवन पत्थर को छोड़कर आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कोई खनिज प्राप्त नहीं हुआ।

उड़ीसा के फूलबनी जिले में उद्योग

2935. **श्री अ० दीपा** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 22 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5523 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के फूलबनी जिले में नये उद्योग स्थापित करने के बारे में इस बीच सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

परलि स्टेशन के निकट उपरि पुल

2936. **श्री नायनार** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पालघाट जिले (केरल राज्य) में परलि स्टेशन के निकट उपरि पुल के कब तक बनाये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

रेलवे के हिस्से के पुल-खास के निर्माण-कार्य के खर्च के अनुमान की मंजूरी दे दी गयी है, लेकिन यह काम वस्तुतः तब शुरू किया जायेगा जब राज्य सरकार ढालू पहुँच मार्गों का अपने हिस्से का काम शुरू करे।

Dogs Squad on Railways

2937. **Shri Baswant** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the strength of Dogs Squad organised by the Railway Board for detecting thefts of goods and railway property ;

(b) when this Squad was organised and the number of theft cases detected so far and the value of the goods recovered ; and

(c) whether such Squad is proposed to be kept at all the Divisional Railway Head-quarters ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha).

(a) Dog Squads have been organised on each Zonal Railway except the South-Central Railways and the sanctioned strength of each Dog Squad is four dogs.

(b) The first Dog Squad was organised on the Southern Railway in the year 1959, and on other Railways in latter years. 274 theft cases were detected with their help and the property worth Rs.2,02,286 was recovered.

(c) There is no such proposal at present.

अमरीका से कपास की खरीद

2738. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका से 30,000 गाँठें खरीदने के लिये एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो किस दर पर इन्हें खरीदा गया है;

(ग) क्या इससे भारतीय किसानों पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(घ) यह करार करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) और (ख) जी, हाँ। यह करार कुल लगभग 63 लाख अमरीकी डालर का है। वास्तविक क्रयमूल्यों में अन्तर हो सकता है जो रुई की विभिन्न श्रेणियों अथवा माल खरीदते समय अमरीका की बाजार स्थिति पर निर्भर होगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) स्वदेशी रुई की सम्भावित उपलब्धि तथा सूती वस्त्र उद्योग की अनुमानित जरूरत के बीच होने वाली कमी को पूरा करने के लिये आवश्यक सीमा तक रुई के आयात की व्यवस्था की जाती है।

भारत-रूसी संयुक्त उपक्रम

2939. **श्री दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्र में किन किन उपक्रमों के बारे में भारत और रूस की सरकारों के बीच सहयोग किया जायेगा; और

(ख) क्या ये नये संयुक्त उपक्रम केवल सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में भी स्थापित किये जायेंगे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) भारत तथा सोवियत रूस के बीच आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में और अधिक सहयोग की संभावनाओं जिन पर बातचीत चल रही है, सोवियत रूस को निर्यात की वस्तुओं जैसे चाय, जूट की बनी वस्तुएँ, सूती वस्त्र, फर्नीचर, जूते, सूती तथा ऊनी बुनी हुई वस्तुएँ, सिले-सिलाए वस्त्र इत्यादि की किस्म तथा बनावट में भारतीय और रूसी विशेषज्ञों के बीच विचार-विमर्श के द्वारा सुधार करना सम्मिलित है। दोनों देशों में हुई आपसी बातचीत से तय किए गए आधार पर

तकनीकी सुधार की अवधि की व्यवस्था के रूप में संयुक्त अध्ययन किया जाय और इसे वेल्लित इस्पाती उत्पादों, चमड़े की बनी वस्तुओं, परिष्कृत खाद्य तथा फल जिनमें फलों के रस शामिल हैं, जी० एल० एस० लैम्प, रेडियो ट्रांजिस्टर डायोड तथा सेमी-कन्डक्टर, बिजली के पंखे, रेफ्रिजेरेटर एवं कमरे में वातानुकूल यन्त्रों, मोटर गाड़ियों के सहायक, पुर्जे, लौह मिश्रित धातु, लोहे का इमारती सामान, रेल के डिब्बे तथा रेलों के उपकरणों इत्यादि से प्रारम्भ किया जाय।

(ख) चूंकि इन प्रस्तावों पर अभी बातचीत चल रही है इसलिए इनमें कौन-कौन सी वस्तुएँ सम्मिलित होंगी, यह ठीक-ठीक बता सकना कठिन है।

रबड़ का आयात

2940. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968–69 के दौरान रबड़ आयात करने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका स्वरूप क्या है; और

(ग) रबड़-बोर्ड के अनुमान वर्ष 1968–69 में रबड़ का भारत में कितना उत्पादन होगा और उसकी कितनी खपत होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रबड़-बोर्ड ने वर्ष 1968-69 में भारत में रबड़ (प्राकृतिक तथा संश्लिष्ट) का 1,02,000 मे० टन उत्पादन तथा उसकी 1,15,000 मे० टन खपत होने का अनुमान लगाया है।

रबड़ के मूल्य

2941. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्राकृतिक रबड़ के अधिसूचित मूल्य खेतिहरों को नहीं मिलते; और

(ख) यदि हाँ, तो खेतिहरों को अधिसूचित मूल्य दिलवाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) इस समय खेतिहरों को प्राकृतिक रबड़ के अधिसूचित मूल्य मिल रहे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Purchases of Jute by S.T.C.

2942. **Shri Lakhan Lal Kapoor**: Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the quantity of jute purchased by the State Trading Corporation in Bihar after the minimum price of jute was fixed at Rs.40 by Government and the names of places of procurement;

(b) whether it is a fact that the State Trading Corporation did not purhase jute from the cultivators direct and as such the cultivators had to dispose of this produce at a rate of Rs. 25 to Rs.30 ;

(c) whether it is also a fact that the millowners get vouchers at the rate of Rs.40 from the traders ; and

(d) if so, the action taken by Government in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) :

(a) 15,009 maunds in Supaul, Banmankhi, Murliganj, Kishanganj and Kathiar.

(b) The Corporation's purchases were made through the Vyapar Mandals representing the cultivators, nominated by the Bihar State Government, at the derivative prices ranging from Rs.26.23 to Rs.30.70 per maund, depending upon the variety of jute and place of purchase based on the minimum support price of Rs.40 per maund for bottom grade of Assam white jute delivered at Calcutta. Except for short periods in the months of November and December, 1967, the jute prices in the Secondary markets in Bihar were ruling at or above these minima.

(c) Government have no information regarding this.

(d) Does not arise.

अलाभप्रद लाइनों पर गाड़ियों का बन्द किया जाना

2943. **श्री हेम राज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलाभप्रद मार्गों पर गाड़ियाँ बन्द किये जाने के कोई प्रस्ताव हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो खण्ड-वार ऐसी गाड़ियों के नाम क्या हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

कांगड़ा घाटी (छोटी लाइन) रेलवे को पुन: बिछाना

2944. **श्री हेम राज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोंग बाँध के निर्माण के फलस्वरूप कांगड़ा घाटी की (छोटी लाइन) रेलवे को पुन: बिछाने के काम में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या अंतिम प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं और यदि हाँ, तो उसमें कितना धन व्यय होगा; और

(ग) इस लागत को कौन वहन करेगा ?

रेलवे मंत्री (श्री चे मु० पुनाचा) :

(क) काम अभी शुरू नहीं किया गया है, क्योंकि इस काम की लागत के संबंध में ब्यास डैम परियोजना प्राधिकारियों की स्वीकृति नहीं मिली है।

(ख) जी हाँ। लगभग 3.62 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

(ग) ब्यास डैम परियोजना प्रशासन।

इसरायल को निर्यात

2945. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत पाँच वर्षों में भारत ने इसरायल को ३१ लाख रुपये के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया है जब कि भारत ने उस देश से 80 लाख रुपये की वस्तुओं का आयात किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसरायल के साथ यह व्यापार भारत के राष्ट्रीय हितों में है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) :

(क) जी, हाँ।

(ख) व्यापार परिमाण इतना नगण्य है कि उसका भारत की अर्थ-व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।

(ग) इजरायल के साथ व्यापार गैर-सरकारी पक्षों द्वारा, साधारण व्यापार विनिमय के रूप में किया जाता है।

उड़ीसा में बड़ी औद्योगिक परियोजनायें

2946. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में बड़ी औद्योगिक परियोजनायें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या तालचर उद्योग-समूह को योजना में सम्मिलित किया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर कितना धन व्यय होने की संभावना है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) और (ख) अप्रैल, 1969 से प्रारंभ होने वाली चौथी पंच वर्षीय योजना तैयार करने से संबंधित कार्य अभी शुरू ही किया गया है। नई चौथी योजना में तालचर उद्योग समूह को शामिल करने या न करने के बारे में उपयुक्त अवस्था में विचार किया जायगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ईरान के सहयोग से उद्योगों का विकास

2948. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह उच है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन में ईरान के प्रतिनिधि मण्डल के नेता के साथ ईरान के आर्थिक सहयोग से भारतीय उद्योगों के विकास के बारे में वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका परिणाम क्या है?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):

(क) और (ख) जी नहीं। जब परमश्रेष्ठ डा० अलिनाघी अलिखानी से जो अंकटाड में ईरान के प्रतिनिधिमंडल के नेता थे, हाल ही में औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री ने अपनी भेंट में कहा कि ईरान लघु उद्योगों, विशेषकर उन किस्मों के उद्योगों में जो ईरान में लाभप्रद ढंग से चलाये जा सकते हों, उनके बारे में तथा ऐसे उद्योगों को चलाने की तकनीक विशेषकर औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करने में भारत की तकनीकी सहायता प्राप्त करने में रुचि रखता है। उन्होंने इस बात की इच्छा भी प्रकट की कि भारतीय विशेषज्ञों का एक दल ईरान भेजा जाये

जो ईरान के अधिकारियों के परामर्श से वहाँ की स्थिति का अध्ययन करके ईरान की सरकार की सहायता करने के लिये एक योजना बनाये।

Development of Industries in States

2949. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the main features of the scheme prepared by the Central Government for the establishment of industries in the various States during 1968-69 ;

(b) the industries proposed to be set up in the various States during the Fourth Five Year Plan in addition to the aforesaid industries and the estimated investment thereon, Industry-wise ; and

(c) the industries under the control of Ministry of Defence to which the Government have accorded approval by this time and the investment therein, Industry-wise ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (**Shri F.A. Ahmed**):
(a) The main schemes and programmes in the industrial sector envisaged in 1968-69 will be incorporated in the Annual Plan for 1968-69 to be presented in Parliament during the current session.

(b) The work on the formulation of the Fourth Five Year Plan which is to begin from April, 1969 has just been initiated. The details of industries to be set up would be finalised after completion of studies on the Fourth Plan.

(c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

कपड़ा मिलें

2951. **श्री क० लकप्पा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिये काफी सहायता देने का है;

(ख) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित योजना के कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) से (ग) कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण तथा विस्तार में सहायता देने के लिए जो उपाय पहले ही किए जा चुके हैं उनमें से कुछ ये हैं :

(1) भारत के औद्योगिक विकास बैंक ने सूती कपड़ा उद्योग के पुन: स्थापन तथा आधुनिकीकरण के लिये देश में निर्मित कपड़ा मशीनरी के संभरण के लिए आस्थगित भुगतान गारंटी देने की एक योजना तैयार की है।

(2) योग्य मामलों में आस्थगित भुगतान गारंटी योजनाओं को 7 साल के लिए बढ़ा दिया गया है।

(3) पुन: छुट सुविधाओं से लाभ उठाने के लिए भारत के औद्योगिक विकास बैंक द्वारा ऋणों की सीमा को 25 लाख रु० से बढ़ाकर 50 लाख रु० प्रति वर्ष प्रति इकाई कर दिया गया है।

(4) भारत के औद्योगिक विकास बैंक आदि को कहा गया है कि वे आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित ऋण हेतु कपड़ा उद्योग से प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार करें।

रूसी विशेषज्ञ दलों की भारत यात्रा

2952. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : श्री रा० रा० सिंह देव : श्री वेदव्रत बरुआ :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूसी विशेषज्ञों के चार दल भारत से रूस को औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात की संभावनाओं के बारे में अध्ययन करने के लिये शीघ्र ही भारत आ रहे हैं ;

(ख) क्या वे सरकार के अनुरोध पर यहाँ आ रहे हैं; और

(ग) यदि हाँ, उन दलों के प्रतिवेदन कब तक सरकार को प्राप्त हो जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) रूस से चार विशेषज्ञ दलों का एक अग्रिम दल इस समय भारत में है परन्तु जब और जहाँ आवश्यकता होगी अन्य विशेषज्ञ भी इनके साथ शामिल किए जायेंगे।

(ख) विशेषज्ञों का दौरा स्पष्टत: दिसम्बर, 1967 में वार्षिक व्यापार वार्ताओं के समय भारत सरकार द्वारा रूस सरकार को दोनों देशों के बीच घनिष्टतर आर्थिक तथा औद्योगिक सहयोग के लिए किये गये प्रस्तावों का परिणाम है।

(ग) यह इतनी जल्दी नहीं कहा जा सकता कि सरकार को दलों के विचार कब तक उपलब्ध होंगे।

आगरा में जूता उद्योग

2953. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरे के जूते उद्योग पर संकट आया हुआ है;

(ख) क्या यह भी सच है कि लगभग 200 कारखाने बन्द हो चुके हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उसका श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) सामान्य मंदी का कुछ सीमा तक असर जूता-उद्योग पर भी पड़ा है।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कारखानों में की गई जाँच से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि वहाँ दो सौ कारखाने बन्द हो गए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे में उच्च संवर्ग के कर्मचारी

2954 **श्री मुरासौली सरन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के प्रत्येक खंड में उच्च संवर्ग के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें 1956 की वेतन योजना की क्रियान्विति के कारण शुरू में भर्ती किये गये निम्न वर्ग के लोगों से कम वेतन दिया जाता है; और

(ख) 7 फरवरी, 1968 को आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निम्न तथा अन्य उच्च न्यायालय निर्णयों के पश्चात् पड़ने वाले प्रतिकूल प्रमाणों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) और (ख) सूचना मंगायी जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे में रियायती दरों पर यात्रा सुविधायें

2955. **श्री मुरासौली सरन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1963 में सच्चे व्यवसायिक आमोद-प्रमोद सम्बन्धी समवायों और पार्टियों के लिये रेलवे-यात्रा की रियायती सुविधाओं को पुनः जारी करने के क्या कारण थे ;

(ख) उक्त सुविधायें अब भी दी जा रही हैं अथवा नहीं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या देश में सांस्कृतिक गति विधियों पर प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए क्या उपरोक्त रियायतों को पुनः स्थापित करने का प्रस्ताव हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) सदाशयी व्यावसायिक मनोरंजन कम्पनियों और पार्टियों को रियायती दरों पर रेल-यात्रा की सुविधा 1 जनवरी, 1963 से बंद कर दी गयी जिसका एक उद्देश्य यह था कि रेल परिवहन पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाये। स्थिति में सुधार हो जाने पर उसी वर्ष बाद में कुछ शर्तों पर ये सुविधाएँ फिर दी जाने लगीं।

(ख) ये रियायतें 1 फरवरी, 1968 से बंद कर दी गयीं।

(ग) वर्तमान कठिन आर्थिक स्थिति में रेल उन सभी रियायतों को जारी नहीं रख सकती जो वह पहले देती रही है। इसके अलावा व्यावसायिक मनोरंजन कम्पनियों और पार्टियों को इस मामले में तरजीह देने का औचित्य दिखायी नहीं देता।

(घ) सर्कस कम्पनियों की परिवहन सम्बन्धी विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए, उनके जानवरों, सामान और उपस्कर को वाहन-भार में बुक करने के लिए 17 फरवरी, 1968 से फिर विशेष दर लागू की गयी है।

व्यावसायिक मनोरंजन कम्पनियों और पार्टियों के लिए अन्य रियायतों को फिर से लागू करने का विचार नहीं है। देश की सांस्कृतिक गतिविधियों की संरचना इतनी छिछली नहीं है कि वह परिवहन का सामान्य खर्च देने मात्र से ढह जाये।

Closure of Industries in Mysore

2956. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Mysore Government has decided to close down certain industries and if so, their names and the reasons therefor ;

(b) the amount of financial loss likely to be sustained and the number of labourers likely to be rendered unemployed as a result of closure of these mills and factories; and

(c) the steps being taken by the Central Government to open these closed mills and industrial concerns ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) to (c) The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

सूत और बालों से बनने वाले पट्टों और हौज पाइपों का निर्माण

2957. **श्री जु० कि० मण्डल:** क्या वाणिज्य मंत्री 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4614 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूत और बालों के पट्टों और हौज पाइपों के निर्माण के बारे में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या ईस्टर्न बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स (प्रा०) लिमिटेड, पश्चिम बंगाल में बिना अनुमति के लगाये गये करघों के बारे में कोई जाँच कराई गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हाँ।

(ख) मैसर्स ईस्टर्न बैल्टिंग एण्ड काटन मिल्स लि० पश्चिम बंगाल द्वारा लगाये गये अतिरिक्त करघों को नियमित करने के लिये एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था।

फिल्मों का निर्यात

2958. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या वाणिज्य मंत्री फिल्मों के निर्यात के बारे में 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4568 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है;

(ख) यदि हाँ, तो 31 अक्तूबर, 1967 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों में कौन-कौन सी फिल्में विदेशों को निर्यात की गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी):

(क) से (ग) निर्यात के आंकड़े वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी के महा-निदेशालय द्वारा रखे जाते हैं। वह संगठन फिल्मों के निर्यात के आंकड़े मीटर तथा मूल्य में रखता है। निर्यातित फिल्मों के नामों के सम्बन्ध में उस संगठन द्वारा कोई आंकड़े नहीं रखे जाते। फिर भी, रिजर्व बैंक आफ इन्डिया से जानकारी एकत्र करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। चूंकि ऐसा करने के लिये अनेक दस्तावेजों का अध्ययन करना पड़ेगा अतः जानकारी प्रस्तुत करने में कुछ देर होना अपरिहार्य है।

पूर्वी रेलवे के आसनसोल डिवीजन में चोरी

2960. **श्री देवेन सेन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1967 को समाप्त होने वाले 6 महीनों में आसनसोल सब-डिवीजन में रेलवे पर कितनी राशि के दावे दाखिल किये गये हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन में चोरी तथा माल डिब्बे तोड़ने के मामलों की संख्या सबसे अधिक है; और

(ग) यदि हाँ, तो स्थिति का मुकाबला करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) 31 दिसम्बर, 1967 को समाप्त होने वाली छमाही में पूर्व रेलवे के आसनसोल डिवीजन के स्टेशनों को बुक किये गये माल और कोचिंग यातायात के माल की चोरी, उठाईगीरी, क्षति, खराबी आदि के कारण होने वाली हानि के संबंध में क्षतिपूर्ति के 8091 दावे किये गये, जिनमें कुल 72,20,437 रुपये की रकम की माँग की गयी थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) चोरी और उठाईगीरी को रोकने और उन पर काबू पाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं:—

(i) यानान्तरण स्थलों पर, लदे हुए सभी माल डिब्बों का माल उतारने और उसका यानान्तरण करने से पहले उन डिब्बों की रिवटों और मुहरों की जाँच की जाती है।

(ii) बदनाम स्थलों का पता लगाने के लिए पायलट योजनाएँ चलायी गयी हैं जिनके अन्तर्गत विभिन्न रेलों पर यानान्तरण-स्थलों सहित दो जोड़ा स्टेशन चुन लिये जाते हैं, जहाँ चोरी जाने वाले माल के लादने उतारने पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

(iii) भेद्य खंडों में, महत्वपूर्ण मालगाड़ियों में रेल सुरक्षा दल के सशस्त्र रक्षक चलते हैं। महत्वपूर्ण मालगोदामों और यार्डों में चौबीस घंटे पहरा देने के लिये रेल सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(iv) अचानक छापा मारने और महत्वपूर्ण मामलों की जाँच-पड़ताल करने के लिए क्षेत्रीय मुख्यालय तथा रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरो के कर्मचारी नियुक्त किये जाते हैं।

(v) सरकारी रेलवे पुलिस और राज्य पुलिस के बीच निकट सहयोग रखा जाता है और संदिग्ध व्यक्तियों और अपराधियों पर निगरानी रखने के लिए तथा अन्य निरोधक और खुफिया उपाय बरतने के लिए संयुक्त कार्यवाही की जाती है।

(vi) जिन बड़े महत्वपूर्ण यार्डों में अपराध की घटनाएँ अधिक होती है वहाँ सशस्त्र दलों और कुत्ते दस्तों के पहरे का विशेष प्रबन्ध किया जाता है।

गिरीडीह में चौकीदार

2961. **श्री देवेन सेन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गिरीडीह में रेलवे फाटक पर चौकीदार के पद को हाल में समाप्त कर दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहाँ पर चौकीदार के न होने के कारण ट्रक और रेल-इंजन की टक्कर हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप ट्रक ड्राइवर मारा गया था; और

(ग) इन मामलों में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ; लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि टक्कर फाटक वाले की अनुपस्थिति के कारण हुई। ट्रक के ड्राइवर को केवल मामूली चोटें आयीं और उसकी मृत्यु नहीं हुई।

(ग) कोग्रजा पायलटों के साथ चलने वाले शंटिंग भारिकों को यह ड्यूटी सौंपी गयी है कि वे सड़क यातायात को रोकने के लिए फाटक बन्द कर दिया करें और आम तौर पर रेल यातायात के लिए ही फाटक बन्द किया जाता है। यह व्यवस्था सन्तोषजनक समझी जाती है और उसमें कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

अलवाई स्टेशन के लाइसेंसशुदा कुलियों का ज्ञापन

2962. **श्री विश्वनाथ मेनन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अलवाई रेलवे स्टेशन के लाइसेंसशुदा कुलियों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं; और

(ग) उनकी शिकायतें दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) जी हाँ।

(ख) उनकी शिकायत थी कि उन्हें महीने में 15 दिन रेल-पार्सल चढ़ाने-उतारने के लिए बाध्य किया जाता है, जिसके लिए उन्हें कम दर पर मजदूरी दी जाती है और शेष 15 दिन उन्हें यात्रियों का सामान ढोने की इजाजत है। फलतः उन्हें पर्याप्त मजदूरी नहीं मिल पाती। उनकी माँग थी कि उन्हें अच्छी मजदूरी मिलनी चाहिए।

(ग) लाइसेंस-प्राप्त भारिकों को दो समूहों में बाँट दिया गया है और प्रत्येक समूह से दिन के केवल कुछ भाग में पार्सल चढ़ाने-उतारने का काम लिया जाता है और दिन के बाकी समय में समूह के लाइसेंस-प्राप्त भारिक यात्रियों का सामान ढोते हैं। समय-समय पर इन समूहों का क्रम बदलता रहता है।

पार्सल चढ़ाने-उतारने के लिए लाइसेंस-प्राप्त भारिकों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक की दर बढ़ाने का प्रश्न भी विचाराधीन है।

काली मिर्च का निर्यात

2963. **श्री विश्वनाथ मेनन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडोनेशिया और ब्राजील में काली मिर्च का उत्पादन होने के कारण विश्व बाजार में काली मिर्च को बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो भारत में पैदा होने वाली काली मिर्च के मूल्य को स्थिर करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरैशी) :

(क) जी, हाँ।

(ख) निर्यात मूल्यों के बारे में उत्पादक विकासशील देशों के मध्य समझौता करने के

लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। भारतीय काली मिर्च के निर्यात को बढ़ाने के लिये मसाला निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा प्रचार तथा ऐसे ही अन्य उपायों के माध्यम से विशेष कदम भी उठाए गये हैं।

केरल में पुन्नुरुन्नि में ऊपरी-पुल

2964. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कोचीन में पुन्नुरुन्नि में रेलवे फाटक पर एक ऊपरी-पुल बनाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न हीं नहीं उठता।

रेलवे विद्युतीकरण विभाग, इलाहाबाद से कर्मचारियों का तबादला

2965. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे विद्युतीकरण विभाग, लाहाबाद के तीस कर्मचारियों का, जो छः वर्ष से अधिक समय से वहाँ काम कर रहे थे, 29 मार्च, 1967 को उत्तर रेलवे में तबादला कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार को इन कर्मचारियों से वेतन संरक्षण करने का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हाँ, तो उस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि ऐसे कर्मचारियों को जिनका तबादला पूर्वोत्तर रेलवे में किया गया है पहले ही वेतन संरक्षण दिया जा चुका है ?

रेलवेमंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) से (घ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

बेरोजगार इंजीनियर

2966. **श्री विश्वनाथ मेनन** : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बेरोजगार इंजीनियरों तथा स्नातकों को ऋण देने का है, ताकि वे कुछ लघु उद्योग आरम्भ कर सकें; और

(ख) यदि हाँ, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) जी, नहीं। फिर भी, यदि कोई इंजीनियर और स्नातक कोई लघु उद्योग चलाना चाहता है तो निश्चय ही उसे वह सभी सहायता दी जायगी जो सामान्य रूप से किसी लघु एकक को दी जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उदयपुर के पास जिंक पिघलाने का संयन्त्र

2967. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दो महीने में परीक्षण पर चल रहे उदयपुर के निकट जिस्ता पिघलाने वाले कारखाने की उत्पादन क्षमता में 20 प्रतिशत वृद्धि हो जाने के परिणामस्वरूप कच्चा माल की समस्या उठ खड़ी हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) और (ख) तकनीकी परामर्श दाताओं के साथ किये गये समझौते के अनुसार, आशा थी कि जस्ता प्रद्रावक काम शुरू करने के 1, 2, और 3 वर्ष में अपनी उत्पादन क्षमता का क्रमशः 60%, 80% तथा 100% उत्पादन प्राप्त कर लेगा। सीसा-जस्ता अयस्क/संकेन्द्रकों के जवार खानों से उत्पादन की तदानुसार ही योजना बनाई गई थी। चूंकि प्रद्रावक ने बहुत अच्छा काम किया, यह 1 जनवरी, 1968 से अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर रहा है। प्रद्रावक के वर्तमान उत्पादन स्तर को स्थिर रखने के लिये जस्ता संकेन्द्रकों को अगले 6 महीनों की आवश्यकता को खानों के वर्तमान उत्पादन तथा संकेन्द्रकों के इकट्ठे हुए संचयों से पूरा किया जायगा। एकत्र हुए संचयों के समाप्त हो जाने पर इस विषय के कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है। अयस्क संकेन्द्रकों के खान से उत्पादन करने के लिये बहुत प्रयत्न किये जा रहे हैं। विदेशों से जस्ता संकेन्द्रक मंगवाने की सम्भावनाओं के विषय में भी कार्यवाही की जा रही है।

हिन्दुस्तान जिन्क लिमिटेड

2968. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान जिन्क को देबारी में परीक्षण के दौरान जस्ता पिघलाने वाले गोदामों में सुपरफॉस्फेट उर्वरकों के बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाने की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है या किये जाने का विचार है; और

(ग) जब कारखाना पूरी क्षमता से कार्य करने लगेगा तब इसकी क्या स्थिति होगी ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)

(क) ऋतुकाल न होने के समय चूंकि उर्वरकों की माँग बहुत कम होती है, कम्पनी के पास सुपरफास्फेट_उर्वरकों के संचय बहुत बढ़ गये हैं।

(ख) और (ग) राजस्थान सरकार की सहायता से सुपरफास्फेट के संचयों को बड़ी मात्रा में राजस्थान की सहकारी संस्थाओं तथा समीपवर्ती राज्यों को बेचने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। बुआई का समय शुरू होने के लगभग दो माह बाद, आशा है कि कंपनी सुपर-फास्फेट के समस्त संचय बेच सकेगी। यदि संचय बढ़ जाते हैं और सुपरफास्फेट को बेचना कठिन हुआ तो इसका उत्पादन सीमित करना पड़ेगा और गंधक के तेजाब के बेचने का प्रबन्ध करना पड़ेगा।

दोहरी रेलवे लाइनों का बिछाया जाना

2969. **श्री लोबो प्रभु** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, अब तक बिछाई गई दोहरी रेलवे लाइनों के परिणामस्वरूप माल-डिब्बों के वहन में सुधार होने के परिणामस्वरूप माल-डिब्बों से होने वाली आय का सरकार ने अनुमान लगाया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) अब तक कुल कितनी दोहरी रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं तथा अगले वर्षों के लिए क्या योजना है ;

(घ) फालतू इस्पात और बेकार श्रम की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार और अधिक दोहरी लाइनें बिछाना चाहती है ;

(ङ) क्या "टोकन रहित ब्लाक" लागू किये गये हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) "टोकन रहित ब्लाकों" से होने वाली आय क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) :

(क) और (ख) लाइन को दोहरा करने के प्रत्येक प्रस्ताव के पूंजीगत परिणाम पर वित्तीय प्रतिफल निकालते समय, अन्य बातों के साथ-साथ, लाइन को दोहरा करने के फलस्वरूप माल-डिब्बा दिनों में होने वाली बचत भी हिसाब में ली जाती है। अध्ययन करने पर पता चला है कि पश्चिम रेलवे के गोधरा-रतलाम खण्ड को दोहरा करने के परिणामस्वरूप 1022 माल-डिब्बों की और उत्तर रेलवे के लाहाबाद-कानपुर खण्ड को दोहरा करने के परिणामस्वरूप 304 माल-डिब्बों की बचत हुई है। इन बचतों का तदनुरूपी आर्थिक मूल्य क्रमशः 14.72 लाख रुपये और 4.37 लाख रुपये प्रतिवर्ष रहा जिसमें बचत के माल-डिब्बों पर ब्याज, उनकी मरम्मत, अनुरक्षण और मूल्य-ह्रास शामिल हैं।

(ग) मार्च, 1967 के अन्त तक 325 किलोमीटर रेल-पथ में कई लाइनें बिछाने के अतिरिक्त, 9442 मार्ग किलोमीटर में दोहरी लाइन बिछायी जा चुकी थी। 1967–68 के दौरान लगभग 450 किलोमीटर और में दोहरी लाइन बिछ जाने की आशा है। 1968–69 के निर्माण कार्यक्रम में 127 किलोमीटर अतिरिक्त लाइन को दोहरा करने की व्यवस्था की गयी है।

(घ) लाइन को दोहरा तब किया जाता है जब सुधरी हुई सिगनल-व्यवस्था, अधिक क्रासिंग स्टेशन, केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण, डीजल या बिजली-कर्षण आदि जैसे कम खर्चीले साधनों से अपेक्षित लाइन क्षमता प्राप्त न की जा सकती हो।

(ङ) इकहरी लाइन वाले अनेक व्यस्त खण्डों पर टोकन रहित ब्लाक उपस्कर लगाये गये हैं।

(च) टोकनरहित ब्लाक प्रणाली के परिणामस्वरूप लाइन-क्षमता में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इससे टोकन देने और प्राप्त करने में श्रम-घंटों की भी बचत हुई है।

जहाज पर लदान से पूर्व निरीक्षण

2970. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्यात किये जाने वाले बिजली के पंखों, सिलाई की मशीनों आदि को अनिवार्य किस्म नियंत्रण और जहाज पर लदान से पूर्व निरीक्षण के अन्तर्गत लाया गया है ;

(ख) क्या इन मदों के निर्यात के साथ इनकी किस्म के बारे में जारी किया गया प्रमाण-पत्र भी होगा और क्या निर्यात से पूर्व सरकार द्वारा स्थापित किये गये निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से किसी एक अभिकरण से प्रमाणपत्र प्राप्त करना अनिवार्य समझा जाता है ; और

(ग) यदि हाँ, तो जहाज पर लदान से पूर्व निरीक्षण और प्रमाणपत्र जारी करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) जी, हाँ ।

(ख) जी, हाँ ।

(ग) विदेशी बाजारों में भारतीय माल के गुणों की ख्याति उत्पन्न करने और दीर्घावधि तथा स्थायी आधार पर निर्यात बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 1963 में निर्यात (गुण नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) के अन्तर्गत कपड़े को छोड़कर सभी उत्पादों के लिये, कपड़े में पटसन तथा नारियल जटा का माल शामिल नहीं है—गुण नियंत्रण तथा जहाज पर लदान से पूर्व निरीक्षण का एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया था। सूती, रेशमी, ऊनी तथा संश्लिष्ट धागे से बने वस्त्रों का गुण निरीक्षण, वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत किया जाता है। अब तक सभी प्रमुख निर्यात वस्तुओं पर, जिनमें निर्यात की लगभग 85 प्रतिशत वस्तुएं आ जाती हैं, अनिवार्य गुण नियंत्रण तथा जहाज लदान से पूर्व निरीक्षण लागू किया जा चुका है ।

तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी और शिल्पी वर्गों के रिक्त स्थानों का भरा जाना

2971. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67 और 1967-68 में प्रत्येक रेलवे में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी तथा शिल्पी वर्गों के कितने रिक्त स्थानों को भरने के लिए विज्ञापन दिये गये ;

(ख) उपरोक्त अवधि में रिक्त स्थान दिखाने वाले कितने विज्ञापनों को अन्तिम रूप दिया जाने वाला है ;

(ग) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक वर्ग में रिक्त स्थान भरने के लिए वर्ष 1963 में सरकार के स्वर्ण नियंत्रण आदेश से पीड़ित स्वर्णकारों से कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ;

(घ) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक वर्ग में वास्तव में कितने स्वर्णकारों का चयन किया गया तथा उनको नियुक्त किया गया ; और

(ङ) यदि किसी चयन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है तो कितने रिक्त स्थानों को स्वर्णकारों द्वारा भरे जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा): (क) से (छ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

भारतीय रेलवे का सतर्कता संगठन

2972. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिकायतों के पीछे व्यक्तियों का पता लगाने के लिए भारतीय रेलवे के सतर्कता संगठन द्वारा कोई कार्यवाही की जाती हैं जब कि ऐसी शिकायतें दोहराई जाती हैं और इन शिकायतों (गुमनाम और समानार्थक) में कोई सार नहीं होता है ;

(ख) यदि हाँ, तो इन शिकायतों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस दिशा में कुछ कार्यवाही करना चाहती है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) गुमनाम या फर्जी नाम वाली शिकायतों की जाँच नहीं की जाती । यदि किसी शिकायत के बारे में यह शक होता है कि उस पर फर्जी नाम है, तो जाँच करने से पहले शिकायत करने वाले का पता लगाने की कोशिश की जाती है ।

(ख) जैसा कि ऊपर बताया गया है, बिना नाम वाली या फर्जी नाम वाली शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की जाती । इसके अलावा इस बात की भी हिदायत है कि जो व्यक्ति रेल कर्मचारियों के विरुद्ध झूठी शिकायत करने का दोषी पाया जाये, उस पर मुकदमा चलाया जाये। जब झूठी शिकायत करने वाला कोई रेल कर्मचारी होता है, तो मुकदमा चलाने के अतिरिक्त उसके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही भी की जा सकती है ।

(ग) बचाव के उपर्युक्त उपायों को देखते हुए, आगे और कोई कार्यवाही करना जरूरी नहीं समझा जाता ।

सतर्कता निरीक्षक

2973. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के सतर्कता संगठन में उन सतर्कता निरीक्षकों (सभी श्रेणी) की संख्या क्या है जिन्होंने अपना सेवा-काल पुरा कर लिया है ;

(ख) कितने सतर्कता निरीक्षकों को उनके सेवाकाल से अधिक समय तक रखने के लिए रेलवे बोर्ड से मंजूरी प्राप्त की गई है ;

(ग) शेष निरीक्षकों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) उत्तर रेलवे की सामान्य नीति के अनुसार, उत्तर रेलवे के लिए सतर्कता अधिकारी के रूप में एक गैर-रेलवे अधिकारी को नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) उत्तर रेलवे के दो चौकसी निरीक्षकों का कार्य-काल पूरा हो गया है। इनमें से एक को स्थानान्तरण के आदेश प्राप्त हो चुके हैं और दूसरे को उसके मल विभाग को वापस भेजने का निर्णय किया गया है ।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) सवाल नहीं उठता, क्योंकि उनका कार्य-काल अभी समाप्त नहीं हुआ है।

(घ) सवाल नहीं उठता, क्योंकि उत्तर रेलवे की यह नीति नहीं है कि किसी गैर-रेलवे अधिकारी को अपने यहाँ चौकसी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाये।

भारतीय रेलों की स्टाफ-कैन्टीनों को राज-सहायता

2974. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने दूसरे वेतन आयोग तथा गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय रेलवे में स्टाफ-कैंटीनों को राज-सहायता की राशि के बारे में किये गये निर्णय को बदल दिया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये परिवर्तन दिल्ली में स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निश्चित की गई स्थानीय दरों के हिसाब से नहीं है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) जी नहीं।

(ख) और (ग) रेलवे कैन्टीनें प्रबन्ध-समितियों द्वारा चलायी जाती हैं जो स्वायत्त होती हैं। अपने कर्मचारियों के वेतन-मान आदि निश्चित करना इन्हीं समितियों का काम है।

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में चौथी श्रेणी के पद

2975. **श्री रामचरण** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में गत तीन वर्षों में चौथी श्रेणी के विभिन्न वर्गों के कितने-कितने पद अधिसूचित किये गये ;

(ख) उपर्युक्त पदों के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए तथा वास्तव में कितने उम्मीदवार नियुक्त किये गये ;

(ग) उपर्युक्त पदों में से कितने पद रोजगार दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से भरे गये ; और

(घ) साक्षात्कार के लिये उम्मीदवारों को बुलाने के लिए क्या कसौटी अपनाई गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) से (घ) 2,080 पद अधिसूचित किये गये थे और अधिसूचनाएं नियोजन कार्यालयों को भी भेजी गयी थीं। कुल 17,577 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे और जो उम्मीदवार निर्धारित शर्तें पूरी करते थे, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। उनमें से अब तक वस्तुतः 652 व्यक्ति नियुक्त किये गये हैं।

कोयले की कीमत

2976. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री 14 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5784 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विनियन्त्रण के बाद खानों के मुहानों पर और दिल्ली, बम्बई, मद्रास, लखनऊ, कलकत्ता और हैदराबाद जैसे स्थानों पर कोयले और साफ्ट कोक के वर्तमान मूल्य क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार ने खान के मुहाने के मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच अन्तर का विश्लेषण किया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) से (ग) कोयले के मूल्य पर से नियन्त्रण उठा लेने से, सूचना सब केन्द्रों के विषय में प्राप्त नहीं। तथापि, दिल्ली तथा बम्बई के सूत्रों से एकत्र की गई सूचना अनुबद्ध 1 और 2 में संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी ० 355/68]**

कोयला खानों को दी जाने वाली अर्थ-सहायता

2977. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 में कोयला खानों को दी जाने वाली अर्थ-सहायता के बारे में मासिक स्थिति क्या है ; और

(ख) भुगतान में अनावश्यक विलम्ब दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) दो विवरण जिनमें (1) कोयला खानों की 1967 वर्ष की सहाय्य की अभ्यर्थनाएं तथा (2) कोयला बोर्ड द्वारा किये गये भुगतान अनुबद्ध 1 और 2 में दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 356/68]**

(ख) कोयला बोर्ड किए जा रहे भगतानों को अद्यतन रखने का पूर्ण प्रयत्न कर रहा है।

कोयले की आवश्यकता

2978. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना के लिये खान-वार तथा क्षेत्र-वार कोकर और अकोककर कोयले के उत्पादन के लक्ष्य क्या थे ;

(ख) पाँचवी योजना में अनुमानतः कितने अधिक कोयले की आवश्यकता पड़ेगी ; और

(ग) क्या इस्पात संयंत्रों तथा कारखानों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा निर्यात के लिये सरकार ने धातुकार्मिक कोयले का क्रमबद्ध उत्पादन सुनिश्चित किया है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):

(क) जून 1967 में लगाये गये अनुमान के अनुसार, 1970–71 तक कोयले की मांग अस्थायी रूप से 99.51 मिलियन टन रखी गयी है जैसे कि नीचे दिया गया है :—

क्षेत्र का नाम	कोकिंग	1970-71 तक अनुमानित माँग नॉन कोकिंग और ब्लेंडेबल (मिलियन टन)	समस्त
1. बंगाल-बिहार	26.49	42.17	68.66
2. सिंगरौली	--	3.69	3.69
3. केन्द्रीय भारत की कोयला खानें	--	10.22	10.22
4. पेंच	—	3.82	3.82
5. महाराष्ट्र	—	3.24	3.24
6. तालचर	—	1.42	1.42
7. सिंगरैनी	—	7.76	7.76
8. आसाम	--	0.70	0.70
	26.49	73.02	99.51

तथापि वर्तमान प्रवृत्तियों से पता चलता है कि समस्त आवश्यकता 90 मिलियन टन से अधिक नहीं होगी। उत्पादन लक्ष्य लगभग इसी स्तर का होगा। यदि आशानुसार माँग बढ़ी तो आशा है कि 90 मिलियन टन उत्पादन में से 24 मिलियन टन के स्तर का उत्पादन सरकारी क्षेत्र से होगा। तथापि माँग की स्थिति का समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है और स्वाभाविक रूप से परिवर्तन के अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्र का उत्पादन बदलना पड़ता है।

(ख) ये अभी तैयार नहीं किये गये हैं। अभी ऐसा करना बहुत अगेती होगा।

(ग) सरकार ने इस समस्या को हाथ में लिया हुआ है तथा वह इस्पात प्लांटों आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये धातुकार्मिक कोयले के उत्पादन की प्रावस्था के हेतु यथा-सम्भव प्रयत्न कर रही है। निर्यात के लिये उत्पादन की प्रावस्था बनाने का प्रश्न ऐसा करने में बहुत सी कठिनाइयों के होने के कारण हाथ में नहीं लिया गया।

Retrenchment of Train Clerks on Danapur Dn., Eastern Railway

2979. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to retrench Railway workers ;

(b) if not, the justification for retrenching 40 per cent of Train Clerks in Danapur Dn., Eastern Railway ; and

(c) whether the Railway Administration has issued any order to the Divisional Superintendent, Danapur in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) No ; the regular railway staff who become surplus are offered atlerantive employment on Railways. Only casual labour who are not treated as regular railway employees under the rules are liable to be discharged from service when the work for which they were recruited ceases, but even in their case, every attempt is made to see if some alternative employment could be provided, for them.

(b) and (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

प्रबन्ध अभिकरण

2980. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे मामलों की संख्या कितनी-कितनी है जिनमें मार्च से अक्तूबर, 1967 के दौरान और दिसम्बर, 1967 से जनवरी, 1968 के दौरान कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत प्रबन्ध अभिकरणों के दल का विस्तार करने की मंजूरी दी गई / अस्वीकार की गई ;

(ख) ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनको मंजूरी दी गई / अस्वीकार की गई ; और

(ग) मंजूरी देने / अस्वीकार करने के क्या कारण थे ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) (1) मार्च, 1967 से अक्तूबर, 1967 तक के मासों में 35 मामलों में अनुमति दी गई थी ।

(2) दिसम्बर, 1967 एवं जनवरी, 1968 के मासों में 6 मामलों में अनुमति दी गई थी ।

(3) मार्च, 1967 से अक्तूबर, 1967 तक के मासों में 24 मामलों में अनुमति नहीं दी गई ।

(4) दिसम्बर, 1967 एवं जनवरी, 1968 के मासों में, किसी मामले में अनुमति अस्वीकृत नहीं की गई ।

(5) मार्च, 1967 से अक्तूबर, 1967 के मासों में, अधिनियम की धारा 324 के अन्तर्गत प्रेषित दिनांक 21–12–1966 की अधिसूचना के कारण, अधिनियम की धारा 326 के अन्तर्गत प्राप्त 11 मामलों के प्रार्थना-पत्रों पर विचार नहीं किया जा सका। जनवरी, 1968 में ऐसा एक मामला था ।

(ख) सदन के पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 357/68]

(ग) प्रबन्ध अभिकरणों के नवीनीकरण को अनुमोदित अथवा अस्वीकृत करने का कार्य, प्रत्येक एकाकी मामले के गुणावगुण, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 326 में दिये गये मान दंड तथा संसद् में 5–9–1966 को उस समय के विधि मंत्री द्वारा एवं 1–12–1967 को औद्योगिक विकास एवं कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा घोषित, प्रबन्ध अभिकरण प्रणाली के सम्बन्ध में सरकार की नीति, के अनुसार किया गया था ।

प्रशीतकों (रेफ्रीजरेटरों) और वातानुकूलकों (एयर कंडीशनरों) का आयात

2981. **श्री अर्जुन सिंह भदोरिया** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 15 अगस्त, 1947 से लेकर अब तक वर्षवार कितने प्रशीतकों (रेफ्रीजरेटर) और वातानुकूलकों (एयर कंडीशनर) का आयात किया गया तथा किन-किन कम्पनियों से उनका आयात किया गया ;

(ख) उनके आयात के लिए कुल कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई ;

(ग) वर्ष 1967-68 में कितने प्रशीतकों और वातानुकूलकों अथवा उनके पुर्जों का आयात किये जाने की संभावना है तथा किन-किन फर्मों से ; और

(घ) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :

(क) और (ख) एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें 1947-48 से 1967-68 (अप्रैल अक्तूबर, 67) तक घरेलू प्रशीतकों तथा वातानुकूलक मशीनों का आयात दिखाया गया है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 358/68]**। कम्पनियों के नाम आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा 1952 से प्रकाशित "औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों का साप्ताहिक बुलेटिन" में दिये गये हैं जिसकी प्रतियाँ संसद्-पुस्तकालय में प्राप्य हैं। वर्ष 1952 से पहले की जानकारी प्राप्य नहीं है।

(ग) और (घ) विद्यमान आयात नीति के अनुसार प्रशीतकों तथा वातानुकूलकों के आयात पर रोक है। घरेलू प्रशीतकों को छोड़कर प्रशीतकों तथा वातानुकूलकों के पुर्जों के आयात के लिए सुस्थापित आयातकों को 10% के कोटे के आधार पर अनुमति दी जाती है और चालू लाइसेंसिंग अवधि में लगभग 6 लाख रुपये मूल्य के लाइसेंसों के दिये जाने का अनुमान है।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में सांकेतिक हड़ताल

2982. **श्री देवेन सेन :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 व्यक्तियों को, जिनमें चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स मजदूर संघ के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी हैं, 16 जनवरी, 1968 को शान्तिपूर्ण सांकेतिक हड़ताल करने के बाद निलम्बित कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि हड़ताल वाले दिन सशस्त्र पुलिस वाले जबर्दस्ती आंगन में घुस आये और उन्होंने स्त्रियों का अपमान किया और मजदूरों को जबर्दस्ती काम के लिये खींचा; और

(ग) हड़ताल करने वालों की मुख्य माँगें क्या थीं और उन्हें पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) कलकत्ता स्थित भंडार नियंत्रक के कार्यालय के केवल 6 लिपिक वर्गीय कर्मचारी हड़ताल की अवधि में गम्भीर कदाचार के लिए निलम्बित किये गये।

(ख) सरकार को इस प्रकार की घटनाओं की जानकारी नहीं है।

(ग) हड़तालियों की मुख्य माँगें चितरंजन रेल इंजन कारखाना, मजदूर संघ को मान्यता देने और सेवा की कुछ अन्य शर्तों के संबंध में थीं।

सहायक श्रम-आयुक्त (केन्द्रीय) आसनसोल, जो इस मामले में सुलह अधिकारी हैं, द्वारा द्विपक्षीय सुलह की कार्यवाही की गयी, लेकिन वह असफल रही।

मनीपुर रोड स्टेशन पर आसाम मेल का रोकना

2983. **श्री मेघचन्द्र :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम मेल के मनीपुर रोड स्टेशन पर केवल तीन मिनट के लगभग रुकने से यात्रियों को बड़ी कठिनाई और असुविधा होती है क्योंकि नागालैण्ड और मनीपुर के यात्रियों के लिये मनीपुर ही एक व्यस्त केन्द्र है; और

(ख) यदि हाँ, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) और (ख) जी नहीं। 15-1-68 से पहले 4 डाउन असम डाक गाड़ी मनीपुर रोड स्टेशन पर 5 मिनट और 3 अप असम डाक गाड़ी 3 मिनट ठहरा करती थीं। 15.1-68 से 3 अप असम डाक गाड़ी का ठहराव भी 3 मिनट से बढ़ाकर 5 मिनट कर दिया गया है। यह ठहराव पर्याप्त समझा जाता है।

कागज की मिल

2984. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में कागज के मिल कहाँ-कहाँ स्थापित किये जा रहे हैं;

(ख) क्या मनीपुर के संघ राज्य-क्षेत्र में कागज की एक मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) 1968-69 में कागज की कोई भी नई मिल लगाई जाने की संभावना नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मनीपुर में सीमेन्ट के कारखाने की स्थापना

2985. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री 15 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4854 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मनीपुर में सीमेंट का कारखाना स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि उपर्युक्त कारखाना चालू करने में बहुत देरी हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) मणिपुर सरकार ने हाल ही में प्रस्ताव किया था कि इस मामले के सभी पहलुओं की विस्तृत रूप से जाँच का काम राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम को सौंपा जाय और वह सरकार को अन्तिम निर्णय करने में अपनी विशद सिफारिशें करने के लिए दूसरी संस्थाओं का उपयोग भी कर सकता है। यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है।

Mineral Industry in Rajasthan

2986. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister **of Steel, Mines and Metals** be pleased to state ;

(a) whehter Government have formulated a special scheme for the development of mineral industry in Rajasthan ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) whether Government propose to take over the mineral industry in Rajasthan ?

The Minister of Steel, Mines and Metals (Dr. Channa Reddy) :

(a) and (b) The Central Government have not formulated any special scheme for the development of mineral industry in Rajasthan. However, the following projects have been undertaken in the State by the Central Government Companies :

(i) M/s. Hindustan Zinc Limited, is developing the lead-zinc deposits in Zawar area in Rajasthan for the production of lead-zinc ore to be processed into lead and zinc metals. The construction of zinc smelter near Udaipur with an installed capacity of 18,000 tonnes of zinc metal per annum was completed and production started from Ist January, 1968. The expansion of production from Zawar mines to support larger metal production is also under consideration.

(ii) The Hindustan Copper Ltd., is developing copper deposits at Khetri and Kolihan to produce 31,000 tonnes of electrolytic copper (21.000 tones from Khetri and 10,000 tonnes from Kolihan) per annum. A scheme for the development of Dariba copper deposits to produce 1400 tonnes of electrolytic copper per annum is also under consideration.

Besides the above, detailed prospecting for rock phosphate in Jaisalmer and Udaipur by the Geological Survey of India is in progress. Further, an integrated programme of air-borne survey and ground follow-up work has been drawn in consultation with US-AID. This programme *inter-alia* envisages carrying out of air borne surveys in Aravalli area in Rajasthan.

(c) No, Sir.

Mica Trade in Rajasthan

2987. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether any facilities have been provided by Government for the promotion of mica trade in Rajasthan ;

(b) if not, the steps being taken by Government to remove the difficulties being experienced by the traders and owners of Mica mines which is a source of foreign exchapage earnings ; and

(c) whether Government porpose to provide export facilities to them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi):

(a) to (c) The facilities provided by the Government of India for promotion of mica exports are applicable througout India. There is no special programme for any particular State.

Government have taken special steps to promote exports and to stabilise the mica export trade. These steps include fixation of mica floor prices below which goods cannot be exported, banning of exports of mica on consignment basis, requirment of a 100 % L/c before exports are effected, introduction of compulsory quality control and preshipment inspection, etc.

Mica is mined mainly in 3 States i.e. Bihar (in Giridih and Kodarma area), Andhra Pradesh (Gudur area) and in Rajasthan (in Jaipur and Bhilwara area). Rajasthan mica is almost entirely transported to Bihar where it is processed. Exports from Rajasthan directly are negligible except that small quantities of mica powder and mica wastes have been exported in recent past.

Level Crossings in Rajasthan

2988. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some decision has been taken in regard to the demands from many places in Rajasthan for providing level crossings ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) Yes.

(b) A statement is attached. **[Placed in Library. See. no. LT—359/68]**

Railway Line from Ahmedabad to Delhi

2989. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to extend the newly constructed Udaipur-Ahmedabad Railway line from Ahmedabad to Delhi via Udaipur and Ajmer with a view to provide facilities to the passengers ; and

(b) whether Government propose to attach one more Class III sleeping coach from Udaipur upto the time the facility referred to in part (a) above is provided ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) No. With the completion of Udaipur-Himmatnagar line, Ahmedabad is already linked with Delhi by a through railway line via Udaipur and Ajmer.

(b) No. There is no room on the connected main line trains for introduction of an additional IIIrd class sleeper coach.

Hindustan Zinc Ltd.

2990. **Shri Onkar Lal Bohra** : Will the Minister of **Steel, Mines and Metals** be pleased to state :

(a) the amount so far invested by Government in Hindustan Zinc Ltd., after taking it over from the Metal Corporation of India ;

(b) the amount of compensation paid so far to the Metal Corporation ; and

(c) if no compensation has been paid so far, the reasons for not taking a decision in regard to the amount of the compensation to be paid as also for not paying the same so far ?

The Minister of State in the Ministry of Steel, Mines and Metals (Shri P. C. Sethi):

(a) Government has so far invested Rs.1,067.75 lakhs in the Company partly in the share capital and partly by way of loan.

(b) No compensation has yet been paid.

(c) The time taken in regard to determination of the amount of compensation payable is partly due to the failure of the Metal Corporation of India to furnish to the Government a complete inventory of all the properties and assets and all liabilities and obligations of the Company as required under the provisions of the Metal Corporation of India (Acquisition of Undertaking) Act, 1966 (No. 36 of 1966). However, the work of assessment has already been taken in hand with available information and data and the work has progressed considerably. It may be mentioned that the assessment of the quantum of compensation payable under the provisions of the Act involves considerable complications and volume of work. The compensation amount is being determined and an offer will be made shortly to the Metal Corporation of India.

पटेल नगर रेलवे फाटक पर रिवाड़ी जाने वाली रेल गाड़ी को रोका जाना

2991. **श्री यशपाल सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 फरवरी, 1968 को पश्चिमी दिल्ली और नगर के शेष भाग के बीच यातायात रुक गया था जब कि दिल्ली में पटेल नगर रेलवे-फाटक पर रिवाड़ी जाने वाली गाड़ी को सैकड़ों यात्रियों ने रोक लिया था;

(ख) यदि हाँ, तो इस के क्या कारण थे; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) और (ख) बी डी आर दिल्ली-रेवाड़ी सवारी गाड़ी के देर से चलने के विरुद्ध अपना विरोध प्रकट करने के लिए यात्रियों द्वारा पटेल नगर स्टेशन के समपार के पास इस गाड़ी की खतरे की जंजीर को बार-बार खींचे जाने के कारण 21-2-68 को सड़क और रेल यातायात अवरुद्ध हो गया था। उस दिन 1 बी डी आर सवारी गाड़ी इसलिए देर से चल रही थी, क्योंकि नया-नया संस्थापित बिजली चालित सिगनल बिगड़ गया था जिसकी वजह से, अपरिहार्य परिस्थितियों में, इंजन शेड से इंजन के आने में देर हो गयी थी।

(ग) 1 बी डी आर तथा अन्य गाड़ियों के चलने में समय-पाबंदी पर विशेष निगाह रखी जा रही है ताकि उपयोगकर्ताओं को जिनमें सीजन टिकट पर यात्रा करने वाले यात्री भी शामिल हैं, कोई असुविधा न हो।

कलकत्ता में भूमिगत रेलवे लाइन

2992. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता में सड़क यातायात में सुधार लाने के लिये सरकार ने भूमिगत रेलवे लाइन के निर्माण का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस समय योजना किस स्थिति में है;

(ग) क्या यह कुछ समय के लिये स्थगित कर दी गई है या इसे कतई त्याग दिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):

(क) से (घ) इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिये योजना आयोग ने पश्चिम बंगाल के सहयोग से एक विशेषज्ञ समिति बनायी है। अन्तरिम सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश कर दी गयी है और विशेषज्ञ-समिति उसकी जाँच कर रही है।

दावा निरीक्षकों का चयन

2993. **श्री सूरज भान** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में 250–380 के वेतन-क्रम वाले दावा निरीक्षक उसी ही वेतन क्रम में माल अधीक्षक (जो भिन्न श्रेणी में है) के चयन के पात्र हैं परन्तु 205-280 के वेतन क्रम वाले मुख्य माल क्लर्क 205-380 के वेतन क्रम में दावा निरीक्षकों के रूप में चुने जाने के पात्र नहीं हैं :

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो दावा निरीक्षकों को दोहरे लाभ देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस असमानता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) से (ग) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे कर्मचारियों को सीमा-भत्ता

2994. **श्री सूरज भान :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में कार्य पर लगे रेल कर्मचारियों ने सीमा-भत्ते की माँग की है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) इस सम्बन्ध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) भारत-पाक सीमा पर काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के किसी कर्मचारी को सीमा-भत्ता मंजूर नहीं किया गया है।

सरसा और रिवाड़ी के रेलवे स्टेशनों के बंगलों के साथ के नौकरों के मकान

2995. **श्री सूरज भान :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी रेलवे के बीकानेर डिवीजन पर सरसा और रिवाड़ी स्टेशनों पर रेलवे-बंगलों के साथ नौकरों के मकानों (आउट हाउस) की संख्या कितनी है;

(ख) इन नौकरों के मकानों में से कितने मकान रेलवे कर्मचारियों को दिये गये हैं;

(ग) इन नौकरों के मकानों में से कितने मकान बाहर के लोगों को दिये गये हैं और उन लोगों से कितना किराया लिया जाता है;

(घ) इन स्टेशनों पर—अनिवार्य तथा गैर-अनिवार्य—कितने रेलवे कर्मचारियों के पास रेलवे क्वार्टर नहीं हैं; और

(ङ) बाहर के लोगों को हटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का प्रस्ताव है ताकि इस प्रकार खाली हुए क्वार्टरों को रेलवे कर्मचारियों को दिया जा सके ?

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :

(क) से (ङ) सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Industrial Development in Rural Areas

2996. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Industrial Development and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the industries were set out in the urban areas during the last three Five Years Plan periods ;

(b) whether it is also a fact that small scale industries and cottage industries were paid less attention as compared to large scale industries ; and

(c) whether Government propose to consider the question of setting up large scale industries in the undeveloped and rural areas ?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) :

(a) and (b) No, Sir.

(c) It is Government's policy to encouage dispersal of industries to the extent possible keeping in view the economic and technological considerations.

Sheds on stations of Kota Division

2997. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about two years back, the Railway Consultative Committee forwarded to Government plans, duly sanctioned, with regard to the construction of sheds and other works on many stations of Kota Division; and

(b) if so, the reasons for the delay in their implementation ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) It is presumed that the Hon'ble Member is referring to the works aproved by the Railway Users' Amenity Committee held in June, '65 for inclusion in the 1966-67 Works Programme. If so, 12 works of platform shelters at various stations of Kota Division were recommended by the Railway Users Amenities Committee for inclusion in 1966-67 Works Programme.

(b) Out of these 12 works, one work is in progress. The remaining 11 works, were dropped as on review in the context of need for economy, these were not found to be adequately justified in accordance with prevalent forms for such facilities.

Northern Railway Hospital, Delhi

2998. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that large quantites of medicines were stolen from the Northern Railway Hospital, Delhi last month ;

(b) whether it is also a fact that Government are investigating into this case of theft ;

(c) if so, the outcome thereof ; and

(d) the action taken by Government against the culprits in this connection ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) No.

(b) to (d) Do not arise.

उड़ीसा में खनन पट्टा लाइसेंसों का नवीकरण

2999. **श्री दे० अमात** : क्या **इस्पात, खान तथा धातु मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968–69 में उड़ीसा से कितने व्यक्तियों ने खनन-पट्टा लाइसेसों के नवीकरण के लिये आवेदन किया; और

(घ) खनन अन्वेषण लाइसेंसों के लिये कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया और ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :

(क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायगी।

Ticket Collectors at Kanpur Station

3000. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Ticket-Collectors are made to work in the Reservation and Enquiry Offices at the Kanpur Railway Station which is against the rules ;

(b) if so, whether their number is more than the number required at the said station ;

(c) the reasons for posting junior employees against the posts carrying higher scale; and

(d) whether complaints had been received by Government previously also from some Member of Parliament to the effect that Ticket-Collectors were posted against the posts of clerks and if so, the action taken in this regard ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha

Enquiry and Reservation Clerks of Kanpur Station

3001. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no definite duty roster of the Enquiry and Reservation Clerks at Kanpur Railway station ;

(b) whether it is also a fact that regular rest day for them has not been fixed as a result thereof ; and

(c) the action taken against the officer responsible for this irregularity ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) and (b) No.

(c) Does not arise.

Collisions at Hijli and Macheda Stations

3002. **Shri Lakhan Lal Kapoor:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Down Puri-Howrah Express collided with a goods train at Hijli stations near Kharagpur on the South Eastern Railway on the 22nd February, 1968 :

(b) whether it is also a fact that on that day, Up Howrah-Puri Express collided with a goods train at Macheda Station, South Eastern Railway ; and

(c) if so, the number of persons killed or injured as a result of both the accidents and the causes thereof ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha):

(a) Yes.

(b) Train no. 8 up Howrah-Puri Express was involved in a side-collision on 21-2-1968.

(c) In these two accidents no one was killed. However, 24 persons were injured of whom 5 sustained grievous injuries. The causes of both the accidents are under investigation.

कपास के मूल्यों में गिरावट

3003. **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री : श्री देवराव पाटिल :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपास के मूल्य अत्यधिक गिर गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इंडियन काटन मिल्स फेडरेशन ने अपने सदस्यों को निदेश दिया है कि कपास न खरीदें जिससे मूल्य और गिर जायं; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि उत्पादकों के हितों की रक्षा हो सके तथा इसके परिणामस्वरूप कपास की खेती वाली भूमि कम न हो सके ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):

(क) हाल ही में कपास के मूल्यों में अत्यधिक गिरावट नहीं अपितु कुछ गिरावट आई है।

फिर भी, इस समय मूल्य केवल चालू मौसम के समर्थन मूल्यों से ही नहीं बल्कि 1966-67 के अधिकतम मूल्यों से भी काफी ऊपर हैं।

(ख) इंडियन काटन मिल्स फैडरेशन द्वारा सदस्यों को कपास न खरीदने के बारे में दिये गये किसी निदेश की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ग) सरकार ने घोषणा की है कि यदि समर्थन मूल्यों पर कपास दी जाये तो सरकार उसे खरीदने को तैयार रहेगी। इस बात को तथा पिछले वर्ष के अतिकतम मूल्यों से ऊपर चल रहे कपास के मूल्यों को देखते हुए, कपास की खेती के क्षेत्र को कम करने का कोई कारण नहीं है।

Barauni-Katihar-Barsoi Railway Line

3004. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state when the work regarding the scheme of laying broad gauge line from Barauni to Katihar and from Kathihar to Barsoi is likely to be completed ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) : There is no pro- posal at present to exend the broad gauge line from Barauni to Katihar and onwards to Barsoi, as at present there is no traffic justification for the same.

Katihar Station

3005. **Shri Lakhan Lal Kapoor**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that because of the Katihar station being very old, it becomes diffcult to control the rush which causes great difficulty to passengers and the station remains very filthy ; and

(b) if so, when Government propose to construct a new station there ?

The Minister of Railways (Shri C.M. Poonacha) :

(a) No.

(b) Does not arise.

एल्युमीनियम उद्योग

3006. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल्युमीनियम उद्योग को भारतीय प्रशुल्क अधिनियम के अन्तर्गत कितनी अवधि के लिये संरक्षण जारी रखने के विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी):

(क) भारतीय प्रशुल्क (संशोधित') अधिनियम, 1934 (1934 की संख्या 51) के अन्तर्गत एल्युमीनियम उद्योग को पहिले से ही 31-12-1968 तक संरक्षण मिला हुआ है। संरक्षण को और आगे जारी रखने के प्रश्न पर प्रशुल्क आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है तथा इस वर्ष सरकार को एक प्रतिवेदन दिये जाने की आशा है।

(ख) संरक्षण को 31-12-1968 तक जारी रखने के कारण प्रशुल्क आयोग के प्रतिवेदन (1964) के पैराग्राफ 16 में दिये गये हैं। प्रतिवेदन तथा उस पर जारी किये गये, दिनांक 9 दिसम्बर, 1964 के सरकारी संकल्प संख्या 1 (1)—टैरिफ / 64 को पहिले ही दिसम्बर 1964

में सभा-पटल पर रखा जा चुका है। यह संकल्प, दिनांक 9 दिसम्बर, 1964 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 1 खण्ड 1 में भी प्रकाशित हुआ है।

कपास के मूल्यों के बारे में विदर्भ सेतकारी सभा द्वारा पारित संकल्प

3007. **श्री देवराव पाटिल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास के मूल्यों के बारे में 4 फरवरी, 1968 को महाराष्ट्र की विदर्भ सेतकारी सभा द्वारा पारित संकल्प की प्रति सरकार को प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस संकल्प की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)

(क) और (ख) सरकार को महाराष्ट्र सेतकारी सभा द्वारा पारित जो संकल्प प्राप्त हुआ है, उसकी मुख्य-मुख्य बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 360/68**]

नवम्बर तथा दिसम्बर, 1967 में प्रचलित असाधारणतः ऊँचे मूल्यों की तुलना में रुई के मूल्यों में अभी हाल में कुछ गिरावट आई है। किन्तु मूल्य अब भी न केवल चालू मौसम के समर्थक मूल्यों से काफी ऊँचे हैं अपितु 1966-67 के अधिकतम मूल्यों से भी अधिक हैं। मूल्य स्थिति की निरन्तर पुनरीक्षा की जाती है और कपास उगाने वाले कृषकों के हितों की रक्षा के लिये उचित समय पर आवश्यक उपाय किये जायेंगे।

रुई का आयात, स्वदेशी रुई की उपलब्धि तथा उद्योग का कार्य सामान्य रूप से चलाने के लिए आवश्यक रुई की मात्रा के बीच की कमी को पूरा करने के लिये ही किया जाता है।

बफर स्टाक बनाने के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए स्थापित की गई समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

कपड़े के मूल्यों पर नियंत्रण का जहाँ तक सम्बन्ध है, उसके हटा देने से जनता के गरीब वर्ग को हानि होने की सम्भावना है और इस मामले पर बड़े गौर से विचार किया जा रहा है।

Derailment of Assam Mail near Kanpur

3008. **Shri Lakhan Lal Kapoor** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Assam Mail escaped collision with a goods train near Kanpur on the 19th February, 1968 but as a result thereof a number of bogies of the Mail train got derailed and the passengers sustained injuries ;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) the number of persons injured as a result of derailment ?

The Minister of Railways (Shri C. M. Poonacha) :

(a) and (c) No. Presumbly the reference is to the accident in which only one coach marshalled 2nd from the engine of train no. 85 Up Assam Mail got derailed at Kanpur station on 20-2-1968 In this accident no one was killed or injured.

(b) The cause of this accident is under investigation.

सोयाबीन से दूध और मांस के समान तत्वों वाला भोजन तैयार करना

3009. **श्री सुदर्शनम** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोयाबीन से दूध और माँस के समान तत्वों वाले पदार्थ बनाने के लिए बम्बई में एक सरकारी लिमिटेड कम्पनी बनाने का विचार है;

(ख) क्या इसके लिए कोई विदेशी सहयोग लिया जायेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) :

(क) से (ग) मेसर्स जीवनलाल सन्स एण्ड रत्नम, बम्बई के अमरीका की कम्पनी मेसर्स हैरी डब्ल्यू मिल्लर जूनियर इंजीनियरिंग सर्विसेज से सोया वनस्पति बोलोगोना (कृत्रिम माँस की चपाती), सोया वनस्पति वीनर्स (हाट डाग्ज), सोया वनस्पति मुर्गे जैसा माँस, सोया वनस्पति गोमाँस जैसा माँस तथा साफ किये गये के तेल के उत्पादन के लिए सहयोग का प्रस्ताव सरकार द्वारा पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अण्डमान की सैलूलर जेल का गिराया जाना

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:

"अण्डमान की एतिहासिक सैलूलर जेल के, जिसके साथ अनेक शहीदों, बड़े-बड़े स्वतंत्रता-सेनानियों तथा नेता जी सुभाष चंद्र बोस की यादें वाबस्ता हैं, गिराये जाने का समाचार है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): अध्यक्ष महोदय : पोर्ट ब्लेयर की सैलूलर जेल की इमारत वर्ष 1903 में बनकर पूरी हुई थी। यह जेल उन कैदियों के लिये बनायी गयी थी जिन्हें आजीवन कारावास का दंड मिलता था परन्तु स्वतंत्रता-सेनानियों को भी बाद में वहाँ पर रखा गया था।

वर्ष 1942 में जापानियों की बमबारी के फलस्वरूप जेल की इमारत टूट-फूट गयी थी। खाइयाँ और पिल्बाक्स बनाने के लिये ईंटें प्राप्त करने के विचार से जापानियों ने इस इमारत के दो विंग तोड़ दिये थे। 1945 में इस द्वीप पर अंग्रेजों का पुनः कब्जा होने के पश्चात् इंजीनियरों ने इस इमारत का निरीक्षण किया था और उन्होंने इमारत के काफी बड़े भाग को असुरक्षित घोषित कर दिया। इसलिये यह निश्चय किया गया कि सेंट्रल टावर को छोड़कर सारी इमारत गिरा दी जाये और उस स्थान का अस्पताल के लिये उपयोग किया जाये। सेंट्रल टावर के अतिरिक्त जेल के अब भी तीन

विंग शेष हैं। इस समय दो विंगों का उपयोग डिस्ट्रिक्ट जेल के लिये किया जा रहा है और तीसरे विंग में गोदाम बना हुआ है। इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या इनमें से किसी विंग को संक्षिप्त स्थान के साथ में रखा जा सकता है या नहीं। इस बात का पहले ही निर्णय कर लिया गया है कि जेल के सैंट्रल टावर को उन स्वतंत्रता-सेनानियों की यादगार के रूप में सुरक्षित रखा जायेगा जिन्हें वहाँ रखा गया था। इन स्वतंत्रता-सेनानियों की याद को बनाये रखने के लिये उनके नामों के नाम-पट सैंट्रल टावर में लगाये जा रहे हैं।

Shri Samar Guha (Contai) : It is a matter of profound regret and shame that we have lost the sense of national spirit after 20 years of independence. We are forgetting that Andaman jail is a symbol of sacrifices made by our beloved freedom fighters. Eminent personalities like Vir Savarkar, his elder brother and many other revolutionaries were locked in that jail. The revolutionaries involved in Lahore conspiracy case, Chittagongo Armory Raid etc. were detained in that jail. It is a matter of shame that hon'ble Minister quoted the British tradition by saying that Andamans was reconquered by the British.

Keeping in view the above I want to know :

(1) whether the Prime Minister had paid her tributes in the honour of our brave martyrs during her visit to Andaman sometime back ?

(2) Whether Andaman cellular Jail would be preserved in the from of a National Museum?

(3) Whether Government would make necessary arrangements for writing the history of Andaman jail ?

(4) Netaji Subhash Chandra Bose had named Andaman and Nicobar Islands as shaheed and Swarajya Islands. Whether Government would agree to these names ?

(5) Whether there will be any provision to preserve the memory of Netaji Subhash Chandra Bose there ?

श्री यशवन्तराव चौव्हाण: जहाँ तक माननीय सदस्य की भावनाओं का सम्बन्ध है, मैं निश्चय ही उनका समर्थन करता हूँ। जब मैं पिछले वर्ष पहली बार अण्डमान के दौरे पर गया था तो मैंने वहाँ पर उन महान देश भक्तों को श्रद्धांजलि दी थी। फिर से कब्जा करने के शब्दों का प्रयोग किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं किया गया है। यह सच्चाई मात्र थी।

श्री समर गुह: क्या यह सच नहीं है कि नेताजी ने 1943 में इस द्वीप पर कब्जा किया था और अण्डमान को स्वाधीन करवाया था ? क्या यह ऐतिहासिक तथ्य नहीं है ?

श्री यशवन्तराव चौव्हाण: मैंने वहाँ घटित घटनाओं के बारे में कुछ नहीं कहा है। मैंने केवल यह कहा है कि यह द्वीप वर्ष 1945 में तत्कालीन भारतीय प्रशासन के अधीन हो गये थे।

श्री समर गुह : यह अंग्रेजों का प्रशासन था।

श्री यशवन्तराव चौव्हाण : जहाँ तक बैरकों का सम्बन्ध है, इस समय केवल तीन बैरकें हैं। इनमें सैंट्रल टावर सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हमने उसे सुदृढ़ करने और उसे वर्तमान रूप में सुरक्षित रखने का पहिले ही निर्णय कर लिया है। बैरकों को वर्तमान रूप में रखा जा सकता है या नहीं, यह मामला विचाराधीन है। वीर सावरकर तथा अन्य बहुत से क्रान्तिकारी वहाँ पर रहे हैं। दुर्भाग्य से जापानियों द्वारा बमबारी के दौरान सारा रिकार्ड नष्ट हो गया था। उन लोगों का इतिहास लिखा जाना बहुत आवश्यक है। विभिन्न प्रान्तों से कौन-कौन से व्यक्ति वहाँ भेजे गये थे, इस संबंध में

हमारे पास कोई सूचना नहीं है। हम इस बारे में तथ्य इकट्ठे कर रहे हैं। जहाँ तक द्वीप का नाम बदलने का प्रश्न है, इस पर विचार किया जा सकता है।

श्री नाथ पाई (राजापुरा) : पिछले वर्ष इस विषय पर श्री कामत ने एक संकल्प प्रस्तुत किया था।

श्री यशवन्तराव चौव्हाण: मुझे इसकी जानकारी नहीं कि उस संकल्प का अन्त में क्या हुआ था।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संवाददाता तथा रिपोर्टर कृपा करके कुछ न लिखें। श्री हेम बरुआ यहाँ इस बात को उठाना चाहते थे। मैंने इसका निश्चय किया तथा समझा कि यह मामला राज्य सरकार का है। वहाँ पर राज्य सरकार बनी हुई हैं। इसलिए मैं उस राज्य के सम्बन्ध में किसी विषय पर यहाँ चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता।

नीति सम्बन्धी वक्तव्य देने के बारे में
RE: MAKING OF POLICY STATEMENTS

Shri Madhu Limaye (Monghyr): On a point of order, Sir. Policy statements regarding Kenya have been made in Rajya Sabha which ought to have been made in this House. We are directly elected by the people. I want your ruling in the matter that whether such policy statements should be made in this House or in Rajya Sabha.

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में मुझे लिखें तो मैं इस पर विचार कर सकता हूँ।

श्री नाथ पाई : मैंने लिखा है।

महोदय अध्यक्ष: नियम यह है कि इन मामलों की सूचना मुझे 10.30 बजे से पहले मिलनी चाहिये। परन्तु यह सब मामले बाद में उठाये जाते हैं।

श्री हेम बरूआ : यह बात मेरे पत्र के सम्बन्ध में लागू नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय : मैं निश्चही इस सम्बन्ध में विचार करूँगा कि उस मामले में क्या किया जा सकता है। श्री मधु लिमये का प्रश्न महत्वपूर्ण है। हमें इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार करके निर्णय करना होगा।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, this is a serious matter. You were kind to accept my motion regarding extinction of Indians from Kenya. But the Government have not replied that in this House. Instead Prime Minister made a policy statement in Parliamentary Committee of Congress party. The Government is responsible to the House and they try to disregard the House. When the motion has already been accepted, policy statement on that subject should not be made outside the House.

अध्यक्ष महोदय : मुझे इन मामलों की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए अन्यथा मैं सरकार को कुछ नहीं कह सकता। फिर पत्र भेजने मात्र से ही माननीय सदस्यों को वह मामला सभा में उठाने का अधिकार नहीं मिल जाता। उन पर विचार करने का भी समय होना चाहिये।

श्री रंगा (श्रीकोकुलम)।: वित्तीय मामलों को छोड़कर दोनों सदन हर तरह से समान हैं। यह मामला कई बार उठाया जा चुका है। मुझे प्रसन्नता है कि कुछ मामलों में राज्य सभा ने पहले

को है और महत्वपूर्ण मामले उठाये हैं। ऐसे मामलों में आपको यह अधिकार है कि आप सम्बन्धित मंत्री को वक्तव्य देने के लिये कहें और आपने इस सम्बन्ध में पहले भी विनिर्णय दिया है कि जब कभी ऐसा वक्तव्य दिया जाये, माननीय सदस्य प्रश्न न पूछें।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): आपने यह विनिर्णय पहले भी दिया है कि सभा को जब भी किसी ऐसे मामले का पता चल जाये तो सम्बन्धित मंत्रालय का कोई भी प्रवक्ता उस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य न दे। परन्तु फिर भी ऐसे वक्तव्य दिये जाते हैं। आपके विनिर्णय के बावजूद मंत्रालयों के प्रवक्ता वक्तव्यों को इस प्रकार क्यों देते हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): मैं दोनों सदनों में कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहता परन्तु इस सभा की स्थिति के बारे में संविधान में कुछ निश्चित उपबन्ध हैं। यह विचित्र बात है कि कीनिया से हिन्दुस्तानियों को निकाले जाने के अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के विषय पर राज्य-सभा में चर्चा की गयी है परन्तु इस सभा में उस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई। हम में से कुछ सदस्यों ने प्रस्तावों की सूचना दी है परन्तु उसका कोई परिणाम नहीं निकला।

अध्यक्ष महोदय: हम ऐसे मामलों के लिये कोई समय निश्चित करेंगे।

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): हम संविधान के उपबन्धों या सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के विरुद्ध कार्य नहीं करते। एक ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में वह नीति सम्बन्धी वक्तव्य राज्य सभा में दिया गया था जब कि इस सभा में ध्यान दिलाने वाली सूचना नहीं थी।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): We had also given notice in regard to the calling Attention Notice.

डा० राम सुभग सिंह: सभापति ने विनिर्णय दिया था कि मध्यान्ह पश्चात् इस मामले पर फिर विचार किया जाये और इसीलिये प्रधान मंत्री को एक वक्तव्य देना पड़ा: (व्यवधान)

श्री नाथ पाई: आपने यह विनिर्णय दिया हुआ है कि यदि सरकार को कोई महत्वपूर्ण वक्तव्य देना है तो ऐसे वक्तव्य के लिये इस सभा को तरजीह दी जायेगी। मैं स्वीकार करता हूँ कि आपको इस संबंध में कठिनाई है। दूसरे शासक दल को किसी भी विषय पर चर्चा करने का अधिकार है। परन्तु मेरी आपत्ति यह है कि प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अपने दल की बैठक में नीति सम्बन्धी मुख्य वक्तव्य दिये हैं जिससे इस सभा में उस विषय पर वादवि-वाद का कोई अर्थ नहीं रह जाता। यदि सरकार इस सभा को विश्वास में नहीं लेती तो क्या हमें चुपचाप बैठे रहना चाहिए? मैं आपकी राय पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार की यह कार्यवाही न्यायोचित है?

अध्यक्ष महोदय: मैं अपनी राय अभी नहीं बता सकता।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): कुछ सदस्यों की लोक-सभा और राज्य-सभा में विवाद खड़ा करने की आदत-सी बन गयी है। यह दोनों सदन एक ही शरीर के अंग हैं और दोनों का समान महत्व है। फिर आप विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिये दो-दो घंटों का समय देते हैं। इस सभा की जितनी शक्ति और प्रभाव है उतना संसार में किसी अन्य लोकतंत्रीय देश में किसी सभा को प्राप्त नहीं है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि प्रधान मंत्री ने कांग्रेस संसदीय-दल की बैठक में कोई वक्तव्य दिया है। क्या उन्हें पता है कि हाउस आफ कामन्स में क्या होता है?

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य मेरे साथ सहयोग करने की कृपा करें। प्रश्न-काल के बाद ये मामले नहीं उठाये जाने चाहिये। नियमों का पालन किया जाना चाहिये। संसद् या संविधान के विषय में व्यवस्था के प्रश्न नहीं उठाये जा सकते। फिर प्रश्न-काल के बाद यदि कोई मामला उठाया जाता है तो वह अध्यक्ष को अनुमति के साथ उठाया जाना चाहिये। कई प्रस्तावों की अनुमति दे दी गई है और आज हमें उनके लिये समय निश्चित करना है। आपके सहयोग के बिना मैं सभा की कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकता।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

कर ढांचे को युक्तिसंगत बनाने तथा उसके सरलीकरण के बारे में भूतलिंगम्-समिति का अन्तिम प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से कर-ढांचे को युक्तिसंगत बनाने तथा उसके सरलीकरण के बारे में भूतलिंगम् समिति के अन्तिम प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 337/68**]

नेशनल न्यूजप्रिंट पेपर्स मिल्स लिमिटेड, नेपानगर और उसके वर्ष 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की समीक्षा।

औद्योगिक विकास और समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:–

(१) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत वर्ष 1966–67 के लिए नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स मिल्स लिमिटेड, नेपानगर, के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर्स मिल्स लिमिटेड, नेपानगर, के 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 338/68**]

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग. बम्बई का वर्ष 1966–67 का वार्षिक प्रतिवेदन; नारियल जटा बोर्ड, एरणाकुलम के वर्ष 1966–67 के प्रमाणित लेखे और इलायची बोर्ड सेवा (भर्ती) नियम, 1967

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के, 1966–67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सांख्यिकीय विवरणों सहित।

(2) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत वर्ष 1966-67 के लिए नारियल जटा बोर्ड, एरणाकुलम, के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 339/68]**

(3) (एक) इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत इलायची बोर्ड सेवा (भर्ती) नियम, 1967 की एक प्रति, जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1758 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 340/68]**

(4) (एक) रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 25 की उपधारा (3) के अन्तर्गत—रबड़ (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति, जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1756 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उक्त अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण। **[पुस्तकालय में रखा गयी। देखिये संख्या एल० टी० 237/68]**

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

पहली से चौदहवीं बैठकों की कार्यवाही का सारांश

श्री नि० चं० चटर्जी: (बर्दवान) मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की पहली से चौदहवीं बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूँ।

पहला प्रतिवेदन

श्री नि० चं० चटर्जी: मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का पहला प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

सातवां प्रतिवेदन

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj) : I beg to present the Seventh Report of the Committee on Public Undertakings action taken by Government on the recommendations contained in the Fifty-first Report of the Estimates Committee (Third Lok-Sabha) on Heavy Engineering Corporation Limited.

रेलवे आय - व्ययक—सामान्य चर्चा—जारी

श्री रा० की० अमीन (मेहसाना) : रेलवे बजट पर चर्चा करते समय मैं रेलवे द्वारा यात्रा करते समय सामान्य जनता से प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में चर्चा करूँगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

रेलवे बोर्ड जिसकी स्थापना जनता के हितों और उनको सुविधाएँ प्रदान करने के लिये की थी, ने वास्तव में रेलों का प्रयोग करने वाले लोगों को सुविधाएँ प्रदान करने के लिये कुछ नहीं किया है।

6 या 6 मील की दूरी के बीच स्थित फ्लैग स्टेशनों को खोलने की व्यवस्था की सुविधा दिया जाना आवश्यक है। इस पर प्रतिवर्ष लगभग 1000 रुपया खर्च आयेगा। परन्तु रेलवे बोर्ड का विचार है कि इस पर बहुत अधिक खर्चा आयेगा। इसके विपरीत रेलवे बोर्ड के प्रत्येक सदस्य पर प्रतिवर्ष 50,000 रुपया खर्च होता है। यह बात समझ में नहीं आती कि रेलवे बोर्ड के एक सदस्य पर 50,000 रुपये प्रतिवर्ष खर्च किये जा सकते है परन्तु एक फ्लैग स्टेशन पर 1000 रुपये प्रतिवर्ष खर्च नहीं किया जा सकता।

गुजरात में पश्चिमी रेलवे पर डाँगरवा और अब्लियासन के बीच एक फ्लैग स्टेशन बनाया जाना चाहिये और दूसरा फ्लैग स्टेशन साबरमती और अहमदाबाद के बीच शाहीबाग क्रासिंग पर बनाया जाना चाहिये।

यथासंभव शीघ्र रेलवे बोर्ड को समाप्त किया जाना चाहिये। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस पर बहुत अधिक व्यय होता है और इसके कारण मंत्री महोदय यह कार्य नहीं कर पाते हैं जो वह करना चाहते हैं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि रेलवे बोर्ड को इतने अधिक अधिकार क्यों दे रखे हैं। जब हम जनता की ओर से रेलवे मंत्री को नियुक्त करते हैं तो हमें रेलवे बोर्ड को नहीं बल्कि मंत्री के निर्णयों को अन्तिम निर्णय समझना चाहिये।

रेलवे मंत्री हमेशा ही आमदनी के अन्य साधन ढूंढने की अपेक्षा रेल किराये और भाड़े में वृद्धि कर देते हैं। उनका कथन है कि ऐसा इसलिये किया गया है कि लोगों पर हानि को पूरा करने के लिये इनके पास कर लगाने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। वह रेलवे व्यय में कमी करने का कोई तरीका नहीं निकाल पाते। पहले दर्जे के प्रत्येक डिब्बे के लिये एक कंडक्टर गार्ड नियुक्त किया जाता है जब कि २० डिब्बों के लिये केवल एक गार्ड होता है। गार्ड इतने अधिक कार्य को करने में असमर्थ होता है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि हमें गाड़ियों में केवल एक अटैन्डैंट रखना चाहिए चाहिए तथा सभी कन्डक्टर गार्डों को हटा कर एक अतिरिक्त गार्ड, अर्थात् सहायक गार्ड रेलगाड़ी में नियुक्त करना चाहिये जिससे दोनों गार्ड मिलकर रेलगाड़ी तथा यात्रियों के लिए अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था कर सकें।

रेलवे तीसरे दर्जे के यात्रियों की कोई परवाह नहीं करती। उनके लिये पीने के पानी और स्थान की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं परन्तु उनकी कठिनाइयों की कोई सुनवाई नहीं होती।

यद्यपि सरकार ने तीसरी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमान का पुनरीक्षण कर दिया गया है तथापि इससे गार्डों को कोई लाभ नहीं हुआ है। गार्डों पर बहुत अधिक दायित्व है जैसे गाड़ी को गन्तव्य स्थान तक पहुँचाना, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा की ओर ध्यान देना, फिर भी उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उनके वेतन मानों का अभी तक पुनरीक्षण नहीं किया गया है। गार्डों के वेतन मानों का पुनरीक्षण किया जाना चाहिये। उनको दिये जाने वाले भत्ते कम हैं। उनके भत्ते भी बढ़ाये जाने चाहिये।

रेलगाड़ी में तीसरे दर्जे के डिब्बों की संख्या बढ़ाये जाने की समय-समय पर माँग की जाती रही है। गुजरात में पूर्वी रेलवे पर अभी भी लोगों को गाड़ी की छतों पर चढ़कर यात्रा करनी पड़ती है। रेलवे कहती है कि बहुत बड़ी संख्या में रेल डिब्बों का निर्माण किया जा रहा है। उनको तीसरे दर्जे के डिब्बों में जोड़ा जाना चाहियें ताकि वे आराम से सफर कर सकें।

रेलवे के व्यय में कई तरीके से कमी की जा सकती है। बहुत सी लाइनें रेलवे लाइनों के साथ बेकार पड़ी हैं, उनका दोहरी लाइनें बनाकर प्रयोग किया जाना चाहिये।

रेलवे के खर्च में कमी इस प्रकार भी हो सकती है कि रेलवे अधिकारियों के विशेष डिब्बे समाप्त कर दिए जायें।

रेलवे को सबसे अधिक आय तीसरे दर्जे के यात्रियों से होती है। लेकिन इस पर भी उनकी सबसे अधिक उपेक्षा की जाती है।

यदि रेलवे अपने व्यय कम करने में समर्थ नहीं है तो इसे गैर-सरकारी कम्पनियों को सौंप दिया जाना चाहिये। वे रेलवे को बिना हानि के चला सकती हैं। रेलवे वाणिज्यिक संस्था है उसे लाभ अवश्य होना चाहये।

श्रीमती उमा राय (माल्दा) : यद्यपि मैं इस बात से सहमत हूँ कि रेलवे के खर्च में वृद्धि होना उचित है किन्तु यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि भाड़ा और किराया बढ़ा देने से ही आमदनी नहीं बढ़ सकती। इसकी आय बढ़ाने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी कार्य जोर-शोर से किए जाने चाहिए।

रेलवे को सड़क परिवहन का कड़ा मुकाबला करना पड़ता है। यदि रेलवे किराया और माल-भाड़ा बढ़ाती है तो लोग परिवहन का अधिक उपयोग करेंगे ।

रेलवे के खर्चे में कमी जनता की सुविधाओं में कमी करके नहीं की जानी चाहिये। अत: खर्चे में कमी करने के उद्देश्य से ऐसी लाइनों का बन्द किया जाना जो अलाभकारी हैं उचित नहीं है। इससे यात्रा करने वाले लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। 30 किलोमीटर के क्षेत्र में चलने वाली गाड़ी से लाभ भले ही न हो परन्तु इस सम्बन्ध में अन्य बातों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई।

The Lok-Sabha reassembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्रीमती उमा राय :—पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी दिनाजपुर जिले का देश के अन्य भाग से सीधा सम्पर्क नहीं है। विभाजन के पश्चात् कलकत्ते और दिनाजपुर के बीच रेल के सम्पर्क की सुविधाएँ समाप्त हो गई हैं। पश्चिमी बंगाल का एक बड़ा चावल उत्पादक-क्षेत्र होने के कारण इसका महत्व है।

कुछ वर्ष पूर्व किये गये सर्वेक्षण से यह सिद्ध हुआ है कि पश्चिमी दिनाजपुर के जिले के हिली और बेलूरघाट को माल्दा स्टेशन से जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन से रेलवे को बहुत लाभ होगा। यदि और किसी कारण से नहीं तो रक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

रेलवे सम्पत्ति के बड़े पैमाने पर चोरी हो जाने के कारण भी रेलवे को बड़ी हानि हो रही है। दो वित्तीय वर्षों के दौरान रेलवे के सुरक्षा संगठनों का खर्च 2 करोड़ रुपये से भी अधिक बढ़ गया है। इसके बावजूद भी यदि रेलवे की सम्पत्ति की चोरी के कारण रेलवे को हानि होती है तो इस खर्च का समर्थन नहीं किया जा सकता।

रेलवे के कुछ सेक्शनों में यात्रियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। उदाहरण के लिये उत्तर सीमान्त रेलवे और पूर्वी रेलवे के कुछ सेक्शनों में यात्रियों को वे सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं जो कि दूसरे रेलवे ज़ोन के दूसरे सैक्शनों को प्राप्त हैं। समस्त देश में रेल का किराया एक जैसा है तो सुविधाएँ भी एक जैसी ही दी जानी चाहिए।

पूर्वी रेलवे के बन्देल-कटवा सेक्शन को तुरन्त विद्युतन परियोजना के अन्तर्गत ले आना चाहिये। उस सेक्शन की लाइनों को दोहरा किया जाना चाहिये।

अधिक खर्चीले रेलवे प्रशासन में सुधार किया जाना चाहिये। अतः रेलवे बोर्ड के स्थान पर सभी रेलवे के जनरल मनेजरों द्वारा गठित एक समिति होनी चाहिये और जिसके प्रधान स्वयं रेलवे मंत्री होने चाहिये।

श्री स० कुन्डू (बालासौर) रेलवे मंत्री और वित्त मंत्री दोनों ही ने देश की गरीब जनता पर करों का भार लाद दिया है। लोगों पर २७ करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर लगाये गये हैं।

रेलवे मंत्री ने बताया था कि तीसरे दर्जे के किराये में वृद्धि किये जाने से 8 करोड़ रुपये की आय होगी। परन्तु मेरे विचार से यदि इससे शयनागार सीट और माल भाड़े में की गई वृद्धि को शामिल किया जाये तो इससे 15 करोड़ रुपये की आय होगी। 1964–65 में तीसरे दर्जे के यात्रियों से 175 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। 1965–66 में यह राशि बढ़ कर 203 करोड़ रुपये हो गई। इसके विपरीत ऊँचे दर्जे के यात्रियों से 25 करोड़ रुपये से 27 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए। इस प्रकार 90 प्रतिशत किराया निर्धन लोगों से ही प्राप्त होता है। किन्तु उन्हीं बेचारों को कोई सुविधाएँ नहीं दी जातीं।

तीसरे दर्जे के थोड़ी दूर तक यात्रा करने वाले यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में बजट में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

रेलवे मंत्री ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि विश्व में भारत में रेलों का किराया सबसे कम है। लेकिन यह गुमराह करने वाली बात है क्योंकि किराया किराये

देने वाले व्यक्तियों की क्षमता पर निर्भर होना चाहिये। भारत में प्रति व्यक्ति आय विश्व में सबसे कम है और पिछले दो वर्षों में यह बढ़ने के स्थान पर घटी है।

मंत्री महोदय ने रेलवे में मार्केटिंग और बिक्री संगठन खोलने की बात कही है। यदि ऐसा संगठन खोलना जरूरी है तो वह दूसरे विभागों के फालतू कर्मचारियों को नियुक्त करके खोला जा सकता है।

वित्तीय नियंत्रण में ढील और नौकरशाही रवैये के कारण उसने अपने माल ढोने के काम को सड़क-परिवहन को सौंप दिया है। छः राज्यों ने आपसी समझौता करके 1,000 ट्रकों के चलाये जाने की अनुमति दे दी है। 1970–71 तक रेलवे अपना 25 प्रतिशत माल यातायात खो देगी। यदि वह चाहती है कि माल को रेलों द्वारा ही ढोया जाये तो उसे लोगों के पास सेवा-भावना से जाना चाहिये।

रेलवे में कर्मचारियों की वृद्धि हुई है। 1946–47 में रेलवे में राजपत्रित अधिकारियों की संख्या में 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रेलवे के खर्चे में भी भारी वृद्धि हुई है। रेलवे में चोरी, नुकसान और इंधन के बेकार होने के कारण ही इन सब बातों में ही वृद्धि हुई है।

रेलवे में 140 करोड़ रुपये का सामान रखने का कोई औचित्य नहीं है जब कि 95 प्रतिशत सामान देश में ही निर्मित होता है। इसके कारण यह पूंजी एक ही जगह जमा पड़ी रहती है। यह पूंजी वर्तमान अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के काम आ सकती है। रेलवे गोदामों में बहुत-सा बेकार माल पड़ा है जिसे बेचकर लाखों रुपया प्राप्त किया जा सकता है।

बहुत से सदस्यों ने रेलवे में भारी भ्रष्टाचार का उल्लेख किया है। इस सम्बन्ध में हमें उच्च पदाधिकारियों से जाँच आरम्भ करनी चाहिये, नीचे से नहीं।

रेलवे की एक भ्रष्टाचार-समिति है। इसने बहुत सी सिफारिशें की हैं लेकिन रेलवे प्रशासन ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है। रेलवे में ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार का बोल बाला है। इस समिति ने इसमें सुधार करने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये थे। इस समिति ने सिफारिश की थी कि भ्रष्टाचार की शिकायतों के मामलों की जाँच के लिये एक प्रशासनिक न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिये और उसके लिये उच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश की सेवाएँ प्राप्त की जानी चाहियें। आपको समिति के सुझाव को स्वीकार करना चाहिये। कम से कम निर्धन लोगों को इसके परिणामस्वरूप यह सांत्वना मिलेगी कि उनके मामलों की सुनवाई होती है। अब इस तरह के मामले कितने ही वर्षों से अनिर्णीत पड़े हैं।

आप रेलवे में विभिन्न वर्गों को क्यों समाप्त नहीं कर देते। इसमें इतना अधिक अन्तर है कि न्यूनतम वेतन 100 रुपये तथा अधिकतम 1500 रुपये है।

मुझे दुख है कि रेलवे की सम्पत्ति को जलाया जा रहा है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि रेलवे प्रशासन ने लोगों के दिलों में क्या ऐसी भावना उत्पन्न की है कि वह यह सोंचे कि रेलवे राष्ट्र की सम्पत्ति है।

1965-66 में रेलवे में 6,373 दुर्घटनायें हुई जबकि 1966-67 में 6,342 दुर्घटनायें हुई। इसमें से 1965–66 में 3463 और 1966-67 में 3443 दुर्घटनायें मशीनों में

खराबी आ जाने के कारण हुईं। अतः हम इन दुर्घटनाओं के लिये रेलवे इंजीनियरों, रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्री को दोषी ठहरा सकते हैं क्योंकि उन्हीं की असावधानी के कारण यह दुर्घटनायें होती हैं। मुझे आशा है रेलवे मंत्री इस ओर ध्यान देंगे।

प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा "सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम" शीर्षक से दी गई रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि "सरकारी उपक्रमों को व्यापारिक सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करना चाहिये।" इसके साथ ही पदोन्नति के तरीके ऐसे होने चाहिये कि उससे निम्न कर्मचारियों को अधिकतम लाभ हो।

उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिये कि रेलवे एक व्यापारिक-संगठन है और इसे जनता की इच्छाओं और भावनाओं का ख्याल रखना है। मजदूर के प्रतिनिधियों, मंत्री महोदय और अधिकारियों का एक बोर्ड बनाया जाना चाहिये और रेलवे की नीति और कार्य-संचालन सम्बन्धी मामलों के निर्णय इसी बोर्ड द्वारा किया जाना चाहिये।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, 1966 के अनुसार रेलवे को उस वर्ष 244 लाख रुपए की हानि हुई। यह पाँच वर्षों में सबसे अधिक राशि है।

160 करोड़ रुपये की कीमत का कोयला चोरी चला गया था। मैं रेलवे मंत्री से निवेदन करूँगा कि ईंधन के बारे में एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जानी चाहिये जो यह निश्चित करे कि डीजल से रेलें चलाना किस प्रकार आरम्भ किया जाये।

संयुक्त परामर्शदात्री समिति जिससे एक सर्वोच्च निकाय की अपेक्षा की जाती है, केवल चर्चा मात्र का विषय ही रह गई है। इस समिति ने नवम्बर, 1966 में यह निर्णय किया था कि श्रेणी चार और तीन के 25 प्रतिशत कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया जाना चाहिये परन्तु उस निर्णय को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है। वह केवल दिखावा मात्र था।

रेलवे गार्डों के वेतन मान लोवर डिवीजन क्लर्कों से भी कम हैं। टिकटों की जाँच करने वाले कर्मचारियों (टिकट चेकरों) को संगचल कर्मचारी नहीं माना गया है और उन्हें संगचल भत्ता नहीं दिया जाता है। गाड़ियों को नियंत्रित करने वाले कर्मचारियों की भी यही हालत है। मेरा अनुरोध है कि श्री पुनाचा जी इन सब बातों पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये और मद्रास, आन्ध्र प्रदेश तथा आसाम और उड़ीसा में अधिक रेलवे लाइनें बिछाई जानी चाहिये। कटक से पारादीप पत्तन तक जो नई रेलवे लाइन बिछाई गई है उससे न केवल उड़ीसा को सहायता मिली है अपितु इससे पूरे राष्ट्र को अर्थव्यवस्था को सहायता मिली है। एक लम्बे अर्से से यह माँग की जा रही है कि डिमलागढ़ से तालचेर तक एक नई रेलवे लाइन बिछाई जाये। ऐसा करना राष्ट्र के हित में होगा।

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) : गत मास की 28 तारीख से जो वाद-विवाद चल रहा है वह बड़ा ही रचनात्मक और उद्देश्यपूर्ण रहा है। अनेक सदस्यों ने बड़े अच्छे-अच्छे सुझाव दिए हैं। अलाभकारी रेलवे लाइनों को न उखाड़ने के लिये कई सदस्यों ने पेशकश की है। श्री पुनाचा जी इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस मामले में

शीघ्रता नहीं की जायेगी। समस्या यह है कि जो रेलवे लाइनें घाटे में चल रही हैं, उन्हें किस प्रकार से चलाया जाये जिससे रेलवे को लाभ होना शुरू हो जाये। यह तो एक प्रस्ताव मात्र है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की सलाह माँगी गई है और इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय उनके विचार जानने के बाद ही किया जायेगा। साथ ही निर्णय करते समय माननीय सदस्यों के विचारों पर भी पूर्ण ध्यान दिया जायेगा।

एक सदस्य ने सुझाव दिया कि रेलवे बोर्ड को समाप्त कर दिया जाये। श्री लोबो प्रभु ने बताया कि रेलवे बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञों तथा मंत्री के बीच एक नया सचिवालय बनाया जाना चाहिये। परन्तु ये दोनों ही सुझाव अव्यावहारिक हैं। दूसरे रेलवे बोर्ड अब तक सफलतापूर्वक कार्य करती चली आ रही है। यह सुझाव कि रेलवे बजट सामान्य बजट से बाद में प्रस्तुत किया जाना भी अव्यावहारिक है क्योंकि रेलवे बजट के आय-व्यय सम्बन्धी आँकड़ों को सामान्य बजट में समन्वित करना होता है। मैं इस सुझाव को भी उचित सुझाव नहीं मानता कि रेलवे कर्मचारियों को दिए जाने वाले पास आदि की सुविधाओं को हटा लिया जाये, क्योंकि इससे रेलवे की अर्थव्यवस्था में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ेगा। यह आलोचना करना ठीक नहीं है कि रेलवे ने सेवाओं को बढ़ाने और कन्टेनर-पद्धति शुरू करने के लिये जो तरीके अपनाये थे, वे सफल नहीं हुए हैं। उनके कार्य को अभी कुछ समय तक देखना होगा। महाराष्ट्र में दीव-तारापुर रेलवे लाइन के निर्माण का सुझाव दिया गया है इस पर विचार किया जायेगा और उस सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

दिल्ली-करनाल सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने का सुझाव भी दिया गया है। इस सेक्शन पर दिल्ली से सब्जीमंडी तक के तीन किलोमीटर के क्षेत्र पर दोहरी लाइन है। शेष 123 किलोमीटर के टुकड़े पर जितना यातायात है, उसके लिये एक लाइन पर्याप्त है क्योंकि यात्री-गाड़ियाँ दिल्ली-करनाल-अम्बाला लाइन पर चलती हैं तथा माल गाड़ियाँ दिल्ली-सहारनपुर तथा दिल्ली-भटिन्डा लाइन से होकर जाती है। सब्जीमंडी से सोनीपत के बीच दोहरी लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है।

यह सुझाव कि रेलवे कर्मचारियों के लिये एक पृथक वेतन आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये, स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि रेलवे कर्मचारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी हैं, और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये नियुक्त वेतन आयोग रेलवे कर्मचारियों की समस्याओं पर भी विचार करता है। श्री तिवारी का यह सुझाव कि बाधा और चितौनीघाट के बीच बन्द की गई लाइन को पुनः चालू करना चाहिये। इस संबंध में मैं यह बताना चाहता हूँ कि उस रास्ते में पुल सम्बन्धी कठिनाइयाँ हैं इसलिए वहाँ ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने रेलवे पर होने वाली चोरी आदि का भी जिक्र किया है। इस अभिशाप को समाप्त करने के लिये उन्होंने यह सुझाव दिया है कि रेलवे सुरक्षा दल के, विशेष रक्षकों को अधिक सुविधाएँ दी जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही रेलवे सुरक्षा दल के सम्बन्ध में नियुक्त शाह समिति के प्रतिवेदन मिलने पर की जायेगी। श्री तिवारी ने यह सुझाव भी दिया है कि रेलवे कर्मचारियों में अधिक अनुशासन होना चाहिये तथा रेलवे प्रशासन को जनता का सहयोग लेने का प्रयत्न करना चाहिये। यह एक बड़ी समस्या है और रेलवे एकपक्षीय आधार पर इसे हल नहीं कर

सकती है। वैसे रेलवे प्रशासन इस सम्बन्ध में जो कार्यवाही कर सकता है, वह की जायेगी। साथ ही बाधा और अदरपुर के बीच एक हाल्ट स्टेशन बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा। मान्यताप्राप्त गायक तथा नर्तक टोलियों को रियायत देने के सम्बन्ध में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। श्री मयावन ने सुझाव दिया है कि डालमियापुरम स्टेशन के नाम को बदलकर कल्लाकुडी कर दिया जाये क्योंकि उस स्थान का पुराना नाम कल्लाकुडी है। इस मामले में रेलवे मंत्रालय कुछ नहीं कर सकता। यह मामला राज्य सरकार और गृह-कार्य मंत्रालय द्वारा मिलकर तय किया जाना है। ऐसे मामलों में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। कलकत्ते की सरकुलर रेलवे का जिक्र भी किया गया है। ऐसी दो लाइनों के लिये सर्वेक्षण किया जा चुका है। एक लाइन डमडम से प्रिंसेप घाट तक है तथा दूसरी डमडम से बालीगंज वाली लाइन है जो साल्ट लेक क्षेत्र से गुजरने वाली है। गुजरात एक्सप्रेस को बिलिमोरिया और नवसारी स्टेशनों पर भी रोके जाने के सम्बन्ध में, मेरा यह निवेदन है कि 1-4-1968 से लागू होने वाली समय सारणी 12 अप गुजरात एक्सप्रेस उपरोक्त दोनों स्टेशनों पर रुकने लगेगी।

Shri R. S. Vidyarthi (Karol Bagh) : Indian Railways are no more public concern, but they have become the property of the Railway Board. The Railway Board is vertual head while the Minister has been made the titular head. So long the dominations of Railway Board continues, the Railways will not earn any profit.

[श्री गु० सि० ढिल्लों पीठासीन हुए]
[Shri G, S. Dhillon in the chair]

The employees of Railways cannot approach the members of Railway Board for putting their grievances in the notice of the members of Railway Board. Last time the President of Railways Employee's Association wanted to have an interview with the Chairman of that Railway Board but the latter refused to see him.

It is told that the Railways are suffering loss on account of decrease in goods traffic and increase in its administerative expenditure. Even then freight rates are being increased and no efforts are being made to successfully compete with the roads traffic. If they want to increase their goods traffic, they should change their policy of raising up the freight charges. Secondly, they should take steps to ensure that goods are transported sefely and in shortest possible time. Connected with it is the matter of settlement of claims of public in case of loss or damage of thier goods. The corruption rampant in the railway employees should be put an end to. These days greasing is required while booking the goods or taking delivery of goods, unless dealing clerks are paid extra they are not prepared to do the needul. A vigilance department has been set up in the Northern zone to clean the railway administration of the corruption. In my opinion if Government want to root out the corruption, an independent vigilance commission should be set up, which should not be under railway ad ministration.

It is often said that the cases of thefts and pilferage are increasing day by day in Railways. The name of Moghalsarai Station has been specially mentioned in this regard. It is said that the goods worth one lakh of rupees are stolen daily from this station alone. I do not agree with the proposition that pilferage of goods takes place in connivance with the local railway employees. I am of the opinion that all officers including the General Manager of the Railways have their share in what property is stolen from the Railways.

I would like to mention some thing about the Administrative Rules drafted by the Railway Board. They are being interpreted in different ways in different Zones. In this way promotions are not being fairly and properly regularized, and the staff entitled to get promotions suffer badly.

It has been stated that the main reason for the Railway running at loss is that due to rise in prices they had to give dearness allowances to the railway employees and therefore the expenditure has been increased. But the fact remains that administrative expenditure has been increased manifold. The ban on the recruitment of clerks is there but the number officers is being increased every day. Most of the Railway employees are frustrated. They are not satisfied with the administration. The Government should do something for these employees. The chances of promotion of class III and IV employees are less. There should be some avenues of promotion for them. As a result of frustration one becomes dishoenest and he does not work whole heartedly. In view of this steps should be taken to encourage by opening the avenues of promotion of the employees of lower cadre.

The causal labourers who have worked for six months in the Railways should be made permanent. Their posts should be declared permanent and they should be provided with all the facilities availabe to such workers in public sector and private sector undertakings.

I am not against automation but if Railway can do without it, then it should not go for automation as many employees would become unemployed as a result thereof.

There are large scale disparities in the privileges enjoyed by the officers and other categories of railway staff which should be removed.

Central Railway Workers Union with its membership of 50,000 persons is not being recognised though it fulfills all the conditions. We should not encourage the Unions which indulge in sabotage activities but the unions which are patriotic must be recognised.

श्री पे० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : बहुत से माननीय सदस्यों ने रेलवे के कार्य-संचालन में सुधार करने के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं और मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे और आवश्यक कार्यवाही करेंगे। रेलवे देश में सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है जो देश में फैला हुआ है। दुर्भाग्य से भारत सरकार के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिये जनता रेलवे को निशाना बनाती है जिससे लाखों रुपयों का राष्ट्रीयसम्पत्ति को क्षति पहुँचती है तथा करोड़ों यात्रियों को असुविधा होती है और इसके अतिरिक्त रेलवे के समुचित कार्यसंचालन में बाधा पड़ती है। अत: मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूँ कि उन्हें ऐसा वातावरण बनाना चाहिये जिसमें परस्पर मतभेदों के बावजूद इन सरकारी उपक्रमों को क्षति न पहुँच सके। यह हमारी सम्पत्ति है और अपनी सम्पत्ति की रक्षा करना हमारा कर्त्तव्य है।

रेलवे बजट प्रस्तुत करते हुए रेलवे मंत्री ने रेलवे को होने वाला घाटा कम करके दिखाया है। वास्तव में रेलवे कन्वेन्शन कमेटी ने सुझाव दिया था कि मूल्यह्रास निधि के लिये नियमित अंशदान की व्यवस्था होनी चाहिये परन्तु उसे घटा कर 25 करोड़ रुपए कर दिया गया है। फिर चालू वर्ष के खर्च को पुरा करने के लिए विकास निधि के वास्ते 18.5 करोड़ रुपए का ऋण सामान्य राजस्व से लिया गया है। इस प्रकार मेरे विचार में वास्तविक घाटा 65 करोड़ रुपए का होगा। रेलवे प्रशासन ने हमारे सामने रेलवे के कार्य संचालन की सही तस्वीर नहीं रखी है।

जहाँ तक रेलवे के कार्य-संचालन का सम्बन्ध है, 1950-51 की तुलना में यात्रियों की संख्या तथा माल यातायात में भारी वृद्धि हो चुकी है। अब रेलवे का उत्तरदायित्व बढ़ गया है

और उन्हें अब अधिक दक्षता से अपना कार्य करना चाहिये। रेलवे को सड़क परिवहन का कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है। रेलवे को इस चुनौती का सामना बड़ी दक्षता से करना चाहिये और समस्त देश में लाखों यात्रियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिये अपनी दक्षता बढ़ानी चाहिये।

रेलवे के किराये भाड़े में वृद्धि कर दी गयी है। इससे लम्बी यात्रा करने वाले यात्रियों, विशेषकर तीसरे दर्जे में यात्रा करने वालों, पर अनुचित बोझ बढ़ गया है। उपनगरीय यात्रियों के कारण लम्बी यात्रा करने वालों पर अधिक बोझ नहीं डाला जाना चाहिये। प्रथम दर्जे में यात्रा करने वालों पर अधिक बोझ नहीं डाला गया। सामाजिक समानता का उद्देश्य सामने रख कर मंत्री महोदय को समाज के उन वर्गों से आय के साधन जुटाने चाहिये जो यात्री किराये में वृद्धि के बोझ को सहन कर सकें।

योजना सम्बन्धी खर्चे से यातायात की आय में समुचित वृद्धि नहीं हुई है। योजना सम्बन्धी खर्ज ऐसे कार्यों पर किया गया है जिनसे आय में कोई वृद्धि नहीं हुई। इसलिये इस सम्बन्ध में उचित प्राथमिकताएं निर्धारित की जानी चाहिये और इस प्रकार की सुविचारित परियोजनाओं पर खर्च करने से इस मंत्रालय की आय में उचित वृद्धि होगी।

रेल भाड़े में वृद्धि नहीं की जानी चाहिये। सौभाग्य से इस वर्ष फसल अच्छी हुई है और इससे माल यातायात में वृद्धि होने की सम्भावना है जिससे प्रस्तावित घाटा पुरा हो सकता है।

मेरा विचार यह है कि समस्त रेलवे प्रशासन का एक सांविधिक निगम बना देना चाहिये। जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक रेलवे जिस व्यवस्था के अधीन सामान्य राजस्व में निर्धारित लाभांश देती है, उसपर फिर से विचार करना चाहिये। वर्तमान व्यवस्था इस पूर्वधारणा पर आधारित थी कि आर्थिक प्रगति होती रहेगी और रेलवे की आय में भी वृद्धि होती रहेगी। परन्तु ये आशाएँ पूरी नहीं हो सकीं क्योंकि एक ओर योजना आयोग ने काल्पनिक विस्तार के लक्ष्य निर्धारित किए और दूसरी ओर सरकार की वित्तीय नीतियों के फलस्वरूप मंदी की स्थिति पैदा हो गयी। अतः सम्बन्धित मंत्री को इस विषय पर विचार करना चाहिये।

प्राक्कलन समिति ने रेलवे की आय बढ़ाने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिए थे। हमने यह सुझाव दिया था कि वाणिज्यिक कर्मचारियों को उपयुक्त साज-सामान देना चाहिये और उनके उत्तरदायित्वों को निर्धारित कर देना चाहिये। अब यह और भी आवश्यक हो गया है क्योंकि रेलवे को सड़क-परिवहन का कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है।

दावों का निर्णय करने में बहुत समय लगता है जिसके फलस्वरूप रेलवे में जनता का विश्वास कम हो जाता है। ऐसे मामलों के साथ तत्काल निपटने के लिये अधिकारियों को कुछ अधिकार दिए जाने चाहिये जिससे जनता के मन में विश्वास पैदा हो जाये।

रेलवे में होने वाली चोरियों के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये। यदि रेलवे कर्मचारियों का इसमें हाथ है तो दोषी कर्मचारियों को कड़ा दंड दिया जाना चाहिये। जहाँ तक अलाभकारी रेलवे लाइनों को समाप्त करने का सम्बन्ध है, मेरे विचार में रेलवे मंत्री को

सम्बन्धित राज्य के मुख्य मंत्री के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श करना चाहिये। रेलवे प्रशासन को उस राज्य में नई रेलवे लाइनें बना कर अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में वैकल्पिक सुझाव देने चाहियें जिससे उन लाइनों को समाप्त करने से जो हानि होने की सम्भावना हो वह पूरी की जा सके। जैसे आन्ध्र प्रदेश में एक सर्वेक्षण किया गया था और वहाँ की सरकार ने सुझाव दिया था कि माइदुकुर से होकर जाने वाली नन्दयाल से नेलोर तक रेलवे लाइन बनायी जानी चाहिये। इससे रेलवे की आय में वृद्धि होगी। रेलवे प्रशासन को भी इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये।

प्लेटफार्म के टिकट का मूल्य बढ़ाने के स्थान पर घटाया जाना चाहिये क्योंकि सरकार इसके मूल्य में जितनी वृद्धि होगी उतना ही जनता बिना टिकट यात्रा करेगी।

खान-पान की व्यवस्था के बारे में जितना कम कहा जाय उतना ही ठीक है। खान-पान की व्यवस्था बहुत खराब हो गयी है और उसमें सुधार किया जाना चाहिये।

रेलवे प्रशासन में नियुक्तियों और पदोन्नतियों के सम्बन्ध में कुछ सच्ची शिकायतें हैं जिससे रेलवे प्रशासन की बदनामी होती है। एक अध्यापक के मामले में मुझे स्वयं हस्तक्षेप करना पड़ा और जब मैंने रेलवे प्रशासन से सम्पर्क स्थापित किया तो उन्होंने कहा कि वह अध्यापक न्यायालय में जा सकते हैं। प्रशासन का यह बिल्कुल अनुचित रवैया है। चयन समिति के किसी भी सदस्य को तेलगू भाषा का प्राथमिक ज्ञान तक नहीं था परन्तु वे स्नाकोत्तर अध्यापक के सम्बन्ध में निर्णय करने बैठ गए। इन परिस्थितियों में विवश होकर उस अध्यापक को न्यायालय में जाना पड़ा। प्रशासन का यह दृष्टिकोण उचित नहीं है। रेलवे के प्रशासन को सुधारने और उसे पुनर्गठित करने की आवश्यकता है।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : In my constituency S. S. Light Railway is running from Delhi to Saharanpur. The condition of this Railway is deplorable. This railway line runs through fertile land of Meerut, Muzaffarnagar and Saharanpur. The bogies and engines of this railway are very old and the speed of this train is 12-13 miles per hour. In view of the deplorable condition of this Railway no industry could develop in this area. I have been requesting the hon'ble Minister to visit this Railway but unfortunately he could not find time so far to do so. It is not true that there will not be any goods traffic for this Railway because of very good road transport. If the condition of bogies and engines of this Railway is improved then it will attract more passengers and goods traffic. It takes 7-8 hours to cover 92 miles from Shahdara to Saharanpur and in case the condition of this railway is improved, it can cover the the same distance within five hours. The coal used by this railway is that of bad quality. The company provided an amount of 80 lakhs for replacement of rolling stock, but still 60 year old engines and bogies are running. We do not know as to how that amount was spent.

The General Manager of this Railway is getting Rs.6,000 per month whereas the General Manager of Northern Railway is getting only Rs.2,750 per month who has to manage bigger area as compared to the one managed by General Manager of S. S. Light Railway. On the other hand the staff of this Railway is getting lower scales of pay. But our Minister says that he cannot do anything in this matter. It is such a simple case that Government must interfere and take over this Railway. The hon'ble Minister should not depend upon the officials of his ministry in this matter. If we put our grievances to the Railway Ministry we receive a reply that they cannot interfere as it is internal matter of the company. The Government should take over this

Railway. It is not correct to say that Government have to pay Rs.72 lakhs for taking it over. In fact not more than Rs.25 lakhs are required to take over this Railway as this company has not been showing any profit.The company has not given factual position to the Ministry in order to discourage them from taking it over.

The contract of this company will expire in April, 1969 and I think that the Hon. Ministers will consider and will not renew the contract. Therefore it is suggested that the Government should start making preparation to take over this railway.

Shri Gulam Mohammad Bakshi (Srinagar) : During the last 20 years only 9 miles of of railway line has been constructed and we are happy that provision for laying 3-4 miles more railway line has been made in the current budget. We welcome this step and hope that Government would pay some more attention in future.

The railway line running from Pathankot to Gobindsar Kathua is not being utilised fully. I would therefore suggest that Kashmir Mail and Srinagar Express should start from Gobindsar instead of Pathankot. It will not only benefit the passengers but there will be psycholigical effect on the people of that area that they are also having a railway line. Moreover the income of the railways will also increase.

I may point out that the timings of the trains running from Pathankot are not very convenient. Their timings should be changed. It will not only facilitate the tourists but the income of the Railways will also increase.

I may suggest that an air-conditioned bogie should be attached to the Srinagar Express, if possible. In the end I would request that the hon'ble Minister should pay more attention towards the extension of railway line in Jammu and Kashmir.

Shri Onkarlal Bohra (Chittorgarh) : Unfortunately our Railway Ministry considers the railways as a commercial establishment. I submit that Railway is not a commercial establishment but a public service organisation. Therefore if some facility is asked for, Government should not consider that matter with a commercial point of view i.e. whether it is remunerative or not. The railways should take care of the interests of general masses and not a limited number of poeple. I would therefore suggest that Government may stop air-conditioed coaches or fast running trains but they should atleast provide railway facilities to the people who have not seen the railway train.

In this connection I may state that Government had approved Chittorgarh-Kotah railway line in1948, but this railway line has not been constructed so far. Now Kotah is the biggest industrial centre of Rajasthan. We should not give our decision to the effect that a particular railway line is uneconomic without proper survey of that particular area. We should not get a stereotype reply in all the cases. The Government should atleast get this area surveyed and a adopt sympathetic attitude.

The conditition of third class bogies is deplorable. The passengers travelling by third class are put to great inconvenience. It is therefore requested that more fecilities should be provided to the passengers travelling in third class bogies.

I want to congratulate the hon'ble Minister for constructing the railway line from Jaisalmer to Pokaron in the border area.

The railway line from Kotah to Delhi has not yet been converted into broad guage. The Government should pay more attention to the backward areas of Rajasthan. They should be provided with broad guage facilities which will facilitate the goods traffic.

Arrangement should be made to run a train from Ahmedabad to Delhi because at present one has to change the train too often to reach Ahmedabad. It will be very useful for Adivasi areas.

श्री सामिनाथन (गोबीचेट्टिपलायम) : रेलवे बजट से गरीब और मध्यम दर्जे की जनता पर अधिक बोझ पड़ा है। रेलवे मंत्री ने 27 करोड़ रुपए का घाटा दिखाया है और उसे पूरा करने के लिए रेलवे के किराये भाड़े में वृद्धि कर दी है। तमिलनाड में बसों के किराये काफी घटा कर भी लाभ अर्जित किया गया है। तमिलनाड में रेल के किराये की अपेक्षा बसों का किराया कम है। मंत्री महोदय ने कहा है कि तमिलनाड में अलाभकारी लाइनें समाप्त की जायेंगी। यह निन्दनीय है। मैं रेलवे मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह ऊटी रेलवे लाइन को समाप्त न करें। दिल्ली में ताज एक्सप्रेस द्वारा तथा ऊटी एक्सप्रेस से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी।

रेलवे में हिन्दी को जबरदस्ती नहीं लादा जाना चाहिये। उदाहरणार्थ इंजीनियरिंग कालेजों के विद्यार्थियों को प्रवीण परीक्षा पास करने का निदेश दिया गया है। यह निन्दनीय है। यदि स्टेशनों पर मिटाये गए हिन्दी नामों को दोबारा लिखा गया तो वहाँ पर फिर आन्दोलन होगा।

डालमियापुरम का नाम बदल कर कल्लाकुण्डी रख दिया जाना चाहिये क्योंकि यही उसका पुराना नाम है।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : It is a matter of concern that system of working of the Railways is still controlled by bureaucrats and no attention is paid towards the grievances of the public keeping in view the changing circumstanees the system of working of railways should also be changed. The general public is not satisfied with the railway budget. Audit Report of Railways should also be placed before the House so that we may know the manner in which the amount is spent.

The Railway employees have been demoralised because they do not see any avenues of promotion. They do not have any incentive to show their skill in their respective fields. Their future is dark. As the recruitment to officers cadre is made directly, there is no initiatve for the employees. The hon'ble Minister should look into this matter.

Unfortunately past service of some engineers and draftsman recruited at the time of emergency has not been counted at the time of their confirmation. It is not proper. Railway Board consider itself to supreme. They change the decision taken by even hon'ble Minister.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

The hon'ble Minister has to yield before the Railway Board.

We have been demanding a railway line from Balooghat to Heeli but no attention has been paid towards the same. When Government is not prepared to meet the requrement of the people, how can they expect co-operation of the pepople ?

The stores worth crores rupees are accumulated but when these things become old, they are disposed of at negligible prices. There is no checking of stores. Enforcement department has not been able to check corruption. The organised gangs of people commit thefts in the railway in the presence of Railway Protection Force. Even if we inform the authorities about such incidences, no action is taken. A committee of Members of Parliament should be set up which should go into this question.

Shri Kamble (Latur) : It is not understood how such a big commercial undertaking is running at a loss. The number of railway employees is too much. A sum of Rs. 1,39,093 thousands are spent in respect of Railway Board only. The hon'ble Minister should look into this matter seriously whether there is need of Railway Board at all. A Financial Commissioner is getting

Rs.4,000 a month and the Chairman is getting Rs. 3,500 per month. The strength of officers working in Railway Board should be reduced so that deficit could be met.

One of the main reasons for which Railway has suffered is that there is increase in the goods traffic of road transport. The reason for this diversion of goods traffic is that goods sent by railway reach late and in the damaged condition and the result is that income of Railways has been reduced. Railway administration should ensure safety of goods so that goods traffic of railways is increased.

Ticketless travelling must be checked so that income of the railways is incerased. The shopkeepers and contractars working at a Railway station and the Railway employees do not purchase coal from the market. The misuse of coal should be stopped.

There are certain railway lines which are unremunerative just because they have not been linked with the main line. If these lines are linked, the goods traffic would increase and therefore income of the railways would also increase.

The railway fare of the people travelling at nearby places should not be increased. In crease in the platform ticket is also unwarranted. The catering arrangement of Railways is not satisfactory. There are certain stations where there is no arrangement for drinking water. Government should pay more attention to provide these amenities.

There are no platforms at most of the railway statons at Vikarabad-Parli line. There is no waiting room. Government should atleast provide sheds on the platforms if waiting rooms cannot be provided.

Government should pay due consideration towards the quota of posts reserved for scheduled castes and scheduled Tribes while making appointments to class I, II and III posts.

Shri Prakash Vir Shstri (Hapur): No doubt that the death of Shri Deen Dayal Upadhyaya is a blot on Defence and Home Ministries but Railway cannot also be absolved of its responsibilities This tragedy would have not occurred, had there been sufficient security arrangements on the Railways. There are certain vulrerable places where railway staff itself is exposed to danger. Government should therefore make necessary security arangements for the safeguard of passengers and railway staff.

It is understood that cheap literature is being sold at the book stalls at Railway Stations which adversely affect the young persons. The Government should consider this matter seriously and take remedial measures. Formerly a licence for the bookstall used to be issued for a limited period and the same was required to be renewed subject to his satisfactory performance. But it is now understood that that clause has been removed. I would suggest that old practice should be allowed to continue.

Had there been increase in the facilities, the increase in the fare could be justified. It has been observed that passengers travelling by class III have to face lot of difficulties. There is no proper arrangement for lighting and latrines of class III bogies are also very dirty. The Government should also see whether thefts of bulbs etc. are committed with the connivance of railway staff. Arrangement should be made for starting fast trains from Delhi to nearby places like Meerut and Hapur or Sonipat, Panipat, Gurgaon, Alwar etc.

I may also point out that there is great rush at Garhmukteshwar at the occasions of Amavasya and Purnima. Government should add some more bogies to the trains at such occasions and arrangement could be made to stop these trains at bridge-hault it will be more convenient to the passengers. I would suggest that Railways should use regional languages in their respective regions instead of English . We must encourage Indian languages.

At Varanasi Diesel locomotives are manufactured. Spare parts are being importe from U.S.A. for these locomotives. It was detected that goods were smuggled from U.S.A. into India in the engines sent by them and these goods are being received by high officials of Railways. This plant which has been installed in Varanasi is one rejected by America and therefore it is not working to its capacity. The railway officials responsible for this deal should be punished severely. This is a treason and even if some officer responsible for this got retired mean while he should be brought to book.

The arrangements in the restaurants run by railway administration are very poor. The catering arrangement was taken over by Railways in order to improve the situation but it has gone still worse. In case Railway is not in a position to run the restaurant satisfactorily, then it should be handed over to some contractor.

The duties of Guards have been multiplied. Guard is responsible for the accidents of trains and safety of goods and passengers. He is to run risk while travelling in odd hours with the goods trains. Railway Department should pay more attention towards their sad plight.

Railway Department have decided to start a flag station at Dobai. I would request that the decision should be implemented. At present the trains running rom Dehra Dun to Moradabad pass though Rampur. I would suggest that one of these trains should pass through Chandausi instead of Rampur. I hope that Railway Ministry will consider these suggestions seriously.

श्री तु० मू० सेठ (कच्छ) : भारत में रेलवे सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम है। पिछले दो वर्षों से रेलवे का घाटे का बजट प्रस्तुत किया जा रहा है। शायद रेलवे बोर्ड की कार्यकुशलता इतनी बढ़ गयी है कि रेलवे को अब घाटा होने लगा है। रेलवे मंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या रेलवे बोर्ड को इसी रूप में जारी रखा जाये अथवा इसके भिन्न-भिन्न एकक बना दिये जायें।

दूसरी बात यह है कि प्राक्कलन समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि राज-पत्रित रेलवे कर्मचारी और सेवा निवृत्त अधिकारी बहुत फिजूलखर्ची करते हैं। द्वितीय वेतन आयोग का बिचार है कि रेलवे के कर्मचारयों को दी जाने वाली यात्रा सम्बन्धी विशेष सुविधायें अत्यधिक हैं। प्राक्कलन समिति का अनुमान है कि इन सुविधओं पर 18 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। यदि इस खर्च में कुछ बचत की जाये तो काफी हद तक रेलवे का घाटा पूरा हो सकता है।

रेलवे के कार्य को देखने से पता चलता है कि वर्ष 1962 से लकोमोटिव और इंजनों का उपयोग कम हो गया है। हमारे प्रदेश में वैगनों की कमी है परन्तु कई स्थानों पर वैगन फालतू भी पड़े हैं। मंत्री महोदय को इस समस्या की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

रेलवे की छोटी, मीटर और बड़ी लाइनों में से बड़ी लाइन की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है।

बड़ी लाइनों पर डीजल के इंजिन चलने के कारण उन पर छोटी और मीटर लाइनों की अपेक्षा कम धन व्यय होता है। यदि आपको रेलवे की विभिन्न प्रकार की लाइनों पर चलने वाली गाड़ियों के काम पर विचार करना है तो आपको देखना चाहिये कि उस पर प्रशासन की ओर से कितना ध्यान दिया जाता है। इस सम्बन्ध में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिये। छोटी लाइनें भी दूर स्थित क्षेत्रों में है। इस कारण उनसे अधिक लाभ नहीं हो सकता। मेरा सुझाव

है कि छोटी लाइनों को या तो बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिये या उन्हें एक दूसरे से मिला दिया जाना चाहिये।

हमारे राज्य में भावनगर-तारापुर लाइन के लिये दो अथवा तीन बार सर्वेक्षण हो चुका है। राजकोट जासदाम लाइन एक छोटी लम्बाई की लाइन होगी। मेरे क्षेत्र में काण्डला जुन्ड लाइन बनायी जा रही है। यह 147 मील लम्बी लाइन का भाग है। इसे बनाने में 10 वर्ष लगेंगे। इसे 1959 में आरम्भ किया गया था। और मुझे आशा है कि इसे 1969 तक पूरा कर दिया जायेगा।

काँडला पत्तन का बहुत महत्व है। इसे अब कराची पत्तन का स्थान लेना है। इसलिये इस क्षेत्र में रेलवे सुविधाएँ उपलब्ध कराने में मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये। काण्डला-जुण्ड लाइन को भुज और खावड़ा तक बढ़ाया जाना चाहिये। भुज और गाँधी ग्राम के बीच केवल 35 मील को दूरी है। इस क्षेत्र में प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी सड़कों का बहुत महत्व है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस ओर अविलम्ब ध्यान दें।

रणकच्छ के दक्षिण पश्चिमी भाग का बहुत महत्व हैं। इसलिये इस दिशा में रेलवे लाइन बनाना बहुत आवश्यक है। इस क्षेत्र में खनिजों के बहुत निक्षेप हैं। उन्हें प्रयोग में लाने के लिये रेलवे सुविधाओं का होना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में कार्यवाही होनी चाहिये। हमारे यहाँ एक स्टेशन मावापुर है इसे पहले की तरह एक पूरा स्टेशन बना दिया जाय।

रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे 19 फरवरी वाले प्रस्तावों पर ध्यान दिया है और अपने सुझाव दिये हैं।

रेलवे की वित्तीय स्थिति के बारे में चिन्ता व्यक्त की गई है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है। कई मामलों में स्थिति में बहुत सुधार हो रहा और हम अपना दायित्व पूरा कर रहे हैं। वर्ष 1966-67 में रेलवे ने सरकारी कोष में 132 करोड़ रुपया दिया और चालू वर्ष में 141 करोड़ रुपये दिये हैं। आगामी वर्ष के लिये 152 करोड़ रुपये दिये जाने का वायदा है। इससे पता चल जाता है कि रेलवे की वित्तीय व्यवस्था सुदृढ़ है।

रेलवे कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि के कारण प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ रुपये के खर्चे की वृद्धि हो जाती है। इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिये। रेलवे अभिसमय समिति की सिफारिशों को हमने स्वीकार कर लिया है और हम 16 करोड़ रुपया राज्य सरकारों को देना होगा। इसके अतिरिक्त हमें पेंशन निधि में भी अंशदान देना है। फिर इस बार काम की लागत पर भी अधिक धन व्यय हुआ है।

रेलवे के कर्मचारी को औद्योगिकवाद अधिनियम के अन्तर्गत कई सुविधाएँ उपलब्ध हैं और साथ-साथ वे रेलवे कर्मचारी भी हैं। अन्य देशों में रेलवे कर्मचारियों को केवल मजूरी दी जाती है और उन्हें पेंशन का अधिकार प्राप्त नहीं है परन्तु हमारे देश में उनको यह सुविधा भी मिल रही है। यहाँ कर्मचारियों के कार्मिक संघ समय-समय पर बातचीत द्वारा अपने अधिकारों का संरक्षण करते हैं। हमारे कर्मचारियों को और भी बहुत-सी सुविधाएँ प्राप्त हैं।

15 वर्षों के बाद रेलवे से सेवा निवृत्ति प्राप्त व्यक्तियों की संख्या 13 लाख के लगभग होगी। हमें पेंशन निधि की व्यवस्था करनी चाहिये । इस निधि में पहले ही 53 करोड़ रुपये के लगभग जमा हो चुके हैं। मुझे गर्व है कि हमने इस सुरक्षा की व्यवस्था की है। आय के बारे में हम एक ऐसी स्थिति में आ गये हैं जहाँ कि आगे की प्रगति एक प्रकार से रुक गई है। यह बात माल-यातायात के सम्बन्ध में है। यात्री-भाड़े के बारे में हमने प्रगति की है। इसकी आय में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

देश में मंदी के कारण माल के यातायात में कमी हुई है। इस कारण रेलवे के माल-भाड़े में कमी होना आवश्यक है। परिवहन या रेलवे के काम को लाभप्रद बनाने के लिये दो बातें आवश्यक हैं। एक तो कानून और व्यवस्था बनी रहनी चाहिये और दूसरे देश की अर्थ व्यवस्था की हालत अच्छी होनी चाहिये। इन दो बातों से रेलवे और वाणिज्यिक संस्थान प्रगति करते रहते हैं। जब भी कोई गड़बड़ होती है तो उसका परिवहन-व्यवस्था पर तुरन्त प्रभाव पड़ता है।

यह कहा जाता है कि सड़क परिवहन के बढ़ने के कारण रेलवे को हानि हो रही है। यह बात ठीक भी है। हमारे देश में सड़कों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। ट्रकों के निर्माण और उत्पादन में वृद्धि हुई है। हमें इस प्रतियोगिता को एक अच्छा चिह्न समझना चाहिये। इससे देश की जनता को लाभ होता है। यदि ट्रकों और बसों द्वारा जनता को लाभ और सुविधा होती है तो इसमें हमें प्रसन्न होना चाहिये। सड़क-परिवहन में भी तो राष्ट्र की पूंजी लगी हुई है। हमें देखना है कि इस प्रतियोगिता से दोनों पक्ष लाभ उठायें। इस बारे में योजना आयोग ने श्री त्रिलोक सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। उसकी रिपोर्ट सरकार के पास है और उस पर विचार हो रहा है। उसमें इस सम्बन्ध में सिफारिशें हैं। हमने ऐसी रेलवे लाइनों के उखाड़ने पर भी विचार किया है जिनसे लाभ के स्थान पर हानि हो रही है। इस बारे में राज्य सरकारों से पत्राचार हो रहा है और हम पूरी तरह से विचार करने के बाद निर्णय करेंगे।

आज लोग कम खर्च पर यात्रा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यात्रा सुविधापूर्वक हो। इसी कारण हम रेलों में भीड़भाड़ देखते हैं। हम इस समस्या पर निरन्तर ध्यान देते रहते हैं।

बड़े-बड़े नगरों में यातायात व्यवस्था में लगातार जटिलता बढ़ती जा रही है। वहाँ उपनगरीय यातायात में बहुत वृद्धि हुई है। कलकत्ता में 1965-66 में यह 13 करोड़ रुपये थी जबकि 1966-67 में यह 25 करोड़ रुपये है। इसी तरह बम्बई में भी इसमें बहुत वृद्धि हुई है। यह एक राष्ट्रीय समस्या बन गई है। इसके बारे में हमें दीर्घकालीन योजना बनानी होगी। इसका समाधान भूमिगत रेलवे है। इस पर व्यय बहुत अधिक होगा। हम योजना आयोग से सम्पर्क स्थापित किए हुए हैं। रेलवे बोर्ड से कहा गया है कि इस बारे में सभी बातों का अध्ययन करें।

कुछ सदस्यों ने डिब्बे के जलाये जाने को उचित ठहराया है। मुझे इस पर बहुत खेद है। हमें सभी समस्याओं पर समाधान ढूंढ़ना है और समाधान ढूंढ़ने में कुछ समय अवश्य लगेगा। हमें इस वर्ष जितने माल यातायात की आशा थी वह पूरी नहीं हुई है। हमें आशा है कि

आगामी वर्ष में हम अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे। वैसे हमारे देश के माल-यातायात में कमी होती जा रही है। इसका प्रभाव रेलवे पर भी पड़ रहा है। यह बात नहीं कि समूचा माल यातयात सड़क परिवहन द्वारा हो रहा है। वास्तव में सड़क परिवहन को भी पूरा काम नहीं मिल रहा है। पिछले वर्ष में उनके काम में भी कमी हो रही है। मैं समझता हूँ कि बाजार में मंदी आने के कारण माल-यातायात भी कम हुआ है।

इस बात का उल्लेख किया गया था कि रेलवे कर्मचारियों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि कर्मचारियों के कुछ वर्गों की कठिनाइयों को ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। कर्मचारियों के कल्याण कार्यों पर हम काफी धनराशि लगा रहे हैं। 24 करोड़ रुपए इसके लिये रखे गए हैं। इनमें चिकित्सा-सुविधाएं तथा अन्य सुविधाएँ शामिल हैं। शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यों, कैन्टीन आदि पर पर्याप्त धनराशि व्यय की जायेगी। मैं दावा कर सकता हूँ कि रेलवे कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक सुविधाएँ उपलब्ध हैं। रेलवे कर्मचारियों की चिकित्सा परीक्षा से पता चला है कि उनमें बहुत से क्षय-रोगी हैं। इस बारे में बताना चाहता हूँ कि हमने विभिन्न अस्पतालों में पलंगों की संख्या बढ़ा दी है और बहुत से गैर-सरकारी अस्पतालों में भी पलंगों की व्यवस्था की है। रोगियों के परिवारों को भी कुछ सहायता देने की व्यवस्था है।

यहाँ पर यह सुझाव दिया गया है कि रेलवे को समाज की सेवा के लिये एक संस्था के रूप में कार्य करना चाहिये और वाणिज्यिक संस्था की तरह नहीं। यह तो परस्पर विरोधी बातें हैं। रेलवे की समाज-सेवी संस्था बनाये जाने पर हमारा खर्च जनता को उठाना पड़ेगा।

यहाँ पर यह कहा गया है कि प्रत्येक टिकट पर पाँच पैसे की वृद्धि एक बड़ा बोझ सिद्ध होगा। बसों के किराये में विभिन्न राज्यों में न्यूनतम 25 और 30 पैसे लिये जाते हैं। फिर बसों में प्रति किलोमीटर का किराया 2.50 पैसे से 3.75 पैसे है। परन्तु रेलवे में प्रति किलोमीटर किराया 2.5 पैसे ही है। अतः यह कहना कि किराया बढ़ाया जा रहा है तर्कसंगत नहीं है। यह बहुत कम वृद्धि है।

मजदूरों और कर्मचारियों के बारे में प्रबन्ध करना एक बहुत बड़ा काम है। हमने दो संघों को मान्यता दी है। रेलवे-जोन के और अखिल भारतीय स्तर पर विवाद सुलझाने के लिये स्थायी मशीनरी की व्यवस्था है। वैसे और भी बहुत से मजदूर संघ हैं। मैं तो चाहता हूँ कि सभी का एक ही संघ होना चाहिये। इससे सभी विवादों को सुलझाने में सहायता मिलेगी और शीघ्रता से कार्य हो सकेगा। हमारे मजदूर-संघों के साथ बहुत सौहार्द्रपूर्ण सम्बन्ध हैं। हम छोटी-छोटी यूनियनों को मान्यता नहीं दे सकते।

डिब्बों के प्रयोग में कुछ कमी हो गई है। यह यातायात में कमी के कारण है।

गैर सरकारी रूप से चलायी जा रही रेलों को नियत अवधि के लिये दिया जाता है और जब आवश्यक समझा जायेगा तब इनको सरकारी अधिकार में ले लिया जाता है।

मद्रास से आये एक माननीय सदस्य ने एक भारतीय भाषा में जारी किए गए परिपत्र पर आपत्ति की है। यह परिपत्र 1946 से जारी किया जा रहा है। फिर हमें यदि अखिल भारतीय सेवाओं में कार्य करना है तो हमें और भाषाएं भी सीखनी पड़ेंगी। एक अधिकारी को भारत के विभिन्न

भागों में कार्य करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में मद्रास के विधि मंत्री श्री माधवन मुझसे मिले थे। मैंने उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराया था। सेवा में आने वालों को स्थायी होने के लिये हिन्दी की प्रवीण परीक्षा पास करनी होगी, जो कि एक प्राथमिक परीक्षा है।

श्री कन्डप्पन : भर्ती के समय यह आवश्यक नहीं होना चाहिये।

श्री चे० मु० पुनाचा : भर्ती के बाद प्रशिक्षण-काल में उसे भाषा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

रेलवे के अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। वे भी इस सम्बन्ध में विचार करेंगे। इस बारे में रेलवे बोर्ड दोषी नहीं है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने अधिकारियों द्वारा तस्करी की बात की है। यह सच है। इस बारे में तटकर विभाग ने कार्यवाही की है। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने जाँच की है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। उसकी सिफारिश पर हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे। लम्बी यात्रा के 'स्लीपर' स्थान के दर की वृद्धि पर हम विचार कर रहे हैं। इसी प्रकार नर्सों आदि को दी जाने वाली सुविधाओं को बनाये रखने पर भी विचार किया जा रहा है। अनुदानों की माँगों पर विचार के समय हम निश्चित रूप से कुछ करेंगे।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 6 मार्च, 1968 / फाल्गुन 16, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wendesday March 6, 1968/Phalguna 16, 1889 (Saka.).

Printed by Job Printers, Swami Vivekanand Marg, Allahabad.